वेबसाइट www.yojana.gov.in

योजना

दरें: वार्षिक: ₹ 230 द्विवार्षिक: ₹ 430, त्रिवार्षिक: ₹ 610

• वर्ष : 62 • अंक 06 • कुल पृष्ठ : 72 • जून 2018 • ज्येष्ठ-आषाढ़, शक संवत् 1940 • मूल्य : ₹ 22

प्रधान संपादक: दीपिका कच्छल
वरिष्ठ संपादक: कुलश्रेष्ठ कमल
संपादक: ऋतेश पाठक

संपादकीय कार्यालय
648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003
दूरभाष (प्रधान संपादक): 24362971
संयुक्त निदेशक (उत्पादन): वी के मीणा
संपादक (प्रसार एवं विज्ञापन):
गोपाल के एन चौधरी
आवरण: गजानन पी धोपे

पत्रिका मंगवाने, सदस्यता, नवीकरण, पत्रिका न मिलने की शिकायतों, पुराने अंक मंगवाने के लिए pdjucir@gmail.com पर ईमेल करें या संपर्क करें- दूरभाष: 011-24367453

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्रों पर भी संपर्क किया जा सकता है। साथ ही हमारी वेबसाइट तथा योजना हिन्दी के फेसबुक पेज पर भी संपर्क किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें–

संपादक (प्रसार एवं विज्ञापन)
प्रसार एवं विज्ञापन अनुभाग प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 48-53 भूतल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003

- योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।
- योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।
- प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।
- योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

इस अंक में

- संपादकीय 7
- विशेष आलेख
  डिजिटलीकरण के जरिये विकास
  अमिताभ कांत 9
- सरकार का प्रयास : विकास बने जनांदोलन
  राजीव आहूजा 13
- फोकस
  महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा कवच
  राकेश श्रीवास्तव 19
- स्वच्छता के लिए समग्र प्रयास
  परमेश्वरन अय्यर 23
- नए दौर के कौशल से रोजगार के अवसर
  जतिंदर सिंह 29
- कर प्रणाली में सुधार
  टी एन अशोक 35
- जन-जन तक जरूरी और सस्ती दवाइयों की पहुंच
  बिप्लब चटर्जी 41
- कृषि क्षेत्र में समग्र पहल : 'हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना' 45
- कृषि सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है सरकार 49
- गांवों को सबल बनाने का बहुआयामी अभियान
  एम चिन्नादुरई
  के आर अशोक 51
- विदेश नीति : नये आयाम
  रहीस सिंह 57
- अंतरराष्ट्रीय योग दिवस
  सिद्धर योगम्
  आर एस रामास्वामी 63
- क्या आप जानते हैं? 67
- पुस्तक परिचय 70

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

शहर	पता	पिनकोड	दूरभाष
नयी दिल्ली	सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाडिगुड़ा सिकंदराबाद	50080	040-27535383
बंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	061-22683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2225455
अहमदाबाद	अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर	380007	079-26588669
गुवाहाटी	मकान सं. 4, पेंशन पारा रोड, गुवाहाटी	781003	030-2665090

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित

आपकी राय

पोषण योजनाओं के बारे में बेहतर जानकारी

योजना का मई, 2018 का अंक पढ़ने का मौका मिला। इस बार का अंक 'पोषण' पर केंद्रित है। योजना में जहां पोषण को लेकर सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी मिली वहीं कुपोषण की भयावह स्थिति का भी पता चला। अपने देश में खासतौर से मां और बच्चों के कुपोषण की चुनौतियां अब भी राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में बेहद चिंता का विषय है। यह मामला मौजूदा सरकार की नीतियों की प्राथमिकता के मामले में अहम है। अपने देश में 4 करोड़ नाटे लोग हैं जबकि 1.7 करोड़ बेहद कमजोर बच्चे (5 साल से कम के) हैं।

पर्याप्त मात्रा में भोजन या जरूरी पोषण नहीं मिलने से कुपोषण की समस्या पैदा होती है। कुपोषण का मतलब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर होना है। भोजन की उपलब्धता में क्षेत्रीय स्तर पर असमानता रहने और खान-पान की अलग-अलग आदतों के कारण, अलग-अलग तरह की कुपोषण की समस्याएं पैदा हुई हैं। यह शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है। ऐसे में इस चुनौती से निपटने के लिए स्थानीय निवेश और बड़े पैमाने पर मानव संसाधनों के निवेश के साथ क्षेत्र आधारित कार्य योजना की जरूरत है।

यह संतोषजनक बात है कि कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए केंद्र और राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के अलग-अलग मंत्रालय और विभाग अपने-अपने स्तर पर काम करते हैं। इस तरह की योजना को लागू करने के लिए राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सबसे उच्च स्तर की एजेंसियां हैं। ऐसे में कुपोषण की चुनौती से असरदार तरीके से निपटने के लिए सभी संबंधित इकाइयों के बीच समन्वय बनाने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने पोषण अभियान के लिए कुपोषण राष्ट्रीय परिषद और कार्यकारी समिति का गठन किया है, जिसके जरिए केंद्र सरकार

रोचक जानकारियां

योजना के मई 2018 के अंक पर प्रतिक्रिया देने से पूर्व मैं योजना की संपादक टीम के साथ तमाम पाठकों को सहर्ष सूचित करना चाहता हूं कि हाल में घोषित सिविल सेवा 2017 के अंतिम परिणाम में मुझे भी सफल घोषित किया गया है (रैंक 817)। मैं इसके लिए योजना की सम्पादन टीम के साथ-साथ योजना के तमाम लेखकों का हृदय से आभारी हूं। इस पत्रिका का काफी पुराना पाठक हूं और पिछले कुछ माह से लगातार मेरे पत्र इसमें प्रकाशित होते रहे हैं। योजना हिंदी कुशल संपादन, उत्कृष्ट लेखों के चलते अतुलनीय है।

पोषण पर केंद्रित योजना का मई 2018 अंक महत्वपूर्ण व संग्रहणीय अंक है। भारत एक ओर सबसे युवा आबादी वाला देश है तो दूसरी तरफ हमारे देश में विश्व की कुपोषित जनसंख्या का भी सर्वाधिक बड़ा हिस्सा रहता है। ऐसे में जब तक हम कुपोषण की समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं करेंगे तब तक 'डेमोग्राफिक डिविडेंड' का फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान से पोषण अभियान की शुरुआत कर इस दिशा में सटीक, कारगर कदम उठाया है। राकेश श्रीवास्तव जी के लेख में इस संदर्भ में तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। स्वामीनाथन जी ने अपने लेख में पोषण मिशन से जुड़ी तमाम चुनौतियों व उपलब्ध समाधानों पर विमर्श किया है। 'क्या आप जानते हैं' व 'बदलता भारत' के तहत 4 लेख पत्रिका को स्तरीय व बेजोड़ बनाते हैं।

– **आशीष कुमार**, उन्नाव, उत्तर प्रदेश

इस दिशा में सम्मिलन का लक्ष्य हासिल करेगी और राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर सम्मिलन कार्य योजना को लागू की जाएगी।

कुपोषण की समस्या पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती है और यह कई चीजों पर निर्भर है। मसलन नवजात और छोटे बच्चों के स्तनपान का प्रचलन, बचाव, संस्थागत डिलीवरी, बचपन की शुरुआती अवस्था में विकास, खान-पान की मजबूती, कृमि से मुक्ति, पीने के शुद्ध पानी की उपलब्धता और उचित साफ-सफाई, खान-पान की विविधता और अन्य संबंधी चीजें। कद नहीं बढ़ने, कम वजन (खासतौर से बच्चों में) आदि समस्याओं से निपटने के लिए निरंतर प्रयास की जरूरत है। इसके लिए कई स्तरों पर काम करना होगा और जमीनी स्तर पर तालमेल और समन्वय की जरूरत होगी।

– वंदना झा
सचिव, अंग मदद फाउंडेशन
चंपानगर, भागलपुर

कुपोषण राष्ट्रीय समस्या है इससे प्राथमिकता के आधार पर निपटें

योजना के मई 2018 अंक में पोषण और कुपोषण से संबंधित बहुत-सी दुर्लभ जानकारियां मिलीं। भारत में पांच वर्ष तक के चार करोड़ से भी अधिक बच्चे अविकसित हैं, जबकि एक करोड़ सत्तर लाख से भी अधिक बच्चे कमजोर हैं। यह सही है कि पिछले एक दशक के दौरान देश में एंथ्रोपोमैटिक उपायों में सुधार हुआ है इसके बावजूद बच्चों में कुपोषण का स्तर दुनिया में सबसे अधिक है।

विकास के लिए किसी भी देश की जनसंख्या का स्वास्थ्य बहुत मायने रखता है। सरकार के कई कार्यक्रमों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आने वाले वर्षों में उसके पास प्रशिक्षित श्रमशक्ति उपलब्ध है या नहीं। देश की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के मद्देनजर पोषण कार्यक्रम को स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जोड़ने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पोषण नीति को बच्चे के जीवन के पहले एक हजार दिनों को लक्षित करना चाहिए। भारत ने राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में आशाजनक प्रतिबद्धता दिखाई है, जो देश के बच्चों और माताओं के कुपोषण की समस्या से निपटने में मदद करेगा।

अपने देश में न केवल बच्चे बल्कि वयस्क भी कुपोषित हैं। 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की आबादी में 23 फीसदी महिलाएं तो बीस फीसद पुरुष अपेक्षाकृत दुबले हैं, जबकि 21 फीसदी महिलाएं और 19 फीसदी पुरुष अधिक वजन या मोटापा से जूझ रहे हैं। गरीब परिवार और अनपढ़ माताओं के बच्चे कुपोषण दोषों से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। एक और बात कि भारत में बाल विवाह विरोधी कानून होने के बावजूद हर चौथी लड़की 18 साल से कम उम्र में ब्याह दी जाती है। ऐसी अवयस्क महिलाओं की होने वाली संतानों में कुपोषण दोष का खतरा बढ़ जाता है। देश में तीस फीसदी बच्चे अल्पपोषित अवस्था में पैदा होते हैं। इस तरह हर साल 70 लाख कुपोषित बच्चे जुड़ते चले जाते हैं।

संविधान के मुताबिक देश की जनता का पोषण और जीवन स्तर में वृद्धि करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना सरकार का दायित्व है। हालांकि सरकार की ओर से कुपोषण दूर करने के प्रयास किए गए हैं लेकिन इसके लिए आम जनता में भी अपने सेहत के प्रति जागृति आना जरूरी है। गरीबी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ-सफाई और पोषण संबंधी विभिन्न सरकारी योजनाओं में तालमेल और समावेशी दृष्टिकोण व एकजुटता जरूरी है। कुपोषण को 'राष्ट्रीय समस्या' करार देकर इसे दूर करने का चौतरफा प्रयास करना होगा।

– दोलन राय
औरंगाबाद, महाराष्ट्र

विकास के लिए स्वस्थ नागरिक आवश्यक

योजना के पोषण अंक के संपादकीय में अधिकांश आलेखों का सार संक्षेप दिया गया है जो स्वागत योग्य है। वास्तव में किसी भी देश के विकास के लिए स्वस्थ नागरिक अति आवश्यक है चाहे वे किसी भी क्षेत्र में कार्य क्यों न करते हों। सरकार ने विभिन्न पोषण कार्यक्रम प्रारंभ किये हैं जो सराहनीय है और देश के विकास के लिए आवश्यक है किन्तु उनकी सफलता उनके क्रियान्वयन पर निर्भर है।

भौगोलिक कारणों से कुछ क्षेत्रों में कुपोषण अधिक है। कुपोषित जिलों को चिन्हित किया जाना उचित कदम है। बायोफोर्टीफाइड पौधों के जेनेटिक गार्डन कार्यक्रम कुपोषण दूर करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

– विश्वनाथ सिंहानिया
मालवीय नगर, जयपुर

योजना
आगामी अंक

जुलाई 2018

उदीयमान भारत

आपकी राय व सुझावों की प्रतीक्षा है...

अब उपलब्ध

भारत 2018

भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की जानकारियों से परिपूर्ण पुस्तक

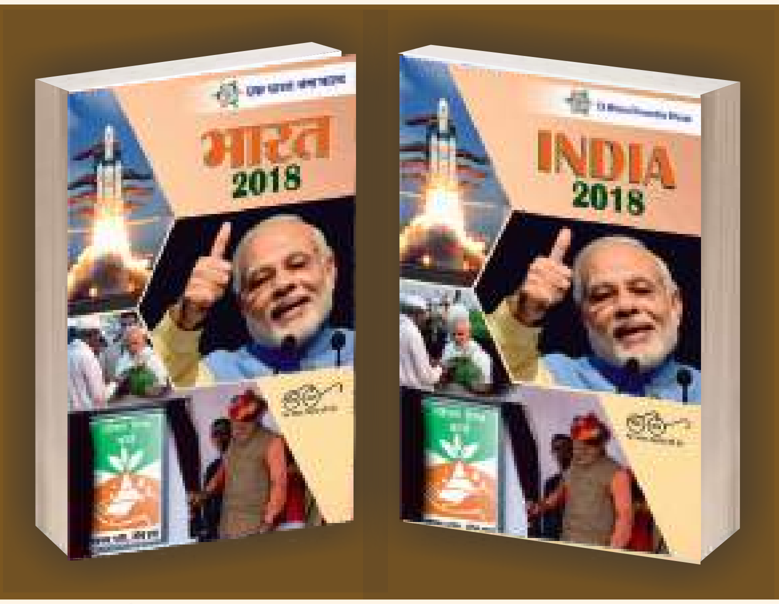

amazon.in और play.google.com पर
'ई बुक' के रूप में भी उपलब्ध

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
भारत सरकार

सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

ऑनलाइन आर्डर के लिए
लॉग इन करें – www.bharatkosh.gov.in
या www.publicationsdivision.nic.in
अथवा संपर्क करें –
फोन – 011 24367453, 24367260, 24365609

प्रकाशन विभाग की अत्याधुनिक पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन में पधारें

@ DPD_India

www.facebook.com/publicationsdivision
www.facebook.com/yojanaJournal

संपादकीय

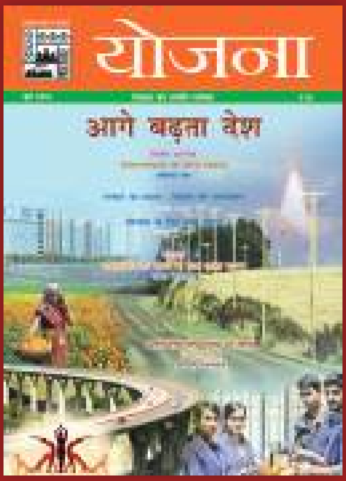

विकास का एजेंडा

पुरातन काल से ही हर अच्छे शासक की आकांक्षा रही है कि उनका साम्राज्य हमेशा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता के शासक हों या फिर मिस्र, रोमन, यूनानी या मेसोपोटामिया सभ्यताओं की बात हो, सभी जगहों पर ऐसा देखा जा सकता है। उस दौर के बाद के वक्त में अकबर, कृष्णदेव राय, चंद्रगुप्त मौर्य, टीपू सुल्तान आदि राजाओं ने भी अपने साम्राज्य के बेहतर शासन के लिए अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने की कोशिश की। ये सभी शासक अपने साम्राज्य की समृद्धि के लिए प्रजा के सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक विकास की अहमियत को समझते थे। देश के वास्तविक विकास के लिए आज कई मॉडलों पर विचार किया जा रहा है। आज विकास को सिर्फ किसी देश के आर्थिक विकास के लिहाज से नहीं आंका जाता है, बल्कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और किसानों के कल्याण, कौशल विकास और युवाओं के लिए रोजगार के मौके जैसे मानकों को भी शामिल किया जाता है।

भारत सरकार भी देश के विकास को बढ़ावा देने की अपनी कोशिशों में पीछे नहीं है। देश में मौजूदा मंत्र फिलहाल समग्र विकास का है, ताकि विकास का फायदा सबसे गरीब लोगों तक पहुंच सके। इस मंत्र को सुनिश्चित करने के हिसाब से ही सरकार की नीतियां भी बनाई गई हैं। अर्थव्यवस्था से शुरुआत करते हुए सरकार ने जीएसटी और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार जैसे कदमों के जरिये कर ढांचे को तर्कसंगत बनाया है। जीएसटी देश में अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार है, जो देश में कर संग्रह का दायरा बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। कर सूचना नेटवर्क (टीआईएन), इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न मंजूरी और एकीकरण प्रणाली (ईआरएसीएस) ई-सहयोग आदि ने प्रत्यक्ष कर प्रणाली को आसान बनाया है। दुनिया का डिजिटलीकरण हो रहा है। ऐसे में क्या भारत पीछे रह सकता है? बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और डेटा एनालिटिक्स के जरिये विभिन्न सेक्टरों में डिजिटल तकनीक को तेजी से अपनाए जाने से सरकारी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और इसे लागू करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली, ई-मार्केटप्लेस, भीम ऐप के जरिये डिजिटल भुगतान संबंधी लेनदेन आदि के कारण नए इंटरफेस के जरिये सरकार की सक्रियता बढ़ रही है।

स्वच्छ भारत मिशन वास्तव में जन आंदोलन की शक्ल अख्तियार कर चुका है। सरकार के इस बेहद अहम व फ्लैगशिप कार्यक्रम को लेकर प्रतिक्रिया काफी जबरदस्त रही है। 2 अक्तूबर 2014 से अब तक 7.1 करोड़ घरों में शौचालयों का निर्माण हो चुका है। अक्तूबर 2014 में जहां गांवों में साफ-सफाई की पहुंच का आंकड़ा 39 फीसदी था, वहीं अब यह दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 83 फीसदी पर पहुंच चुका है। स्वास्थ्य सेवाएं विकास का एक और अहम पहलू हैं। वाजिब कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली दवाएं मिलना गरीबों के लिए चुनौती रही है। देश भर में प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के मौजूद केंद्रों के जरिये इस चुनौती से निपटने की कोशिश की गई है। कमजोरों की सुरक्षा करना सरकार के एजेंडे में बेहद अहम रहा है। इसकी शुरुआत लड़कियों को लेकर लोगों का नजरिया बदलने की कोशिश के साथ की गई है। इस संबंध में *'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'* और जेंडर चैंपियन जैसे अभियान शुरू किए गए हैं। तकलीफ के दौर से गुजर रहीं महिलाओं और बच्चियों के लिए हेल्पलाइन बनाई गई है। साथ ही, हिंसा की शिकार लड़कियों और औरतों के लिए पुनर्वास का इंतजाम किया जा रहा है। इन तमाम पहल के जरिये सरकार ने हमेशा यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि भारत में हर महिला और बच्चे भयमुक्त माहौल में रह सकें और राष्ट्रीय विकास में योगदान करने की हसरत रखें।

देश के विकास के लिए गांवों का विकास बेहद अहम है। सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं मसलन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि के जरिये किसानों के कल्याण और उनकी आमदनी को दोगुना करने जैसे मुद्दों को हल करने की कोशिश की है। साथ ही, इन योजनाओं के जरिये गांव और शहर के बीच खाई को भी पाटने का प्रयास किया गया है। विकास कभी संयोगवश नहीं होता, यह लोगों के साथ मिलकर काम करने का नतीजा होता है। और भारत में लोग देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ❑

अभिव्यक्ति IAS क्लासेज

Also known as Abhivyakti Civil Services

Under the Guidance of Sunil Sir

संपादक | लेखक | डायरेक्टर *(Abhivyakti)*

काम्पैक्ट– काम्बो (निबंध – नीतिशास्त्र)

निबंध

मुख्य आकर्षण

खण्डवार सभी विषयों की विस्तृत कक्षायें जैसे-

- लिंगगत मुद्दे – 5 लेक्चर + टेस्ट
- सामाजिक मुद्दे – 3 लेक्चर + टेस्ट
- भारतीय संस्कृति – 2 लेक्चर + टेस्ट
- आर्थिक मुद्दे – 4 लेक्चर + टेस्ट
- राजनीतिक मुद्दे – 4 लेक्चर + टेस्ट
- सूक्तिपरक निबंध – 5 लेक्चर + टेस्ट
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध – 2 लेक्चर + टेस्ट
- पर्यावरण एवं धारणीय विकास – 2 लेक्चर + टेस्ट
- प्रौद्योगिकी एवं नवाचार – 2 लेक्चर + टेस्ट
- गवर्नेंस एवं सामाजिक न्याय – 2 लेक्चर + टेस्ट
- आपदा प्रबंधन – 2 लेक्चर + टेस्ट
- सुरक्षा – 2 लेक्चर + टेस्ट

10 जून 9AM 45+ लेक्चर +12 टेस्ट

निबंध को पढ़ाने में सुनील सर की विशेषज्ञता के अनुभव का लाभ उठाए

मुख्य आकर्षण नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा – प्रश्न पत्र IV

- UPSC द्वारा निर्धारित सेलेबस के अनुसार
- यूनिट वर यूनिट सभी टॉपिकों का विस्तृत एवं तार्किक विवेचन
- प्रतिदिन पढ़ायी गयी यूनिट का टेस्ट
- केस स्टडी पर विशेष फोकस क्योंकि यहाँ से अंकगणित की तरह अधिकतम अंक प्राप्त किये जा सकते है। लगभग 25+ लेक्चर केस स्टडी

10 जून 7AM

45+ लेक्चर 12+ टेस्ट

वर्ष 2013 से ही प्रश्न पत्र 4 को पढ़ाने में सुनील सर की विशेषज्ञता के अनुभव का लाभ उठायें

हिन्दी साहित्य

मुख्य परीक्षा 2018 द्वारा सुनील सर

Regular Answer Writing Class | नियमित उत्तर लेखन क्लास

बैच प्रारम्भ **10 जून 12 PM**

सामान्य अध्ययन

Regular Answer Writing Batch

बैच प्रारम्भ **10 जून 6 PM**

संपूर्ण सामान्य-अध्ययन

फाउंडेशन कोर्स 2019

बैच प्रारम्भ **25 जून 4 PM**

अभिव्यक्ति IAS क्लासेज

M-3, Mezzanine Floor, A-37-38-39, Ansal Building, Near Satal Diary, Dr. Mukherjee Nagar

Delhi 011-45870971, 9871385211, 9582750926

YH-825/2018

डिजिटलीकरण के जरिये विकास

अमिताभ कांत

वर्षों तक भारत एक जटिल देश रहा है, जिसके कारण आम आदमी के लिए सरकारी सुविधाओं की उपलब्धता हासिल करना मुश्किल रहा है। तमाम क्षेत्रों में तेजी से डिजिटल तकनीक को अपनाए जाने से चीजें आसान हो रही हैं और मानवीय हस्तक्षेप के तमाम तरीके खत्म हो रहे हैं। इसका (डिजिटल तकनीक का) शासन प्रणाली की दक्षता और प्रभाव पर व्यापक असर हुआ है

दुनिया तेजी से डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ रही है। चाहे उद्यमों के जरिये उत्पाद बनाने और उसे बचने का मामला हो, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की बात हो या सरकार द्वारा नागरिकों को सामाजिक सेवाएं प्रदान करना हो, तमाम जगहों पर यह प्रक्रिया हावी है। बड़े पैमाने पर और शानदार रफ्तार से डिजिटल डेटा के उत्पादन, डेटा स्टोरेज की घटती कीमत और बेहतर कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण डिजिटलीकरण अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है और इसे अब चौथी औद्योगिक क्रांति का नाम दिया जा रहा है। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने डिजिटल इंडिया की बदलावकारी संभावनाओं की पहचान की है और इन प्रौद्योगिकियों को सक्रियता से अपनाना शुरू किया है।

भारत में पिछले कुछ साल में बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और डेटा एनालिटिक्स के जरिये शासन प्रणाली को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। दरअसल, प्रौद्योगिकी सरकार के कार्यक्रमों की रूपरेखा और अमल को नई शक्ल दे रही है। प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के कारण सिस्टम में बेहतरी आई है, दक्षता बढ़ी है और शासन प्रणाली पर इसका गहरा असर दिखना शुरू हो गया है।

सरकार ने कुछ बड़े और छोटे ई-गवर्नेंस और डिजिटलीकरण कार्यक्रमों को शुरू किया, जिन सबको बाद में 'डिजिटल इंडिया' अभियान के दायरे में लाया गया। 'मोबाइल' और 'क्लाउड' जैसे नए प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाए जाने के कारण और 'ई-क्रांति के तहत 31 मिशनकारी परियोजना: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान 2' की शुरुआत के बाद डिजिटल इंडिया अभियान को फिर से तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत महसूस की गई। 'गवर्नेंस (शासन प्रणाली) को बदलने के लिए ई-गवर्नेंस को बदलना' के नारे के साथ इस पर फिर से फोकस करने की बात हुई। ई-गवर्नेंस की सभी परियोजनाएं अब ई-क्रांति के अहम सिद्धातों का पालन करती हैं- मसलन 'अनुवाद नहीं, बदलाव', 'एकीकृत सेवाएं, न कि निजी सेवाएं', 'हर एमएमपी में गवर्नमेंट प्रोसेस रीइंजीनियरिंग (जीपीआर) जरूरी होगा', 'मांग आधारित आईसीटी अवसंरचना', 'क्लाउड बाय डिफॉल्ट', 'मोबाइल फर्स्ट', 'मंजूरी की प्रक्रिया को तेज करना', 'भाषा का स्थानीयकरण', 'राष्ट्रीय जीआईएस', 'सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक डेटा संरक्षण'।

लेखक नीति आयोग के सीईओ हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य श्री कांत 'ब्रांडिंग इंडिया-एन इनक्रेडिबल स्टोरी' किताब के लेखक भी हैं और वह 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्टअप इंडिया', 'इनक्रेडिबल इंडिया', 'गॉड्स ओन कंट्री जैसी पहल के सूत्रधार भी रहे हैं। टैक्सी ड्राइवरों, गाइड और आव्रजन अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और उन्हें पर्यटन विकास प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए उन्होंने 'अतिथि देवो भव:' का आइडिया तैयार कर इस पर अमल किया। ईमेल: amitabh.kant@nic.in

भारत सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में मौजूद अवैध लाभार्थियों की संख्या को कम करने और सामाजिक फायदों को प्रभावकारी बनाने के लिए बायोमेट्रिक पहचान सिस्टम के इस्तेमाल और वित्तीय समावेशन अभियान को मिला दिया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली (डीबीटी) को 437 योजनाओं में लागू किया गया और इससे अब तक 83,000 करोड़ रुपये की बचत करने में मदद मिली है। इस सिस्टम के अमल से 2.27 करोड़ फर्जी और गड़बड़ राशन कार्ड को हटाया जा रहा है और 3.85 करोड़ फर्जी और निष्क्रिय उपभोक्ताओं को एलपीजी सब्सिडी के फायदे के दायरे से अलग किया जा रहा है।

वित्तीय समावेशन की राह की ओर

पहले की सरकारें जिस तरह से काम करती थीं, यह उसके बिल्कुल उलट है। केरल में अपने कार्यकाल के दौरान मुझे मत्स्य क्षेत्र में काम करने का मौका मिला। मेरा काम पारंपरिक मछुआरों की आजीविका को बेहतर बनाना था। इस क्षेत्र में बिचौलियों की भरमार थी और मछुआरों को मछली के बाजार मूल्य का महज 25 फीसदी मिलता था।

सरकार ने सहायता समूह तैयार किया और मछुआरों को नई प्रौद्योगिकी मुहैया कराई। उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए फाइबरग्लास क्राफ्ट, आउटबोर्ड मोटर और मछली पकड़ने का बेहतर जाल उपलब्ध कराया गया। समुद्री स्तर पर ही नीलामी की प्रणाली भी शुरू की गई, ताकि रोजाना मछली पकड़ने से होने वाली उनकी कमाई उनके बैंक खातों में जमा हो सके। सबसे बड़ी चुनौती मछुआरों के लिए बैंक खाते खुलवाना थी। बैंक मैनजरों से संपर्क साधकर इस काम को करवाने में 10 महीने का वक्त लगा। केवाईसी की प्रक्रिया का मामला डरावना सपना जैसा था।

लेकिन पिछले महीने जब मैं बैंक की एक शाखा में गया तो मेरे इस अनुभव के उलट मेरे हाथ के सहारे मेरी बायोमेट्रिक का इस्तेमाल कर महज एक मिनट में मेरा खाता खुल गया। इस बाबत प्रक्रिया का वक्त 10 महीने से घटकर 1 मिनट होना अहम बदलाव है।

जेएएम (जन धन-आधार-मोबाइल) की तिकड़ी देश की विभिन्न सेवाओं के लिए बुनियादी डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनमें ई-केवाईसी, ई-हस्ताक्षर, तत्काल पेमेंट (यूपीआई) और फाइल स्टोरेज (डिजिलॉकर) शामिल हैं। दुनिया भर में वित्तीय समावेशन के विस्तार के लिए यह सबसे बड़ी वजह है। विश्व बैंक की तरफ से जारी वैश्विक फिनडेक्स रिपोर्ट 2017 के मुताबिक, 2014-2017 के दौरान खुले सभी बैंक खातों में 55 फीसदी खाते भारत में खोले गए। साल 2014 में देश के 53 फीसदी लोगों का बैंकों में खाता था और जन धन योजना के कारण 2017 में यह आंकड़ा बढ़कर 80 फीसदी हो गया। इस योजना के तहत 2014 से अब तक 31 करोड़ से भी ज्यादा नए बैंक खाते खुल चुके हैं।

सार्वजनिक वित्त और सार्वजनिक खरीदारी का मामला हो रहा डिजिटल

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के जरिये सभी नियोजित योजनाओं के लिए वित्तीय प्रबंधन प्लेटफॉर्म

बनाना मुमकिन हुआ है। साथ ही, बैंकों के कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस से जुड़ाव, राज्य कोषागारों का एकीकरण और निचले स्तर पर योजनाओं के अमल में रियल टाइम आधार पर फंडों के प्रवाह की निगरानी संभव हुआ है। पीएफएमएस के कारण फंडों को समय पर जारी किए जा रहे हैं और इसके इस्तेमाल का बेहतर प्रबंधन भी देखने को मिल रहा है। 28 मार्च को पीएफएमएस पोर्टल के जरिये 98 लाख सौदों के लिए 72,000 करोड़ का डिजिटल लेन-देन हुआ। यह एक दिन में हुए डिजिटल लेन-देन का रिकॉर्ड है।

प्रत्यक्ष करों के संग्रह की प्रणाली के डिजिटलीकरण से काफी फायदे हुए हैं। आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2017-18 में 6.8 करोड़ आयकर रिटर्न मिले यानि इसमें 26 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। साथ ही, एक करोड़ से भी ज्यादा नए रिटर्न दाखिल किए गए। ऐसे 98.5 फीसदी रिटर्न ऑनलाइन दाखिल किए गए।

आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली और कम वैल्यू की वस्तुओं और सेवाओं की एकल खिड़की ऑनलाइन खरीदारी प्रणाली के तहत साल 2016 में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) को शुरू किया गया। केंद्रीय सार्वजनिक खरीदारी पोर्टल ऊंचे मूल्य के आइटम (2 लाख या इससे ज्यादा) की ई-खरीदारी की सुविधा मुहैया कराता है। जीईएम सीधी खरीदारी, ई-बिडिंग, उल्टी ई-नीलामी, सरकारी यूजर्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधाएं देने के अलावा उत्पाद बिक्रीकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए गुंजाइश मुहैया कराता है। साथ ही, यह सरकारी खरीद के लिए मार्केट प्लेस भी उपलब्ध कराता है। इस साल अप्रैल के मुताबिक, पहले ही 22,000 से ज्यादा सरकारी खरीदार, 1 लाख से ज्यादा सेलर्स (बिक्रीकर्ता) और सेवा प्रदाता, 6,500 करोड़ से ज्यादा के कुल लेन-देन के साथ 231 सूचीबद्ध उत्पाद मौजूद हैं। इनमें से 44 फीसदी खरीदारी एमएसएमई के जरिये की गई है।

उपभोक्ता भुगतान के तौर-तरीकों में बदलाव

यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) ने निजी क्षेत्र द्वारा कई इनोवेटिव ऐप बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। इस तरह लोगों के लिए बिलों का भुगतान करना काफी आसान हुआ है। बीबीपीएस में भुगतान किए गए बिलों की संख्या अप्रैल 2017 के मुकाबले दोगुनी हो गई है। बीबीपीएस को पिछले साल अप्रैल में पायलट आधार पर शुरू किया गया था। संबंधित अवधि में इस प्लेटफॉर्म पर भुगतान किए गए बिलों का मूल्य तकरीबन 46 फीसदी बढ़ गया। केपीएमजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2016 के आखिर तक भारत में बिल भुगतान का बाजार 5.85 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा का था, जिनमें से 70 फीसदी बिलों का भुगतान कैश या चेक के जरिये किया जा रहा था। केपीएमजी के अनुमान के मुताबिक, साल 2020 तक भारत में बिल भुगतान का बाजार बढ़कर 9.4 लाख करोड़ हो जाने की संभावना है।

भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम) यूपीआई के कारण डिजिटल भुगतान का काम अब काफी सरल हो गया है। हम गूगल तेज और वॉट्सऐप पेमेंट के आगमन को पहले ही देख चुके हैं। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान भारत में संख्या के हिसाब से डिजिटल पेमेंट लेन-देन में एक अरब से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई, जबकि मूल्य के हिसाब से बढ़ोतरी का यह आंकड़ा एक लाख करोड़ से भी ज्यादा रहा। नए खिलाड़ियों और नई प्रौद्योगिकी के साथ इसमें उथल-पुथल का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। क्रेडिट सुईस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 तक भारत के डिजिटल पेमेंट का आंकड़ा 1 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाने का अनुमान है।

राजकोषीय तंत्र का डिजिटलीकरण

प्रत्यक्ष करों के संग्रह की प्रणाली के डिजिटलीकरण से काफी फायदे हुए हैं। आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2017-18 में 6.8 करोड़ आयकर रिटर्न मिले यानि इसमें 26 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। साथ ही, एक करोड़ से भी ज्यादा नए रिटर्न दाखिल किए गए। ऐसे 98.5 फीसदी रिटर्न ऑनलाइन दाखिल किए गए।

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को लागू किए जाने से अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में 50 फीसदी की बढ़ोतरी (जीएसटी से पहले दौर के मुकाबले) हुई। इससे 34 लाख नए अप्रत्यक्ष करदाता बने और बड़े पैमाने पर लोग अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से जुड़े।

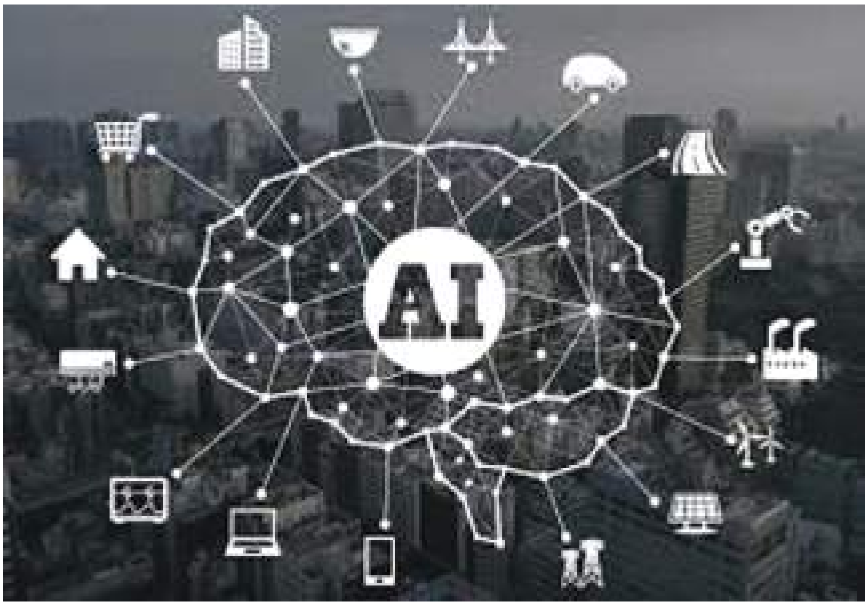

डिजिटल प्रणाली के जरिये शासन और निगरानी

प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के जरिये प्रगति अभियान के तहत परियोजनाओं पर तेजी से काम सुनिश्चित करने में भौगोलिक सीमाओं और विभागीय अड़चनों को आड़े नहीं दिया है। अटकी पड़ी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं और अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं की निगरानी और देखरेख के लिए भी प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर केंद्र और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद कायम किया है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये प्रगति की 25 बैठकों में हिस्सा लिया और 10.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की 227 परियोजनाओं को मंजूरी दी।

हाल में प्रस्तावित आयुष्मान भारत योजना के तहत प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को डिजिटल तौर पर जिला अस्पतालों से जोड़ा जाएगा। इससे 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा के साथ कैशलेस, पोर्टेबल स्कीम के जरिये स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इस स्वास्थ्य बीमा के दायरे में 50 करोड़ लोग होंगे।

आधुनिकतम प्रौद्योगिकियों का असर

एक्सेंचर के विश्लेषण के मुताबिक, साल 2035 तक देश की अर्थव्यवस्था में आर्टफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) 957 अरब डॉलर के मौजूदा सकल मूल्य का 15 फीसदी तक योगदान कर सकता है। भारत के पास अपनी तरह की चुनौतियां हैं, जिन्हें कृत्रिम मेधा के उपयोग से दूर किया जा सकता है। इसके अलावा, माइक्रोसॉफ्ट-इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन (आईडीसी) की हालिया स्टडी में कहा गया है कि डिजिटल बदलाव से 2021 तक भारत की जीडीपी में 154 अरब डॉलर का इजाफा होगा और इसकी वृद्धि दर में सालाना 1 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। पिछले साल यानि 2017 में देश की जीडीपी का तकरीबन 4 फीसदी हिस्सा डिजिटल उत्पादों और सेवाओं से हासिल किया गया। ये उत्पाद और सेवाएं सीधे तौर पर क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से तैयार हुई थीं।

केंद्र सरकारी योजनाओं में नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और इसकी संभावनाओं का विकल्प तलाश रहा है। नीति आयोग को कृत्रिम मेधा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है और आयोग मंत्रालयों, अकादमिक हलकों, उद्योग जगत, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के साथ बातचीत कर रहा है। प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और शासन प्रणाली के लिए इसकी उपयोगिता, इससे जुड़े जोखिम और भविष्य में इसके विकास की राह को समझने के लिए यह एक अच्छी कोशिश है। इसके अलावा, आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के फायदे के आकलन और उसे प्रदर्शित करने के लिए नीति आयोग ने राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में इन प्रौद्योगिकियों पर अमल का काम शुरू किया है। इन्हें प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट (पीओसी) परियोजना कहा जाता है और कृषि, जमीन के रिकॉर्ड, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में कृत्रिम मेधा का इस्तेमाल कर इनका परीक्षण किया जा रहा है। इन पीओसी का लक्ष्य समस्याओं को हल करने में प्रौद्योगिकी के असर का परीक्षण करना है।

वर्षों तक भारत एक जटिल देश रहा है, जिसके कारण आम आदमी के लिए सरकारी सुविधाओं की उपलब्धता हासिल करना मुश्किल रहा है। तमाम क्षेत्रों में तेजी से डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने से चीजें आसान हो रही हैं और मानवीय हस्तक्षेप के तमाम तरीके खत्म हो रहे हैं। इसका (डिजिटल प्रौद्योगिकी का) शासन प्रणाली की दक्षता और प्रभाव पर व्यापक असर हुआ है। ❑

जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018 को मंजूरी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018 को मंजूरी दे दी है।

नीति में गन्ने का रस, चीनी वाली वस्तुओं जैसे चुकन्दर, स्वीट सौरगम, स्टार्च वाली वस्तुएं जैसे - भुट्टा, कसावा, मनुष्य के उपभोग के लिए अनुपयुक्त बेकार अनाज जैसे गेहूं, टूटा चावल, सड़े हुए आलू के इस्तेमाल की अनुमति देकर इथनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल का दायरा बढ़ाया गया है।

अतिरिक्त उत्पादन के चरण के दौरान किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलने का खतरा होता है। इसे ध्यान में रखते हुए इस नीति में राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की मंजूरी से इथनॉल उत्पादन के लिए पेट्रोल के साथ उसे मिलाने के लिए अतिरिक्त अनाजों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है।

नीति गैर-खाद्य तिलहनों, इस्तेमाल किए जा चुके खाना पकाने के तेल, लघु गाभ फसलों से जैव डीजल उत्पादन के लिए आपूर्ति श्रृंखला तंत्र स्थापित करने को प्रोत्साहन दिया गया।

भारत में जैव ईंधनों का रणनीतिक महत्व है क्योंकि ये सरकार की वर्तमान पहलों मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, कौशल विकास के अनुकूल है और किसानों की आमदनी दोगुनी करने, आयात कम करने, रोजगार सृजन, कचरे से धन सृजन के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। भारत का जैव ईंधन कार्यक्रम जैव ईंधन उत्पादन के लिए फीडस्टॉक की दीर्घकालिक अनुपलब्धता और परिमाण के कारण बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है। ❑

सरकार का प्रयास : विकास बने जनांदोलन

राजीव आहूजा

वास्तव में सुधारों/कार्यक्रमों की सूची काफी लंबी है। सरकार ने प्रमुख तौर पर लोक-लुभावन वादों से परहेज किया है। उसने वैसे लोक-लुभावन वादों का सहारा नहीं लिया है, जिससे विकास की उपेक्षा होती है। समाज के तकरीबन सभी तबकों, सभी आयु वर्गों और बाकी क्षेत्रों के लिए सुधार/ कार्यक्रम हैं। ऐसा करते हुए वह विकास और राजनीति के बीच घालमेल को काफी कम करने में सफल रही है

केंद्र सरकार ने हाल में कहा है कि उसके एजेंडे के तीन अहम पहलू हैं- विकास, तेज विकास और सर्वांगीण विकास। सूत्रों के मुताबिक, एक और संदर्भ में सरकार ने यह भी कहा है कि विकास को जन आंदोलन बनाना मौजूदा वक्त की जरूरत है।

इस बात को लेकर काफी कम लोग असहमत होंगे कि केंद्र की मौजूदा सरकार ने जिस तरह से विकास को भारतीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है, वैसा पहले कभी देखने को नहीं मिला था। विकास और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के मकसद से मौजूदा सरकार ने कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इनमें जन धन योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, मुद्रा बैंक योजना, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत आदि शामिल हैं, कार्यक्रमों की सूची यहीं पर नहीं ठहरती, इसकी सूची काफी लंबी है। मोदी सरकार द्वारा पिछले 4 साल में शुरू किए गए कई कार्यक्रमों के बारे में एक आम आदमी क्या सोचता है?

एक आसान तरीका विभिन्न सुधारों/ कार्यक्रमों को आर्थिक वृद्धि और बदलाव के औजार की तरह देखने का है। हालांकि, इसके लिए गुंजाइश सीमित है, लेकिन यह तरीका उपयोगी नजरिया प्रदान करता है।

इस नजरिये के हिसाब से कोई इन सुधारों/कार्यक्रमों को तीन मुख्य श्रेणियों में बांट सकता है: (1) वैसे कार्यक्रम जिनसे तुरंत लाभ हुआ है (2) वैसी योजनाएं, जिनसे लंबी से मध्यम अवधि में फायदा होने की बात की गई है और (3) वे कार्यक्रम जिन पर छोटी अवधि में लागत लगाने से बाद में अहम लाभ हो सकता है। 'तुरंत लाभ' वाली योजनाओं में देश में डॉक्टरों की कमी की समस्या से निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के सभी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की उम्र में बढ़ोतरी और किसानों की आमदनी बढ़ाने के मकसद से गैर-जंगली इलाकों में बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए इसे भारतीय वन अधिनियम की सूची से हटाने जैसे मामले शामिल हैं। जिन कदमों से मध्यम से लंबी अवधि में फायदा होगा, उनमें देश के अलग-अलग राज्यों/ हिस्सों में एम्स जैसे नए अस्पताल खोलना, बुलेट ट्रेन की शुरुआत आदि हैं। इसी तरह, वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) और बड़े नोटों के विमुद्रीकरण जैसे ढांचागत सुधार आदि ऐसे सुधार के उदाहरण हैं, जिनसे कुछ समय के लिए दिक्कत हुई, लेकिन बाद में इससे जबरदस्त फायदा होने की संभावना है।

आर्थिक जानकारों की राय

इस संबंध में एक और उपयोगी नजरिया सरकार के विभिन्न आर्थिक सुधारों/ कार्यक्रमों को अर्थशास्त्रियों के चश्मे से देखने का हो सकता है: वैसे सुधार/कार्यक्रम जो बाजार की असफलता से निपटते हैं या निपटेंगे और वे जो सरकार की नाकामी को दुरुस्त कर रहे हैं या करेंगे। बाजार की अर्थव्यवस्था के बड़े-बड़े पैराकार भी मानते हैं कि कभी-कभी ऐसी स्थिति आती है, जब बाजार का तंत्र धराशायी हो जाता है। ऐसे में सरकारी हस्तक्षेप मुहैया कराने की जरूरत होती है। चाहे सार्वजनिक हित के लिए प्रावधान की बात हो, या कंपनियों की उन गतिविधियों पर अंकुश लगाने का मामला, जिसके तहत वे बाजार में अपनी

लेखक विकास अर्थशास्त्री हैं और उन्हें डेवलपमेंट सेक्टर में 15 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। उनकी हालिया नौकरी बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) में थी। वे यूएनडीपी, आईएलओ, डीएफआईडी और हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में सलाहकार की भूमिका भी निभा चुके हैं। ईमेल: ahujaahuja@yahoo.com.

दबदबे की स्थिति का बेजा फायदा उठाती हैं, सरकार की नजर जरूरी है। साथ ही, मैक्रो-आर्थिक स्थिरता की सुरक्षा या कम मांग के कारण बाजार 'नहीं होने' या कुछ अन्य परिस्थितियों में भी यह जरूरी है।

बाजार की असफलता से निपटना

मौजूदा सरकार अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं को तेजी से बढ़ावा दे रही है। केंद्र सरकार न सिर्फ नई परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है, बल्कि उसने पिछली सरकारों के दौर में अटकी हुई परियोजनाओं को भी शुरू किया है। यह इस हिसाब से सार्थक है कि यह सार्वजनिक हित के मद्देनजर बाजार की असफलता जैसी चुनौती से निपटता है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का संस्थापक सदस्य होने के नाते मौजूदा सरकार ने वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक हितों को तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाई है।

चाहे डिजिटल सौदों को जोरदार तरीके से बढ़ावा देने की बात हो या राष्ट्रीय पोषण मिशन पर नए सिरे से जोर देने का मामला या स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत, इन तमाम

अभियानों का मकसद सकारात्मक नतीजा हासिल करना है यानी ऐसी हर पहल विकास की प्रक्रिया से जुड़ी रहे। इसी तरह, गाड़ियों के प्रदूषण को रोकने के मकसद से भारत स्टेज उत्सर्जन मानक को IV से बढ़ाकर VI करना हो या ऑक्सिटोसिन की बिक्री और आयात पर प्रतिबंध लगाने की बात, इन कवायदों का मकसद नकारात्मक असर को कम करना है।

केंद्र सरकार वित्तीय समावेशन के मकसद से जन धन योजना पेश कर, गरीबों को सस्ते में घर देने के मकसद से सभी के लिए घर योजना की शुरुआत कर, कौशल भारत अभियान आदि के जरिये 'गैर-मौजूद' बाजारों के लिए गुंजाइश बना रही है। कौशल विकास अभियान का मकसद वोकेशनल और तकनीकी प्रशिक्षण मुहैया कराना है। मैक्रो-आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए आर्थिक विकास जरूरी है। सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कृषि उत्पादन और उत्पादकता पर जोर देने के मकसद से कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इनमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड, फसल बीमा योजना आदि शामिल हैं। इसी तरह, छोटे उद्योमियों/नवोन्मेष में जुटे लोगों व इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए आसानी वित्तीय इंतजाम पर भी काम किया जा रहा है। मसलन मुद्रा योजना के अलावा स्टार्ट अप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसे कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। इसके अलावा, सरकार ने खुद के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तैयार किया है: 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करना, अगले तीन साल में विदेशी सैलानियों की आवक में दोगुनी बढ़ोतरी करना, 2022 तक सौर ऊर्जा से 100 गीगावॉट बिजली पैदा करने का लक्ष्य आदि। आर्थिक वृद्धि पर फोकस वाले क्षेत्रों को देखते हुए ऐसा लगता है कि मोदी सरकार न सिर्फ विकास के माध्यमों व साधनों को विविधता का स्वरूप देने

की कोशिश कर रही है, बल्कि समाज के सभी तबके से लोगों की संभावनाओं को खोलकर विकास को लोकतांत्रिक स्वरूप भी दे रही है।

महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की हिफाजत के लिए सरकार ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर (बीपीएल) करने वाले परिवारों को रसोई गैस का कनेक्शन मुहैया कराया जाता है। इसी तरह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का मकसद गरीब परिवारों को बीमारी के दौरान अस्पताल के खर्च से मुक्ति दिलाना है।

बाजार की असफलताओं के अलावा सरकार की असफलताएं भी हो सकती हैं। मुमकिन है कि सरकार बाजार की असफलताओं को दुरुस्त करने और गरीबी कम करने और समानता को बढ़ावा देने जैसे अपने प्रमुख कार्यों के निर्वहण में नाकाम हो जाए।

सरकारी असफलताओं को दुरुस्त करना

बाजार की अर्थव्यवस्था में किसी भी सरकार का एक अहम काम मानक तय करना और नियमन विकसित करना होता होता है, ताकि बाजार का कामकाज बेहतर तरीके से चल सके। सरकार ने नई नियामक इकाइयों के गठन के लिए नए प्रावधान किए हैं। इसके अलावा मौजूदा नियामकों को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। मिसाल के तौर पर सरकार ने रियल एस्टेट सौदों को ज्यादा पारदर्शी बनाने और घर के खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए रियल एस्टेट अधिनियम पास किया है। इसी तरह, सरकार भारत में खाद्य सुरक्षा नियमों को मजबूत बना रही है, बैंकिंग नियमों का सख्त बना रही हैं। पेशेवर मापदंडों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार मेडिकल डॉक्टरों की पेशेवर इकाइयों, लेखापालों, ऑडिटरों आदि की गतिविधियों पर भी नजर रख रही है। सामाजिक क्षेत्र में भी सरकार नियामक संबंधी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश कर रही है। मिसाल के तौर पर स्वास्थ्य क्षेत्र के नियामक के अभाव में दवाओं और मेडिकल उपकरण उद्योग में बड़े पैमाने पर बाजार की असफलता सामने आई है और यहां कमीशनों और हेराफेरी का बोलबाला है। अब यह मसला सरकार की निगाह में हैं और इसे दुरुस्त करने की शुरुआत हो चुकी है।

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का प्रदर्शन सुधारने के लिए सरकार ने विनिवेश का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तैयार किया है। सरकार बदलते आर्थिक माहौल में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के प्रासंगिक बने रहने के लिए इन इकाइयों को खुद से बदलाव करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। इसकी एक मिसाल इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक हैं, जो डाक विभाग के 1.5 लाख डाकघरों को सहारा देगा। इसके अलावा, सरकार इन प्रतिष्ठानों के प्रबंधन में कम से कम राजनीतिक हस्तक्षेप सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है।

अपने 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' अर्थात् 'न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन' पहल के तहत सरकार मानवीय इंटरफेस की जगह डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा रही है, ताकि लोगों को बुनियादी सार्वजनिक सुविधाओं का लाभ उठाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो और लोगों का जीवन आसान हो सके। इस पहले के लिए जरिये कारोबार और उद्यम के फलने-फूलने के लिए अनुकूल माहौल बनाना और समानता को भी बढ़ावा देने की कोशिश है।

समानता को बढ़ावा

समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक निश्चित इलाके या तय आबादी समूह को ध्यान में रखते हुए कई तरह के अभियान चलाए हैं। मिसाल के तौर पर मौजूदा सरकार ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विकास पर खास जोर दिया है। यह क्षेत्र लंबे समय से उपेक्षा का शिकार रहा है। सरकार ने इस क्षेत्र के देश के बाकी हिस्सों की तरह विकास के लिए उत्तर-पूर्व इलाके में विकास की कुछ परियोजनाओं की शुरुआत की है। इसी तरह, सरकार ने 100 से भी ज्यादा एस्पाइरेशनल यानी 'संभावनाशील' जिलों की पहचान की है, जो विकास के कुछ अहम सूचकांकों के लिहाज से पिछड़े हुए हैं। 'संभावनाशील जिलों का कायाकल्प कार्यक्रम' के तहत सरकार इन जिलों में विकास की रफ्तार तेज करने के लिए खास ध्यान दे रही है। इसी

तरह, मौजूदा सरकार के सत्ता संभालने के 1,000 दिनों के भीतर 100 फीसदी गांवों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य की मुख्य वजह सरकार का एकसमान विकास का एजेंडा है। इस पहल को एक और स्कीम से जोड़ा जा रहा है, जिसका मकसद हर घर में बिजली पहुंचाना है।

महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की हिफाजत के लिए सरकार ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर (बीपीएल) करने वाले परिवारों को रसोई गैस का कनेक्शन मुहैया कराया जाता है। इसी तरह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का मकसद गरीब परिवारों को बीमारी के दौरान अस्पताल के खर्च से मुक्ति दिलाना है। ये योजनाएं उन कार्यक्रमों की बानगी हैं, जो एक खास आबादी समूह के बीच समानता को बढ़ावा देती हैं। सरकारी कामकाज को बेहतर बनाने और लीकेज रोकने के लिए विभिन्न योजनाओं में नकद इंसेंटिव/नकदी ट्रांसफर का सिस्टम लाया जा रहा है यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के तहत रकम सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है।

एक और आधार

बाजार की असफलताओं से निपटने और समानता हासिल करने के मकसद के अलावा सरकारी हस्तक्षेप का एक और आधार व्यवहारवादी अर्थशास्त्र से मिला है, जिसमें लोगों के व्यवहार और पसंद को प्रभावित करने में सरकार की भूमिका को सही बताया जाता है। वास्तव में सरकार कई क्षेत्रों में सामाजिक संदेशों के जरिये प्रक्रियाओं, व्यवहार और पंसद को लेकर लोगों की सोच को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। मसलन बेटियों को लेकर जागरूकता फैलाने और गांवों को खुले शौचालय की आदत से मुक्त करने में ऐसा किया जा रहा है। दरअसल, प्रधानमंत्री ने इस मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करने से कभी परहेज नहीं किया है और इन लक्ष्यों को हासिल करने में यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मिसाल के तौर पर सेहमतंद बने रहने के लिए लोगों से योग करने का अनुरोध, खादी कपड़ों का इस्तेमाल करने की सलाह, वैसे लोगों के लिए गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील जो इसका खर्च वहन नहीं कर सकते, बिजली बचाने के लिए एलईडी बल्ब को अपनाने की गुजारिश आदि।

विकास को अच्छी राजनीति में बदलना

ऊपर पेश किए उदारहण महज बानगी हैं। वास्तव में सुधारों/कार्यक्रमों की सूची काफी लंबी है। सुधारों/कार्यक्रमों के पोर्टफोलियो की समीक्षा करते हुए यह महसूस किया जा सकता है कि सरकार ने प्रमुख तौर पर लोक-लुभावन वादों से परहेज किया है। उसने वैसे लोक-लुभावन वादों का सहारा नहीं लिया है, जिससे विकास की उपेक्षा होती है।

समाज के तकरीबन सभी तबकों, सभी आयु वर्गों और बाकी क्षेत्रों के लिए सुधार/कार्यक्रम हैं। ऐसा करते हुए वह विकास और राजनीति के बीच घालमेल को काफी कम करने में सफल रही है।

लोगों की बढ़ती आकांक्षाओं के मुकाबले विकास की भारी कमी वाले इस देश में कई और क्षेत्रों में सरकार का ध्यान आकर्षित करने की खातिर होड़ है। सरकार एक ही वक्त में कई मोर्चों पर आगे बढ़ रही है। सरकार की दिशा सही है। हालांकि, सुधारों या कार्यक्रमों के लागू होने की रफ्तार कई मामलों की सक्रियता पर निर्भर करती है। मसलन सरकारी इकाइयों के बीच समन्वय, सुधारों को नाकाम करने के लिए निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा पेश की गई चुनौतियां। ❑

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
LIVE / ONLINE Classes also available
सामान्य अध्ययन
+ फाउंडेशन कोर्स 2019
• प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए
DELHI: 25th June
JAIPUR: 15th May
Starting soon at LUCKNOW
• प्रारंभिक परीक्षा के लिए • मुख्य परीक्षा के लिए
+ इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम के घटक
• प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
• योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
• नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
• मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
• अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
• एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
• निबंध लेखन शैली की कक्षाएं
• PT 365 कक्षाएं
• MAINS 365 कक्षाएं
• PT टेस्ट सीरीज
• मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
• निबंध टेस्ट सीरीज
• सीसैट टेस्ट सीरीज
• कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल
• करेंट अफेयर्स मैगजीन
+ PT 365 One Year Current Affairs for Prelims
English Medium | हिन्दी माध्यम
ADMISSION OPEN
+ MAINS 365 English Medium हिन्दी माध्यम
• One Year Current Affairs for Mains
24th July
ALL INDIA TEST SERIES
Get the Benefit of Innovative Assessment System from the leader in the Test Series Program
PRELIMS
✓ General Studies (हिन्दी माध्यम में भी)
✓ CSAT (हिन्दी माध्यम में भी)
MAINS
✓ General Studies (हिन्दी माध्यम में भी)
✓ Essay (हिन्दी माध्यम में भी)
✓ Sociology
✓ Geography
550+ Selections in CSE 2016
8 in Top 10
37 Selections in Top 50 in CSE 2017
ANMOL SHER SINGH BEDI AIR-2
SACHIN GUPTA AIR-3
ATUL PRAKASH AIR-4
PRATHAM KAUSHIK AIR-5
SAUMYA PANDEY AIR-4
KOYA SREE HARSHA AIR-6
AYUSH SINHA AIR-7
ANUBHAV SINGH AIR-8
/visionias.upsc /Vision_IAS /c/VisionIASdelhi
www.visionias.in
JAIPUR 9001949244 9799974032
PUNE 8007500096 020-40040015
HYDERABAD 9000104133 9494374078
AHMEDABAD 9909447040 7575007040
LUCKNOW Opening soon
DELHI
• 2nd Floor, Apsara Arcade, Near Metro Gate 6,1/8 B, Pusa Road, Karol Bagh
• 635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar
• Contact : 8468022022, 9650617807, 9717162595

YH-822/2/2018

OJAANK IAS

Ojaank IAS Academy

Topper's 50 Batch
(Only 50 Students)

Ojaank Sir
(Director)

↓ आगामी बैच (Upcoming Batches)

GS Foundation 2019	11 June Registration open
After 12th 3 / 2 year Batch	18 June Registration open
Current Affairs for 2019	6 July Registration open

वैकल्पिक विषयः-

Hindi & Eng. Med.

भूगोल Geography	इतिहास History	राजनीति विज्ञान Political Science

ONLINE CLASSES

Demo Videos के लिए YouTube IAS with Ojaank Sir

8750711122 / 33, 8506845434

Visit : www.ojaankiasacademy.com

G-47 Vardhaman Mall, Nehru Vihar, Delhi - 54

YH-854/2018

महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा कवच

राकेश श्रीवास्तव

कानूनी ढांचे को (महिलाओं और बच्चों को अक्सर तस्करी के अदृश्य अपराध से बचाने हेतु) मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने हाल ही में मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 का मसौदा तैयार किया है। यह विधेयक सभी छूटी हुई चीज़ों और तस्करी के सभी पहलुओं को शामिल करता है। यह जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समर्पित संस्थानों की स्थापना करके पीड़ितों के लिए एक मजबूत कानूनी, आर्थिक और सामाजिक वातावरण बनाकर तस्करी से निपटने का प्रस्ताव करता है। विधेयक वर्तमान में विचाराधीन है

कई वर्षों से, महिलाओं और बच्चों के साथ समाज द्वारा भेदभाव किया गया है। हमारी आबादी का दो तिहाई हिस्सा होने के बावजूद, उनके महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों की अक्सर अनदेखी की गई है, और उन्हें विकास प्रतिमान से परे रखा गया है। विकास का यह स्वरूप अस्थिर है। कोई देश तब तक वास्तविक प्रगति नहीं कर सकता, जब तक कि वह महिलाओं और बच्चों को अधिकार, और उन्हें समाज में एक समान दर्जा प्रदान न करे। सरकार इस आदर्श को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है, और सरकार ने देश में महिलाओं और बच्चों की स्थिति में सुधार करने के लिए पूरी तरह से अपनी ज़िम्मेदारी का दावा किया है।

सरकार महिलाओं और बच्चों के कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाती है। ये दोनों पहलू – सशक्तीकरण और संरक्षण – समान रूप से महत्वपूर्ण और आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। एक को दूसरे के बिना हासिल नहीं किया जा सकता है।

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं। इनका उद्देश्य समान अवसर पैदा करना और उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है। ये पहल गतिशील और बदलती जरूरतों के प्रति उत्तरदायी हैं, और प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग के साथ विकसित की जाती हैं।

बदलती मानसिकता

एक सुरक्षित और सकारात्मक माहौल बनाने के लिए, शुरुआती चरण में ही समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रयास करना चाहिए, और वह जड़ है– मानसिकता। इसके लिए, सरकार ने देश के सभी जिलों में *बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ* कार्यक्रम का विस्तार किया है। जागरूकता फैलाने, गर्भपात की निगरानी और लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में सफलता देखी गई है, प्रारंभिक हस्तक्षेप के बाद लगभग आधे जिलों में जन्म पर स्त्री-पुरुष अनुपात में सुधार देखा गया है।

इसी प्रकार, जेंडर चैंपियंस की पहल शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से लागू की जा रही है ताकि विद्यार्थियों में जेंडर की समझ बनाने में मदद मिल सके और उन्हें महिलाओं और बच्चों के लिए हानिकारक तरीके से कार्य करने से रोका जा सके। 150 विश्वविद्यालयों और 230 महाविद्यालयों ने जेंडर चैंपियंस के कार्यान्वयन की शुरुआत की है।

सूचना तंत्र की मज़बूती और उत्तरजीवियों की सहायता

चूंकि कई महिलाएं और बच्चे सीधे पुलिस से संपर्क करने में संकोच कर सकते हैं, इसलिए निर्भया फंड के तहत 182 वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित किया गया है। ये ओएससी हिंसा से जूझने वाली महिलाओं के लिए एक सहायक खिड़की प्रदान करते हैं जैसे पुलिस, चिकित्सा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता, साथ ही कुछ दिनों तक रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान भी। इन केंद्रों ने आज तक 1.3 लाख से अधिक महिलाओं के मामलों का निपटारा किया है।

लेखक, भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय में सचिव हैं। उनके पास पोषण, महिला कल्याण और बड़े सरकारी अभियानों के क्षेत्रों में परियोजनाओं पर काम करने का गहन अनुभव है। ईमेलः secy.wcd@nic.in

इसके अलावा, महिलाएं 181 महिला हेल्पलाइन पर हिंसा की रिपोर्ट कर सकती हैं, जो एक सार्वभौमिक टोल-फ्री नंबर है,और जिससे तनावग्रस्त महिलाओं को आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सेवाएं मुहैया करती है। महिलाएं आपातकालीन स्थिति की रिपोर्ट करने, परामर्श लेने या कानूनी सहित पुलिस, मनोवैज्ञानिक और अन्य विकल्पों के बारे में जानने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकती हैं। अब तक, 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में महिला हेल्पलाइन स्थापित की जा चुकी हैं और 16.5 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की जा चुकी है। इसके अलावा, 1098 चाइल्डलाइन संकट की स्थितियों में बच्चों के लिए राष्ट्रव्यापी नंबर है और पिछले वर्ष इसने 1.8 करोड़ कॉलों का प्रबंधन किया है।

पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण भी एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। यह विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को पुलिस से संपर्क करने और अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस संबंध में एक सलाह जारी की गई है, और परिणाम 22 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में देखे जा रहे हैं। महिलाओं से जुड़े संवेदनशील मामलों में समग्र पुलिस प्रक्रिया में सुधार लाने और पुलिस बल में महिलाओं की संख्या को बढ़ाने के लिए मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ काम कर रहा है। इस कदम से न केवल रिक्तियों को भरने और पुलिस के मामले में महिलाओं के महत्व को पहचानने की संभावना है, बल्कि पुलिस बल को महिलाओं और बच्चों के लिए मित्रवत बनाने की भी संभावना है।

बच्चे अक्सर मार-पीट और दुर्व्यवहार के शिकार होते हैं। बच्चों के लिए इस दर्दनाक और संवेदनशील अनुभव की रिपोर्टिंग आसान बनाने के लिए, एक ऑनलाइन पोर्टल 'पोस्को ई-बॉक्स' स्थापित किया गया है, जहां कोई भी बच्चा या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति न्यूनतम विवरण के साथ शिकायत दर्ज कर सकता है। जैसे ही शिकायत दर्ज की जाती है, एक प्रशिक्षित परामर्शदाता तुरंत बच्चे से संपर्क करता है, सहायता प्रदान करता है और जहां भी वांछित हो, बच्चे की ओर से औपचारिक शिकायत दर्ज करता है।

एक मजबूत कानूनी ढांचे का निर्माण

कानूनी ढांचे को (महिलाओं और बच्चों को अक्सर तस्करी के अदृश्य अपराध से बचाने हेतु) मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने हाल ही में ,मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 का मसौदा तैयार किया है। यह विधेयक सभी छूटी हुई चीज़ों और तस्करी के सभी पहलुओं को शामिल करता है। यह जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समर्पित संस्थानों की स्थापना करके पीड़ितों के लिए एक मजबूत कानूनी, आर्थिक और सामाजिक वातावरण बनाकर तस्करी से निपटने का प्रस्ताव करता है। बिल वर्तमान में विचाराधीन है।

बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों से बच्चों की सुरक्षा के लिए कानूनी रूपरेखा को भी मजबूत किया जा रहा है और सख्ती से लागू किया जा रहा है। बाल विवाह अधिनियम, 2006 का निषेध उन लोगों को दंडित करता है जो बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं, पालन करते हैं और उन्हें उकसाते हैं। मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ और सीधे जिला कलेक्टरों के साथ उचित कार्यान्वयन का प्रयास कर रहा है। इस बारे में कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है ताकि बाल विवाह को कानून में अवैध या कानून में अमान्य बनाया जा सके, जो ऐसी कुरीति के अभ्यास को रोकने के लिए एक प्रभावी तरीका होगा।

मंत्रालय कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के कार्यान्वयन पर ज्यादा बारीकी से निगरानी रख रहा है। अधिनियम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए 112 संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है और टीवी, रेडियो और ऑनलाइन बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान भी शुरू किया गया है।

मंत्रालय कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के कार्यान्वयन पर और बारीकी से निगरानी रख रहा है। अधिनियम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए 112 संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है और टीवी, रेडियो और ऑनलाइन बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान भी शुरू किया गया है। देश में सभी महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने के लिए उपयोग में आसान ऑनलाइन पोर्टल 'शी-बॉक्स' शुरू किया गया है, फिर चाहे उनकी कार्य स्थिति या संगठन जो भी हो। कार्यस्थल पर एक सुरक्षित वातावरण अधिक महिलाओं को कार्यबल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

मंत्रालय घर के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। घरेलू हिंसा अधिनियम (पीडब्ल्यूडीवीए), 2005 से महिलाओं के संरक्षण के कार्यान्वयन को देश भर में बढ़ावा और महिलाओं को ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने के लिए समर्थन प्रदान किया जा रहा है। दहेज जैसी सामाजिक बुराई पर ध्यान देने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के कार्यान्वयन को जोरदार तरीके से अपनाया जा रहा है। अधिनियम दहेज को परिभाषित करता है और दहेज देने, लेने या दहेज़ लेन-देन को उकसानेवालों को दंडित करता है।

इन कानूनों पर मीडिया अभियान तैयार किया गया है जिसे टी.वी., रेडियो और ऑनलाइन माध्यमों द्वारा चलाया जा रहा है। बेहतर सुरक्षा के लिए नई टैक्सी नीति दिशानिर्देशों को महिलाओं के लिए बेहतर सुरक्षा उपायों जैसे- सभी टैक्सियों

में अनिवार्य जीपीएस पेनिक उपकरणों, बाल-लॉकिंग सिस्टम को अक्षम करना, वाहन के फोटो और पंजीकरण संख्या के साथ चालक की पहचान का प्रदर्शन, महिला यात्रियों की इच्छानुसार सीट साझा करना आदि को लाया गया है। यह महिलाओं और बच्चों द्वारा सार्वजनिक टैक्सियों के उपयोग को सुरक्षित बनाने के लिए किया जा रहा है।

नवाचारी परियोजनाओं का निधिकरण

निर्भय निधि, जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि इसका कम उपयोग किया गया है ने वास्तव में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 6223.79 करोड़ रुपए तक की नवाचारी परियोजनाओं का वित्तपोषण किया है। संकट में महिलाओं को आपातकालीन प्रक्रिया प्रदान करने के लिए देश के सभी मोबाइल फोन पर जल्द ही पेनिक बटन की एक सुविधा उपलब्ध होगी। पेनिक बटन निकटतम पीसीआर और चुने हुए परिवार/दोस्तों को सैटेलाइट आधारित जीपीएस के माध्यम से स्थान की पहचान कर सिग्नल भेजने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश में उपयोगकर्ता परीक्षण का पहला चरण पूरा हो चुका है और इसे देश भर में तेजी से फैलाया जाएगा।

निर्भया निधि की ओर से देश के 8 प्रमुख शहरों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं जैसे सड़क के प्रकाश, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन, बेहतर पुलिसिंग इत्यादि जैसी व्यापक योजनाओं पर वित्त-पोषित किया जा रहा है। ये शहर बाकियों के अनुसरण करने के लिए मॉडल के रूप में काम करेंगे। निर्भया निधि के तहत, बलात्कार और यौन हमले के मामलों में तेजी से और बेहतर अभियोजन पक्ष की मदद के लिए प्रयोगशालाओं की फोरेंसिक क्षमताओं में वृद्धि भी की जा रही है।

सुरक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना

जैसे-जैसे तकनीक विकसित हुई है, डिजिटल अंतरिक्ष तेजी से बच्चों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जा रहा है। सरकार डिजिटल अंतरिक्ष में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा संरचनाओं में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी रही है। साइबर अपराध की रिपोर्ट करने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए हॉटलाइन के रूप में काम करने के लिए एक केंद्रीय रिपोर्टिंग तंत्र बनाया जा रहा है और बाल अश्लीलता, बलात्कार और गैंगरेप इमेजरी इत्यादि को हटाने के लिए आसान प्रक्रियाएं बनाई जा रही हैं। साइबर अपराध को रोकने और उससे निपटने के लिए अधिकारियों और जनता के बीच अधिक से अधिक जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

बच्चों की सुरक्षा में सुधार के लिए सूचना प्रोद्योगिकी का उपयोग करते हुए, मंत्रालय ने ऑनलाइन नागरिक आधारित पोर्टल 'खोया पाया' स्थापित किया है। इस पर, लापता या देखे गये बच्चों को पहचानने और बच्चों को अपने परिवारों से मिलाने के लिए जानकारी पोस्ट की जाती है। 2015 से अब तक इस पोर्टल पर लापता या देखे गये बच्चों के 10,000 से अधिक मामले प्रकाशित किये जा चुके हैं। बच्चों के अनुकूल इन योजनाओं के बारे में बच्चों में अधिक से अधिक जागरूकता के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पुस्तकों के मुख्य कवर के अंदर भी जानकारी प्रकाशित की गई है।

हिंसा पीड़ितों का पुनर्वास

यौन पीड़ितों का पुनर्वास भी व्यापक सरकारी हस्तक्षेप का एक आवश्यक पहलू है। इसके लिए, निर्भया निधि के तहत केंद्रीय पीड़ित मुआवजा योजना राज्य सरकारों को हिंसा पीड़ित महिलाओं की क्षतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है। एसिड हमला पीड़ित के जीवन को पहुंचने वाली दीर्घावधि की क्षति और निरंतर चिकित्सा सुविधा को ध्यान में रखते हुए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्रालय से अनुरोध किया है कि असिड हमला पीड़ित को पहुंची प्रेरित क्षति और कुरूपता को निर्दिष्ट विकलांगता की सूची में शामिल किया जाये। विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 2016 के हाल ही में अधिनियमित अधिकारों में एसिड हमले को एक प्रकार की विकलांगता के रूप में शामिल किया गया है, जो अब एसिड हमले पीड़ितों को अक्षमता लाभों का लाभ उठाने की अनुमति देता है।

एक नवाचारी कदम के तहत, मंत्रालय ने देश भर के 60 प्रमुख रेलवे स्टेशनों, जिन्हें बाल तस्करी का आम स्रोत और गंतव्य केंद्र माना जाता है, में बाल सहायता डेस्क स्थापित किए हैं। ये सहायता डेस्क मुश्किल परिस्थितियों में बच्चों की पहचान, बचाव, पुनर्मिलन और पुनर्वास में सहायता करते हैं। अब तक इस सेवा के माध्यम से 34,000 से अधिक बच्चों की सहायता की जा चुकी है।

जन-जन तक पहुंचना

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार का सुरक्षात्मक तंत्र ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचें, महिला शक्ति केंद्र योजना हाल ही में शुरू की गई है। यह 115 सबसे पिछड़े जिलों में 3 लाख छात्र स्वयंसेवकों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को उनके दरवाजे पर समर्थन सेवाएं प्रदान करता है। अन्य सरकारी लाभों के अलावा, छात्र हिंसा पीड़ितों को उनके लिए सरकार के समर्थन के बारे में भी शिक्षित करेंगे और उन्हें ऐसे संस्थानों से जुड़ने में मदद करेंगे।

अगर भारत में महिलाएं सकुशल और सुरक्षित महसूस करेंगी, केवल तब ही वे सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने और आर्थिक विकास में योगदान करने में सक्षम होंगी। इसी प्रकार, अगर बच्चों को हिंसा मुक्त वातावरण का आश्वासन नहीं दिया जाता है तो बच्चे सकारात्मक रूप से बढ़ने में सक्षम नहीं होंगे। एक सरकार के रूप में, हम भारत में हर महिला और बच्चे को बिना डर के अपने घर से बाहर निकलने में सक्षम बनाना चाहते हैं और हम यह सुनिश्चित करने का पूर्ण प्रयास करेंगे कि यह लक्ष्य हासिल हो। ❑

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को समर्पित मासिक पत्रिका

- ☑ समसामयिक मुद्दों पर आधारित महत्त्वपूर्ण लेख।
- ☑ मुख्य परीक्षा के लिये सामान्य अध्ययन पर महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर।
- ☑ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पर केंद्रित सामान्य अध्ययन के विभिन्न खंडों के रिवीज़न हेतु 'टू द पॉइंट' सामग्री।
- ☑ प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं (साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ, इकॉनमिक एंड पोलिटिकल वीकली, द हिंदू आदि) के महत्त्वपूर्ण लेखों का सारांश।
- ☑ प्रारंभिक परीक्षा पर केंद्रित टारगेट प्रिलिम्स खंड।
- ☑ टॉपर्स इंटरव्यू।
- ☑ इंटरव्यू की तैयारी के लिये महत्त्वपूर्ण सामग्री।

पत्रिका का सैम्पल निःशुल्क पढ़ने के लिये हमारी वेबसाइट: www.drishtiias.com पर विज़िट करें।

To Subscribe, Call - 8130392351, 8130392359

For business/advertising enquiry, Call - 8130392355

Web : www.drishtiias.com, Email : info@drishtipublications.com

YH-643/2/2018

स्वच्छता के लिए समग्र प्रयास

परमेश्वरन अय्यर

पिछले कुछ वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन ने जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी और आर्थिक मोर्चे पर उल्लेखनीय असर दिखाया है। यूनिसेफ की रिपोर्ट 'भारत में एसबीएम का वित्तीय और आर्थिक प्रभाव (2017)' में कहा गया है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का एक-एक ओडीएफ गांव हर साल 50,000 रुपए की बचत करता है। बीएमजीएफ द्वारा जारी एक अन्य अध्ययन के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि जो गांव खुले में शौच से मुक्त नहीं, उनकी तुलना में खुले में शौच से मुक्त गांवों में बच्चों में दस्त और स्टंटिंग के मामलों में बहुत अधिक गिरावट आई है। स्टंटिंग वह स्थिति है जिसमें बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बाधित होता है

स्वच्छता और साफ पानी किसी भी देश की जनसंख्या के स्वास्थ्य और मानव विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। हर वर्ष विश्व के लाखों लोग, जिनमें अधिकतर बच्चे हैं, स्वच्छ जल और साफ-सफाई की कमी के कारण होने वाली बीमारियों का शिकार होते हैं। स्वच्छ जल और साफ-सफाई जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं और उनके अभाव में स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और परिवारों के जीविकोपार्जन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पिछले कुछ दशकों में सरकारों ने लगातार बुनियादी जरूरतों और मानवाधिकार के रूप में स्वच्छता अभियानों को शुरू किया है। इन अभियानों ने अनेक मोर्चों पर स्वच्छता की दिशा में कार्य किया है, जैसे खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) की स्थिति और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम) इत्यादि। स्वच्छ भारत अभियान एक अभूतपूर्व कार्यक्रम है जो विश्व का सबसे बड़ा व्यवहारगत परिवर्तन अभियान है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, स्वच्छता के दायरे को बढ़ाना, समुदायों को सतत स्वच्छता के लिए कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना है, ताकि जिसके जरिए 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

2014 में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने लाल किले से यह आह्वान किया था कि 2 अक्तूबर, 2019 तक देश को स्वच्छ बनाना है। तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती वर्ष की शुरुआत होगी। इसलिए विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन का संकल्प लिया गया। यह संकल्प था- अक्तूबर 2019 तक स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ)। देश के इतिहास में यह अभूतपूर्ण क्षण था। जब इस कार्यक्रम को शुरू किया गया, तब खुले में शौच करने वालों में 50 करोड़ से अधिक लोग शामिल थे। आज यह संख्या घटकर लगभग 20 करोड़ रह गई है।

निस्संदेह सरकार द्वारा शुरू किया गया यह विश्व का सबसे महत्वाकांक्षी और साहसिक कार्यक्रम है जिसे राष्ट्रीय नीति और विकास के केंद्र में रखा गया है। भारत 21 वीं शताब्दी में विश्व की आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है। ऐसे में गंदगी और खुले में शौच के लिए यहां कोई जगह नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता में दिलचस्पी दिखाई है और इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता में रखा है। यही वजह है कि स्वच्छ भारत अभियान पिछले कुछ वर्षों के दूसरे सभी कार्यक्रमों से अनूठा है।

2 अक्तूबर 2014 से देश में अब तक 7.1 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया है; जिसका अर्थ है कि अक्तूबर 2014 में भारत में ग्रामीण स्वच्छता का दायरा तेजी से बढ़ा है। तब यह 39 प्रतिशत था, अब 83 प्रतिशत से अधिक है। इसका एक अर्थ यह भी है कि आजादी के बाद से 67 वर्षों में स्वच्छता का दायरा जितना बढ़ा था, उससे तेजी से पिछले साढ़े तीन वर्षों में बढ़ा है। 3.6 लाख से अधिक गांव, 382 जिले, 13 राज्य (अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तराखंड) और चार केंद्र शासित प्रदेश (अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन और दीव और

लेखक पेय जल और सफाई मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव हैं। उन्हें साफ-सफाई के क्षेत्र में गहन अनुभव है। वे पहले विश्व बैंक में प्रोग्राम लीडर और जल व साफ-सफाई विशेषज्ञ के तौर पर काम कर चुके हैं और विश्व बैंक के पानी से जुड़े अहम अभियान का भी हिस्सा रह चुके हैं। ईमेल: param.iyer@gov.in

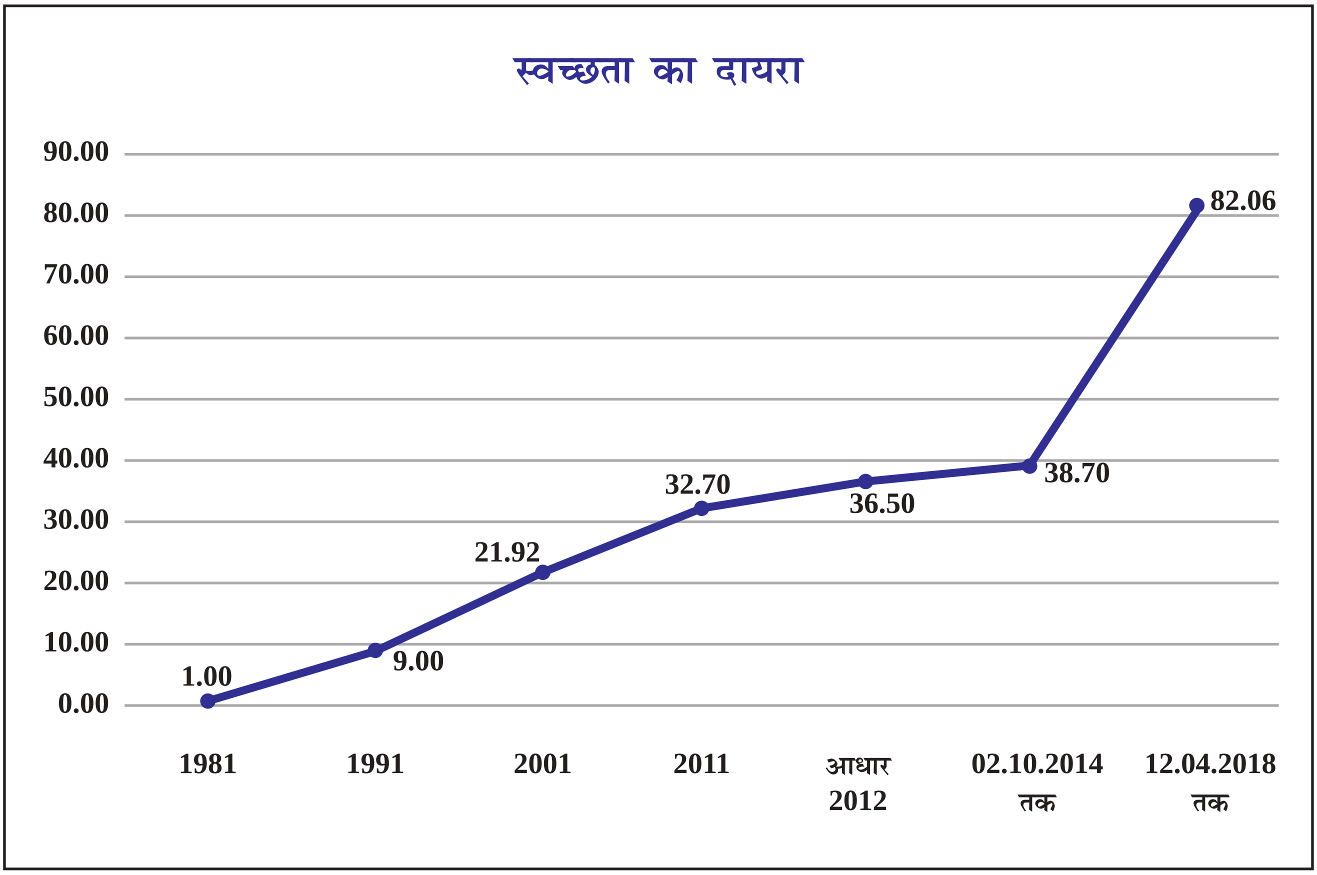

रेखाचित्र : जनगणना 1981 से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति

दादरा नगर हवेली) खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। खुले में शौच मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में देश के ग्रामीण क्षेत्र भी 2 अक्तूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए तैयार हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत अभियान के कई पहलु पिछले स्वच्छता कार्यक्रमों से भिन्न हैं, चूंकि स्वच्छ भारत मिशन संस्थागत परिवर्तन पर बल देता है। साथ ही प्रधानमंत्री खुद इसके अगुवा हैं। इसलिए उन्होंने दूसरे अनेक लोगों को इसमें शामिल किया है और इसे हर किसी का सरोकार बनाया है। कार्यक्रम की संरचना ऐसी है कि यह हर स्थिति के अनुकूल है ताकि सभी लोगों तक, सभी इलाकों में इसकी पहुंच बनाई जा सके। इसके अतिरिक्त इसमें विभिन्न राज्यों और जिलों को जोड़ा गया है, चूंकि कार्यक्रम को लागू करने वाले वही हैं। इससे कार्यक्रम को गति भी मिलती है और विभिन्न स्तरों पर सतत संवाद कायम करना भी आसान होता है।

कार्यक्रम को गति मिलती रहे और जनांदोलन लगातार मजबूत हो, इसके लिए मंत्रालय के लिए उत्तम गुणवत्ता की हाउसकीपिंग पद्धतियों को सुनिश्चित करना जरूरी है। इसके लिए मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम-जी) के लिए व्यापक और वृहद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। राज्य सरकारों द्वारा 2012-13 के बेसलाइन सर्वे के आधार पर प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पर देश के सभी गांवों में स्वच्छता से संबंधित घरेलू स्तर के आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं।

स्वच्छाग्रही अधिकतर स्वाभाविक अगुवा हैं जो मौजूदा व्यवस्थाओं, जैसे पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी संघों, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, महिला समूहों, समुदाय केंद्रित संगठनों, स्वयंसहायता समूहों इत्यादि के जरिए संलग्न हैं। वे ग्राम पंचायतों के साथ पहले से कार्य कर रहे हैं और उनमें से कुछ ने स्वच्छता के लिए विशेष रूप से अपनी सेवाएं देने की इच्छा जाहिर की है।

पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए मंत्रालय थर्ड पार्टी एजेंसियों द्वारा संचालित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों के जरिए स्वच्छता संबंधी आंकड़े एकत्र करता है। मई और जून, 2017 के बीच भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) ने एक सर्वे किया। इसमें बेतरतीबी से चुने गए देश के 4626 गांवों के 1.4 लाख परिवार शामिल थे। सर्वे में शौचालय के प्रयोग का प्रतिशत 91.29 था।

हाल ही में विश्व बैंक द्वारा एसबीएम-जी समर्थित राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (एनएआरएसएस), 2017-2018 किया गया जिसमें 6,136 गांवों के 92,000 परिवार शामिल थे। स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी (आईवीए) ने एनएआरएसएस के निरीक्षण के लिए गठित विशेषज्ञ कार्यकारी समूह (ईडब्ल्यूजी) को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। इस कार्यकारी समूह में विश्व बैंक, यूनिसेफ, वॉटर एड, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इंडिया सैनिटेशन कोलिशन, सुलभ इंटरनेशनल, नॉलेज लिंक्स, नीति आयोग और

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल थे। ईडब्ल्यूजी ने कहा कि सर्वेक्षण संतोषजनक तरीके से समाप्त हुआ। इसमें कहा गया कि देश में 93.40 प्रतिशत शौचालय का उपयोग किया जाता है। सर्वेक्षण ने 95.6 प्रतिशत ओडीएफ सत्यापित गांवों की पुष्टि की है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का एक संकेतक शौचालय का उपयोग और खुले शौच से मुक्ति है। गंदगी कितनी खतरनाक होती है, इसे इसी से समझा जा सकता है कि एक ग्राम मल में 10,000,000 वायरस, 1,000,000 बैक्टीरिया और 1,000 परजीवी सिस्ट होते हैं। जब तक एक गांव पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त नहीं होता, संदूषण का रास्ता खुला होता है। इसलिए अगर हम स्वस्थ भविष्य की कामना करते हैं तो केवल एक व्यक्ति के किए कुछ नहीं होने वाला। हमें समुदाय के तौर पर स्वच्छता और नई आदतों को अपनाना होगा।

पिछले कुछ वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन ने जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी और आर्थिक मोर्चे पर उल्लेखनीय असर दिखाया है। यूनिसेफ की रिपोर्ट 'भारत में एसबीएम का वित्तीय और आर्थिक प्रभाव (2017)' में कहा गया है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का एक-एक ओडीएफ गांव हर साल 50,000 रुपए की बचत करता है। बीएमजीएफ द्वारा जारी एक अन्य अध्ययन के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि जो गांव खुले में शौच से मुक्त नहीं, उनकी तुलना में खुले में शौच से मुक्त गांवों में बच्चों में दस्त और स्टंटिंग के मामलों में बहुत अधिक गिरावट हुई है। स्टंटिंग वह स्थिति है जिसमें बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बाधित होता है।

यह पूरा अभियान लोगों की भागीदारी पर निर्भर है। जब गांव के सभी लोग मिलकर आम सभा में संकल्प लेते हैं, गांवों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया जाता है। फिर गांव के लोग निगरानी समिति बनाते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो कि कोई भी शौचालय का प्रयोग करने के नए नियम को नहीं तोड़ रहा। फिर ब्लॉक, जिला या राज्य स्तर पर थर्ड पार्टी द्वारा ओडीएफ स्थिति को सत्यापित किया जाता है। पूरा डेटा एक वृहद डेटाबेस में रखा जाता है जो एसबीएम-जी वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध है।

एसबीएम-जी का एक दूसरा महत्वपूर्ण घटक ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलआरएम) है। एसएलडब्लूएम को किफायती और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जमीनी और सामुदायिक स्तर पर सभी लोगों को शामिल किया जाना जरूरी है। इसके अंतर्गत एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है जिसे ग्राम स्वच्छता इंडेक्स विलेज सेनीटेशन इंडैक्स (वीएसआई) कहा गया है। यह आत्म-मूल्यांकन करने वाला एक कार्यक्रम है जो स्वच्छता को मापता है। स्वच्छ शौचालयों और उनके उपयोग, घरों और सार्वजनिक स्थानों के आसपास कूड़ा फेंकने और घरों के आसपास स्थिर अपशिष्ट जल के उपयोग के आधार पर गांवों को वीएसआई पर रैंकिंग दी जाती है। गांव के लोग खुद ग्राम सभा में लोकतांत्रिक तरीके से आत्म-मूल्यांकन करते हैं। अप्रैल 2018 तक, 4 लाख से अधिक गांवों ने वीएसआई में अपनी रैंकिंग दर्ज कराई है।

यह बार-बार देखा गया है कि जब समुदाय खुद स्वच्छता कार्यक्रमों में अपने संसाधनों (विशेष रूप से वित्तीय संसाधन) का निवेश करते हैं, तो कार्यक्रम सतत होते हैं। स्वच्छ भारत मिशन केवल शौचालय बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यवहारगत परिवर्तन की पहल करता है। एसबीएम-जी पर अपने भाषणों में प्रधानमंत्री ने बार-बार यह कहा है कि हमें अपने व्यवहार को बदलना होगा। 2016 में उन्होंने एक भाषण में कहा था- बजट आवंटन के जरिए स्वच्छता हासिल नहीं की जा सकती। इस समस्या का समाधान व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है। यह एक जन आंदोलन बनना चाहिए।

हालांकि व्यवहारगत परिवर्तन देश की स्वच्छता के स्वप्न के लिए अवश्यंभावी है, यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। बड़े पैमाने पर व्यवहारगत परिवर्तन के लिए भारत की विविधता, जटिलता और विशिष्टता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मिशन के तहत कई नए प्रयोग किए जा रहे हैं। दो प्रयोग सबसे अधिक सुफल दे रहे हैं। एक प्री-ट्रिगरिंग है। व्यवहार परिवर्तन को ट्रिगर करने में सफलता कैसे मिले, इसके लिए प्री-ट्रिगरिंग के जरिए

की गई तैयारी की गुणवत्ता और पूर्णता पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसमें गांव और इसके निवासियों के बारे में जानकारी एकत्र करना, उनके साथ संपर्क स्थापित करना और अधिकारियों और गांव को व्यवहारगत बदलाव के लिए तैयार करना शामिल है। ग्रामीण स्वच्छता के समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण में समाज के सभी वर्गों को अपना व्यवहार बदलने के लिए तैयार किया जाता है। हम समुदाय को एक इकाई के रूप में देखते हैं, ताकि वह इसका महत्व समझे, अपने गांव की सफाई के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह बने।

एसबीएम के अनेक कदमों में एक कदम ट्रिगरिंग भी है जो स्वच्छाग्रहियों की मदद से चलाया जाता है। स्वच्छाग्रही सामुदायिक स्तर के कार्यकर्ता और प्रेरक हैं जो ग्राम स्तर पर स्वच्छता के प्रति सामूहिक दृष्टिकोण (सीएएस) को लागू करते हैं और ओडीएफ राष्ट्र को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

स्वच्छाग्रही अधिकतर स्वाभाविक अगुवा हैं जो मौजूदा व्यवस्थाओं, जैसे पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी संघों, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, महिला समूहों, समुदाय केंद्रित संगठनों, स्वयं सहायता समूहों इत्यादि के जरिए संलग्न हैं। वे ग्राम पंचायतों के साथ पहले से कार्य कर रहे हैं और उनमें से कुछ ने स्वच्छता के लिए विशेष रूप से अपनी सेवाएं देने की इच्छा जाहिर की है। वर्तमान में जमीनी स्तर पर 4.3 लाख स्वच्छाग्रही पंजीकृत हैं। मिशन का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक गांव में एक स्वच्छाग्रही हो यानी मार्च 2019 तक कम से कम 6.5 स्वच्छाग्रहियों की फौज तैयार हो जाए।

जहां मंत्रालय बड़े पैमाने पर इस जनांदोलन को चर्चा के केंद्र में रखने का प्रयास कर रहा है, अप्रैल 2018 में स्वच्छाग्रहियों का एक बड़ा आयोजन हुआ।

महात्मा गांधी ने 10 अप्रैल, 1917 को चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। उसका उद्देश्य बिहार के लोगों की स्थिति में सुधार करना था जिसमें बुनियादी शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तीकरण और स्वच्छता प्रमुख थे। चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन पर 10 अप्रैल, 2018 को चंपारण में ही सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह अभियान का आयोजन शुरू किया गया। इस अवसर पर पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने बिहार सरकार के सहयोग से 3 से 10 अप्रैल तक सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह अभियान शुरू करके पूरे देश में स्वच्छता का संदेश फैलाने के लिए काम किया। देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए 10,000 से अधिक स्वच्छाग्रहियों ने बिहार के 10,000 स्वच्छग्रहियों के साथ राज्य के 38 जिलों में व्यवहारगत परिवर्तन को ट्रिगर करने और जनांदोलन की गति को तेज करने के लिए काम किया।

बड़े उत्साह के साथ ट्रिगरिंग शुरू हुई। बिहार के गांवों में देश के दूसरे हिस्सों से आए स्वच्छाग्रहियों की उपस्थिति से लोगों में स्वच्छता के प्रति उत्साह भरा। स्वच्छग्रहियों ने स्थानीय कार्यकर्ताओं और स्थानीय अधिकारियों एवं प्रौद्योगिकी कर्मचारियों की सहायता से काम किया तो भाषा की दीवार टूट गई। यह पहल कारगर साबित हुई। विभिन्न समूहों के बीच स्पर्धा से एक-दूसरे को सीखने का मौका मिला।

चार राज्यों-बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर में एक साथ 13 मार्च और 10 अप्रैल के बीच 30.91 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया जिसमें से 14.82 लाख 4 से 10 अप्रैल के बीच बनाए गए।

इस कार्यक्रम में एकजुटता की भावना ने देश को ओडीएफ बनाने की दिशा में समुदायों को जोड़ा है। यह एक ऐसा कदम है जो स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को और मजबूत करता है - एक जन-आंदोलन की सच्ची आत्माओं को दर्शाता है! इस मिशन ने दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए मिसाल कायम की है। मिशन मोड में स्वच्छता को हासिल करने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। साथ ही सभी के लिए स्वच्छ जल और साफ-सफाई की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन को सुनिश्चित करने का महती कार्य भी किया है। ❑

You Deserve the Best...
Niraj Singh (M.D.)
Divyasen Singh (Co-ordinator)
IAS
GS WORLD
Committed To Excellence
PCS
ISO 9001 Certified
सिविल सेवा परीक्षा-2017 हमारे सफल अभ्यर्थी
AKSHAT KAUSHAL
ANIRUDDH KUMAR
RATAN DEEP GUPTA
LAKHAN SINGH YADAV
SHAKTI MOHAN AVASTHY
GAURAV
CHETAN KUMAR MEENA
PANKAJ YADAV
AMIT KUMAR
BIKRAM GANGWAR
ADITYA KUMAR JHA
22 वर्षीय युवा
DEVENDRA DUTT YADAV
SAKSHI GARG
सामान्य अध्ययन
Foundation Batch Starts...
दिल्ली केन्द्र
10 June
11:45 am
इलाहाबाद केन्द्र
19 June
11:30 am
हिन्दी & English Medium
लखनऊ केन्द्र
12 June
8:30 am & 6 pm
हिन्दी & English Medium
DELHI CENTRE
629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Ph.: 7042772062/63, 9868365322
ALLAHABAD CENTRE
GS World House, Stainly Road, Near Traffic Choraha, Allahabad
Ph.: 0532-2266079, 8726027579
LUCKNOW CENTRE
A-7, Sector-J, Puraniya Chauraha Aliganj, Lucknow
Ph.: 0522-4003197, 8756450894
http://www.gsworldias.com | http://facebook.com/gsworld1 | 9654349902

YH-792/4/2017

अमित कुमार सिंह के निर्देशन में

पूरे भारत में हिन्दी माध्यम में किसी भी वैकल्पिक विषय और ETHICS (G.S - IV) पढ़ाने वाले संस्थान से बेहतर परिणाम

हमारे टॉपर्स

इस वर्ष CSE - 2017 में भी 25+ परिणाम

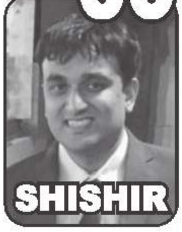

RANK	NAME	RANK	NAME
153	SOURAV JAIN	568	VIKAS MEENA
218	KRUTI M PATEL	632	KANTA JANGIR
333	AJAY KUMAR YADAV	702	DEVENKUMAR KESHWALA
342	VYAS PARITOSH VINEET	724	MAKWANA MEETKUMAR SANJAYKUMAR
365	GODHANI AKSHARKUAMAR P.	801	SARVAIYA RIYAZBHAI RAFIKBHAI
399	AJAY JAIN	782	PANKAJ YADAV
400	PANKAJ TIWARI	846	PANCHAL MOHIT BANSIDHAR
460	SAGAR JAIN	852	SANDEEP KUMAR MEENA
507	SHBHANSHU JAIN	980	SANDEEP KUMAR
521	NAVODIT VERMA		& OTHERS

क्या कहते हैं टॉपर्स हमारे शिक्षक के बारे में

Ethics and essay classes of Amit Sir has helped me in this preparation so i am very thankful to him for his valuable guidance.

Mamta
CSE, 2017
AIR - 45

MAMTA
AIR - 45

I found Amit Sir's way of teaching very good for Ethics paper. He explains the theoretical concepts in a practical way and discussions in his interactive classes can help develop a good approach for this paper particularly for case studies.

Prateek Jain
CSE 2017
- AIR 86

PRATEEK JAIN
AIR - 86

सफलता की कहानी जारी अब आप की बारी...

NEW BATCH START

PHILOSOPHY
Delhi Center 03:00 pm 14 June | Allahabad Center 06:30 pm 8 June

ETHICS (GS -IV)
Delhi Center 06:30 pm 15 June | Allahabad Center 10:30 am 9 June

GENERAL STUDIES
Delhi Center 10:00 am 16 June | Allahabad Center 11:30 am 10 June

ESSAY
14 August 12:30 pm

अब सामान्य अध्ययन में भी Answer Writing Program के साथ

IGNITED MINDS
A Premier Institute for IAS/PCS

DELHI CENTER (HQ)
A-2, 1st Floor, Comm. Comp. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
011-27654704, 9643760414, 8744082373

KANPUR CENTER
COMING SOON
9793022444

ALLAHABAD CENTER www.ignitedmindscs.com
H-1, 1st Floor, Ram Mohan Plaza, Madho Kunj, Katra
9389376518, 9793022444, 0532-2642251

YH-840/1/2018

नए दौर के कौशल से रोजगार के अवसर

जतिंदर सिंह

किसी देश के विकास का मूल स्त्रोत युवा होते हैं। इसके लिए ऐसी रणनीति तैयार करनी चाहिए जो प्रगतिशील परिवर्तन की ओर मार्ग प्रशस्त करे। भारत सरकार विभिन्न प्रतिमानों और योजनाओं के जरिए परिवर्तन लाने का प्रयास कर रही है। हमारे युवा भी नए अवसरों के अनुकूल अपने आपको ढालने के लिए उत्साहित हैं

डिजिटलीकरण और डेटा विश्लेषण में तेजी से होती तकनीकी तरक्की ने मानव विकास का नया आयाम दिया है। व्यवसायों का स्वरूप बदला है और युवाओं के लिए रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर बढ़े हैं। युवा श्रमशक्ति का पूरा उपयोग करने के लिए उन्हें नए कार्यों और रोजगारों में दक्षता प्रदान करने की रणनीति भी तैयार की जा रही है। हमारे देश में युवा वर्ग का स्वरूप क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण भिन्न-भिन्न है। दक्षिण के राज्यों में युवाओं की औसत आयु 29 से 31 वर्ष के बीच है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में उनकी औसत आयु 20-22 वर्ष के मध्य है जिससे इन राज्यों में श्रमशील लोगों की संख्या अधिक हो जाती है। इसलिए युवाओं में कौशल विकास के प्रतिमानों को पहुंच और प्रासंगिकता के आधार पर तैयार किए जाने की जरूरत है।

ओईसीडी (आर्थिक सहयोग व विकास संगठन) आर्थिक सर्वेक्षण : भारत 2017 के अनुसार, देश में 15-29 वर्ष के 30 प्रतिशत से अधिक युवा रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण (नीट) में संलग्न नहीं हैं। यह ओईसीडी के औसत के दो गुना से अधिक है। वर्तमान में सरकार ऐसे युवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए व्यापक प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति में युवाओं की अभिलाषाओं को पूरा करने की क्षमता है और इसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी की मदद से सभी का समावेश किया जा सकता है। मौजूदा श्रम कानूनों के अनुपालन हेतु प्रशासनिक जरूरतों को कम किया गया है और यह स्वागत योग्य कदम है। अन्य योजनाओं में राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस), वैधानिक न्यूनतम मजदूरी, ठेके पर रोजगार और उद्यमियों को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन इत्यादि शामिल हैं।

वृहद जनसंख्या के लाभ

देश का युवा वर्ग जिस तेजी से मुख्यधारा की शिक्षा और कौशल को हासिल करने का प्रयास कर रहा है, उसे देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में 2030 तक कुशल श्रमिक अतिरेक में होंगे। इसका मुख्य कारण श्रमशील आयु वर्ग के लोगों की व्यापक आपूर्ति तो है ही, साथ ही सरकार भी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की मदद से शिक्षा और कौशल विकास को प्रोत्साहन दे रही है। कुशल श्रमशक्ति की औद्योगिक मांग को पूरा करने में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआईज़) की उल्लेखनीय भूमिका है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ने घोषणा की है कि 2018 के अंत तक देश के प्रत्येक ब्लॉक में एक आईटीआई बनाया जाएगा जिसमें उद्योग जगत से संबंधित दक्षताएं प्रदान की जाएंगी। केंद्र और राज्य सरकारें युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु मिलकर कार्य कर रही हैं ताकि देश के अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति भी इस अवसर का लाभ उठा सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके), पूर्व शिक्षा की पहचान (आरपीएल) और राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) का पूरा लाभ तभी उठाया जा सकता है, जब सब मिलजुलकर काम करें। हाल ही में ऊर्जा और कौशल विकास मंत्रालयों ने सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन को गति देने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है। सौभाग्य योजना सरकार का प्रमुख

लेखक पीएचडी चैंबर और कॉमर्स के डायरेक्टर (शिक्षा, कौशल विकास, सीएसआर, नवोन्मेष और स्टार्टअप) हैं। वे मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वालेल अप्रेन्टस्शिप बोर्ड के मेंबर भी हैं। ईमेल: jatinder@phdcci.in

सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण कार्यक्रम है। इस रणनीतिक प्रयास के अंतर्गत केंद्र, राज्य, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजलीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं।

भारत सरकार की कौशल विकास और उद्यमिता से संबंधित मुख्य योजनाएं निम्नलिखित हैं:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): युवाओं को उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण देने हेतु भारत सरकार की पहल, ताकि उन्हें विश्व बाजार के लिए तैयार किया जा सके।

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएई-एनयूएलएम): वेतनभोगी रोजगार या स्वरोगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए शहरी क्षेत्रों के निर्धन वर्ग को दक्षता और अतिरिक्त कौशल प्रदान करना, जिससे उन्हें निरंतर आजीविका उपलब्ध हो।

महानिदेशक-प्रशिक्षण-मॉड्यूलर रोजगारपरक कौशल (डीजीटी-एमईएस): व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षुता कार्यक्रमों के माध्यम से लाभकारी रोजगार में सुधार के लिए स्कूल छोड़ने वाले (स्कूल ड्रॉप आउट) और असंगठित क्षेत्र के मौजूदा श्रमिकों के लिए पहल

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई): ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार में नियुक्ति (प्लेसमेंट) से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी): यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत ऐसा पीपीपी मॉडल है जिसका उद्देश्य बड़ी संख्या में और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों का निर्माण करना है ताकि कौशल विकास को बढ़ावा मिले। यह निगम उन संगठनों का वित्त पोषण करना है जो कौशल प्रदान करते हैं। एनएसडीसी की उद्योग जगत के नेतृत्व वाली क्षेत्र कौशल परिषदें (एसएससी) व्यावसायिक मानकों का निर्माण करती हैं, योग्यता ढांचे का विकास करती हैं, कौशल अंतराल का अध्ययन करती हैं और उनके द्वारा विकसित राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) के अनुरूप पाठ्यक्रमों के आधार पर प्रशिक्षुओं का आकलन एवं प्रमाणन करती हैं।

राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए): कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय; 2022 तक कौशल संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के प्रयासों के बीच समन्वय करती है। यह एनएसडीसी, क्षेत्र कौशल परिषदों और राज्य कौशल विकास मिशन जैसी एजेंसियों की साझेदारी में काम करती है।

आजीविका- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम): भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस पहल का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को अपने कौशल को बढ़ाने का मौका मिले। इसके अतिरिक्त यह मिशन उन्हें रोजगार में नियुक्ति से संबंधित सहयोग भी प्रदान करता है।

अटल नवाचार मिशन (एआईएम): इस पहल का उद्देश्य नवाचार और उद्यमिता के परिवेश को बढ़ावा देना है। इसके लिए युवाओं को आइडिया जनरेशन और इन्क्यूबेटर एवं मेंटर सपोर्ट का मंच प्रदान किया जाएगा।

स्टार्टअप इंडिया: देश में स्टार्टअप के माहौल तैयार करना। इस पहल की कार्य योजना स्टार्टअप्स के सरलीकरण और सहयोग, वित्त पोषण और प्रोत्साहन, उद्योग-शिक्षा जगत की भागीदारी और इन्क्यूबेशन सपोर्ट पर आधारित है।

उद्योग 4.0 के दायरे में नए दौर का कौशल

उद्योग 4.0 की विशेषताओं में डिजिटलीकरण, कनेक्टेड मशीनें, उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का समामेलन, व्यापार विश्लेषिकी और साइबर-भौतिक प्रणालियों

PMKVY
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

में वृद्धि शामिल है। यह स्मार्ट कारखाने की अवधारणा है जहां मशीनें सेंसरों की मदद से एक दूसरे से संवाद करती हैं। इससे उत्पादकता बढ़ती है और संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जाता है। इस परिवेश में निम्न कौशल वाले रोजगार समाप्त हो जाएंगे और जिन नौकरियों में उच्च स्तर वाले कौशल की जरूरत होगी, उनकी क्षमता में इजाफा होगा। भारत में चौथी औद्योगिक क्रांति के उभरने के साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, वर्चुअल रियैलिटी, ऑग्मेंटेड रियैलिटी, रोबोटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स और थ्री डी प्रिंटिंग जैसे डोमेन्स में कौशल की मांग बहुत अधिक बढ़ेगी। आने वाले दौर में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का विश्वव्यापी रुझान भी बढ़ेगा। भविष्य के रोजगार बाजार की दक्षता की जरूरतों को समझने के लिए यह समझना भी जरूरी है कि टास्क और जॉब में क्या बुनियादी अंतर है। भविष्य के रोजगार टास्क आधारित होंगे। इनके केंद्र में आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, समूह कार्य और संज्ञानात्मक शिक्षण से संबंधित कौशल हासिल करना होगा। इस बदलती भूमिका के अनुरूप मौजूदा श्रमशक्ति को कौशल प्रदान करने के लिए उन्हें पुन: अथवा अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान करने की जरूरत होगी। नई भूमिकाएं और नए उद्योग सृजित किए जाएंगे- इससे लाखों नई नौकरियां तैयार होंगी। इसके लिए मंत्रालयों, राज्य सरकारों और उद्योग संगठनों को मिलकर भविष्य के रोजगारों के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करना होगा। इस दौरान नए रोजगार के अवसर, जिन्हें गीग इकोनॉमी भी कहा जाता है, उत्पन्न होंगे, जैसे ऑनलाइन डेवलपर्स, कोडर्स, मल्टीमीडिया प्रोफेशनल्स, ऑनलाइन सेल्स और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, सिस्टम थिंकिंग और बहुभाषीय एवं बहु-मोडल क्षमताएं। भारत में सूचना-प्रौद्योगिकी कुशाग्र युवाओं की बड़ी संख्या है। इनके जरिए देश उद्योग 4.0 के विभिन्न चरणों को सहजता से पार कर लेगा। यह आशंका है कि कृत्रिम मेधा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत सी नौकरियों को समाप्त कर देंगे लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह देखा गया है कि प्रौद्योगिकी की हर नई लहर ने और अधिक नौकरियां पैदा की हैं।

विश्व बैंक के अनुसार, भारत विश्व की सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है और अगले दशक में भी उसकी विकास की गति जारी रहेगी। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में व्यापक अवसर मौजूद हैं। भविष्य में दक्षता की मांग और उद्योग 4.0 को देखते हुए कौशल संबंधी कार्यसूची पर पुनर्विचार करना होगा, चूंकि विनिर्माण क्षेत्र में विश्वव्यापी स्तर पर संरचनात्मक परिवर्तन होंगे।

उद्योग 4.0 को मेक इन इंडिया, कौशल भारत, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों से एकीकृत करने से नए अवसर उत्पन्न होंगे। मेक इन इंडिया का लक्ष्य देश को विश्वव्यापी मैन्यूफैक्चरिंग हब के रूप में बदलना है। इस कार्यक्रम में 2022 तक लगभग 1000 लाख नए रोजगारों का सृजन करने की क्षमता है। केंद्रीय बजट में मोबाइल फोन्स, ऑटोमोबाइल्स इत्यादि पर आयात शुल्क बढ़ाया गया है। इनसे इस कार्यक्रम को बढ़ावा मिला है। इसका यह लाभ होगा कि विदेशी कंपनियां भारत में मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयां लगाने के लिए आकर्षित होंगी। इससे भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विघटन का दौर जारी है। संरक्षणवाद, स्वचालन और विश्वव्यापी चुनौतियां देखी जा रही हैं। यह हमारे तकनीक कुशाग्र युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है।

बिग डेटा, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में भर्तियां बढ़ रही हैं। बहुत सी कंपनियों ने रोजाना की समस्याओं के नए समाधनों को हासिल करने के लिए प्रतिभाओं को पोषित करने वाले एसेलरेटर प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। भारत सरकार भी इस प्रयास को समर्थन दे रही है। 2018-19 में डिजिटल इंडिया का बजट दोगुना करके 3,073 करोड़ रुपए किया गया है। साथ ही रोबोटिक्स, आर्टिशिफियल इंटेलिजेंस, डिजिटली विनिर्माण, बिग डेटा एनालिसिस और आईओटी में अनुसंधान, प्रशिक्षण और कौशल के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना है। 2016 की जनवरी में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी। यह कार्यक्रम व्यापक स्तर पर रोजगारों का सृजन कर रहा है और उद्यमिता एवं नवाचार को पोषित करने वाले जीवंत परिवेश को तैयार कर रहा है। सुपात्र स्टार्टअप को प्राप्त शेयर प्रीमियम पर आयकर वसूली से छूट दी जा रही है और सात निरंतर आकलन वर्षों में से किन्हीं तीन वर्षों की आमदनी के लाभों और प्राप्तियों में शत प्रतिशत कटौती का लाभ दिया जा रहा है। भारत सरकार ने दूरसंचार नीति पर राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 नामक मसौदा तैयार किया है। इसका उद्देश्य उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के लिए रोडमैप तैयार करना है। इसने 2022 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश और 40 लाख नौकरियों के

सृजन की योजना तैयार की है। इस नीति का उद्देश्य डिजिटल संचार के क्षेत्र में नवाचार की अगुवाई करने वाले स्टार्टअप का सृजन करते हुए विश्वव्यापी मूल्य संवर्धन शृंखलाओं में भारत के योगदान को बढ़ाना है। इन नीति के अंतर्गत 10 लाख लोगों को नए दौर की दक्षताओं के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, आईओटी इकोसिस्टम को पांच अरब कनेक्टेड उपकरणों तक बढ़ाया जाएगा और उद्योग 4.0 में संक्रमण की गति दी जाएगी।

भविष्य में डिजिटल परिसंपत्तियां और श्रमशक्ति की क्षमताएं संगठनों की नई बैलेंस शीट बनेंगी। ये परिसंपत्तियां नवाचार में प्रतिद्वंद्विता और विघटन को पारिभाषित करेंगी। शिक्षुता का संवर्धन इस बैलेंस शीट के लिए एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है। इस दिशा में राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना एक रणनीतिक कार्यक्रम है।

नवाचार के परिवेश को प्रोत्साहन और पोषण

शिक्षा-उद्योग और सरकार के बीच रणनीतिक संबंधों से नवाचार और संगठनों के आरएंडडी को प्रोत्साहन मिलेगा। पूंजी के रूप में युवाओं का उपयोग किया जा सके, इसके लिए उन्हें शिक्षा और रोजगारपरक कौशल प्रदान किया जाना चाहिए। इस दिशा में उद्योग जगत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वह अपनी निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के बजट के जरिए युवाओं को ऐसे अवसर प्रदान कर सकता है। अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं में असाधारण क्षमता और उद्यमिता कौशल है। अगर उन्हें ऐसे परिवेश में लाया जाएगा जहां नई सोच को पोषित किया जाता है तो वे सस्ते और उच्च स्तर के नवोन्मेषी प्रतिमानों का सृजन कर पाएंगे। अगर उन्हें वित्त पोषित किया जाए- उन्हें दिशानिर्देश एवं सलाह मिले, नेटवर्क संबंधी सहयोग और प्रौद्योगिकी का सहारा मिले, तो उनकी क्षमता का पूरा दोहन किया जा सकता है। ऐसे कई नमूनों पर काम किया जा रहा है जिन्होंने रोजगार सृजन भी किया है और उनसे राजस्व भी प्राप्त हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास सतत है और इसने विकास के अवसरों के प्रति उम्मीद जताई है। विमुद्रीकरण और जीएसटी के असर समाप्त हो चुके हैं, एफडीआई का प्रवाह अच्छा है और व्यवसाय जगत में बहुमुखी गतिविधियों का पुनरुत्थान हुआ है। विनिर्माण के क्षेत्र में भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत ने अपनी स्थिति में सुधार किया है। कौशल और रोजगार सृजन की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं और उपयुक्त नीतियों, उचित कौशल के चयन, मानव पूंजी के विकास और शिक्षा-उद्योग जगत के संबंधों के जरिए युवाओं की क्षमताओं का धरातल पर उपयोग किया जा सकता है।

आगे का मार्ग

विश्व बैंक के अनुसार, भारत विश्व की सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है और अगले दशक में भी उसकी विकास की गति जारी रहेगी। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में व्यापक अवसर मौजूद हैं। भविष्य में दक्षता की मांग और उद्योग 4.0 को देखते हुए कौशल संबंधी कार्यसूची पर पुनर्विचार करना होगा, चूंकि विनिर्माण क्षेत्र में विश्वव्यापी स्तर पर संरचनात्मक परिवर्तन होंगे। उत्पादन और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कौशल महत्वपूर्ण वाहक बनेंगे, इसलिए कर्मचारियों को पुनर्प्रशिक्षण या अतिरिक्त प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है। सरकार को पाठ्यक्रमों में स्टेम शिक्षा (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) को अंतर्विष्ट करना होगा, कम से कम स्कूलों में बुनियादी शिक्षा प्रदान करनी होगी और रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच एवं सिस्टम्स थिंकिंग पर खास बल देना होगा। देश में नित उभरने वाले और निरंतर होने वाले परिवर्तनों के साथ कदम से कदम मिलाने का दबाव भी है। किसी देश के विकास का मूल स्रोत युवा होते हैं। इसके लिए ऐसी रणनीति तैयार करनी चाहिए जो प्रगतिशील परिवर्तन की ओर मार्ग प्रशस्त करे। भारत सरकार विभिन्न प्रतिमानों और योजनाओं के जरिए परिवर्तन लाने का प्रयास कर रही है। हमारे युवा भी नए अवसरों के अनुकूल अपने आपको ढालने के लिए उत्साहित हैं। ❑

LUKMAAN IAS

ONLINE/OFFLINE

Lead with Edge

सिविल सेवा परीक्षा 2018/19 के लिए सत्र

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन (प्रारम्भिक तथा मुख्य परीक्षा) 2019

11 जून से बैच प्रारम्भ

समय : 10 से 12:30 बजे तक

अवधि : 10 महीने।

- उत्तर लेखन पर आधारित कक्षाएं।
- प्रत्येक 15 दिन में प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर आधारित टेस्ट जिसमें 20 प्रारंभिक व 5 मुख्य परीक्षा आधारित प्रश्न होंगे।
- पेपर के अनुसार प्रिंटिंग नोट्स।

मुख्य परीक्षा 2018 के लिए कक्षा कार्यक्रम

सामान्य अध्ययन

11 जून / 60 दिन / 10 - 12:030AM

इतिहास

13 जून / 60 दिन / 1:00 - 3:30PM

उर्दू साहित्य

18 जून / 60 दिन / 3:00 - 5:30PM

केस स्टडी (सामान्य अध्ययन पेपर – 4)

11 जून / 7 कक्षाएं / 4 - 6:30PM

मुख्य परीक्षा 2018 के लिए टेस्ट सीरीज

बैच प्रारंभ
14, 15 और 16 जून से

सामान्य अध्ययन • निबंध • नीतिशास्त्र टेस्ट सीरीज

अधिक जानकारी के लिए
www.lukmaanias.com

वैकल्पिक विषय

इतिहास • उर्दू साहित्य • लोक प्रशासन • समाजशास्त्र •भूगोल

MUKHERJEE NAGAR CENTRE

871, FIRST FLOOR, MAIN ROAD, (OPPOSITE BATRA CINEMA)

CONTACTS: 011-41415591, 7836816247 & 9654034293

enquiries@lukmaanias.com

lukmanias@gmail.com

YH-827/2018

IAS

PCS

INDIAN INSTITUTE OF STUDENTS

इलाहाबाद में IIS को एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर, छात्रों को उनके सहयोग एवं सतत विश्वास के लिए हार्दिक आभार

सामान्य अध्ययन

Foundation | Mains | Prelims | CSAT

देश के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ

ASHOK SINGH
Mentorship ECO & Sci. Tech.

R. Kumar
An expert of Eco.& Sci.Tech.

Abhaey Kumar
An expert of Polity. Governance & Ethics

Akhtar Malik
An expert of History&Culture

P. Mahesh
An expert of Geography

अब PCS मुख्य परीक्षा भी IAS मुख्य परीक्षा के पैटर्न पर आधारित

तो पढ़े उनसे जिन्होंने हमेशा मुख्य परीक्षा के साथ-साथ प्रारम्भिक परीक्षा के विद्यार्थियों को तैयार कर प्रशासक बनाया

फिर क्या....

आइये....Iis के शैक्षणिक प्रांगण में

10 जून निःशुल्क कार्यशाला

नया बैच प्रारम्भ

प्रातः 8:00 बजे

सायं: 4:30 बजे

संस्थान के एक वर्ष के स्थापना दिवस पूर्ण होने पर

प्रथम 200 छात्रों हेतु न्यूनतम शुल्क

P. Mishra	K.V. Mishra	Sanjay Sir
Social Issues & Internal Security	An expert of IR & Current Events	An Expert of Science

अन्य अनुभवी एवं ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों द्वारा नियमित अध्यापन

प्रयाग महिला विद्यापीठ के सामने, वात्सल्य हॉस्पिटल के पास, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद

9628948321
8756244060
6391845549

YH-826/2018

कर प्रणाली में सुधार

टी एन अशोक

डीटीसी और जीएसटी कराधान प्रणाली को आसान बनाने, करदाताओं का अधिकार बढ़ाने और कर संग्रह में खासी वृद्धि करने में बहुत सहयोगी साबित होंगे, जिससे आगे जाकर देश का राजकोषीय घाटा कम होगा। सरल कर कानून और आसान मध्यस्थता के कारण विदेशी निवेशकों के लिए भारत निवेश का आकर्षक ठिकाना बन जाएगा। इससे भारत के जीडीपी में अधिक वृद्धि होगी और लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए अधिक आय आएगी

किसी भी उभरती हुई अर्थव्यवस्था को देश और विदेश दोनों मोर्चों से भरी निवेश की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा निवेश आसानी से नहीं आता। इसके लिए ऐसी न्यायोचित, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भेदभावरहित कराधान प्रणाली चाहिए, जो निवेशकों को अपना धन उत्पादक उद्देश्यों में लगाने के लिए प्रोत्साहित कर सके।

यह बात पूरी दुनिया में महसूस की गई है और सबसे अधिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं विशेषकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने बेहद प्रगतिशील कराधान प्रणाली लागू की हैं। एक के बाद एक सरकारों के लिए कर सुधारों का उद्देश्य कर आधार को बढ़ाना और कर ढांचे को तर्कसंगत बनाना रहा है।

भारतीय कराधान प्रणाली पर विभिन्न शोध पत्र मोटे तौर पर यही बताते हैं कि भारतीय कर प्रणाली अब संकीर्णता भरी, जटिल और जुर्माना वसूलने वाली नहीं रह गई है बल्कि अधिक प्रभावशाली हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में सुधारों का जोर राजस्व संग्रह बढ़ाने और खामियां कम से कम करने पर रहा है और उन्हें उसी प्रकार की दिशा दी गई है। कराधान प्रणाली में पहला बड़ा सुधार राज्य स्तरीय बिक्री कर को मूल्यवर्द्धित कर (वैट) में तब्दील करना था। दृष्टिकोण बदलने से कर प्रशासन को बड़ा फायदा हुआ। इस लेख में हम मुख्य रूप से और अधिकाधिक बात गोविंद मारापल्ली राव जैसे विशेषज्ञों के शोध पत्रों की करेंगे, जो अभी राष्ट्रीय लोकवित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) के मानद प्रोफेसर हैं। वह लोकवित्त, लोक अर्थशास्त्र एवं वृहद् अर्थशास्त्र में शोध करते हैं। अभी वह 'बुक ऑन इंडियन पब्लिक फाइनेंस' पर काम कर रहे हैं।

कर विश्लेषक दावा करते हैं कि कर सुधार तो ईमानदारी से हुए थे, लेकिन कर प्रणाली को व्यापक, उत्पादक एवं प्रभावशाली बनाने में बहुत कमी रह गई थी। कंपनी कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और बिक्री कर में डीजल और पेट्रोल से अधिक राजस्व मिलने के कारण कर की लागत बढ़ गई। व्यक्तिगत आयकर का आधार बहुत कम रहा। बिक्री कर में सुधार शुरू ही हुए थे और गंतव्य आधारित खुदरा वैट को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ करना रह गया था। कर प्रशासन में सुधार से राजस्व में बढ़ावे का आश्वासन मिला और उम्मीद है कि उससे भविष्य में सुधार तय करने के लिए जरूरी संभावना पैदा हो जाएगी। लेकिन यह सब 90 के दशक के आरंभ में था, जब भारत ने विदेश से और देश के भीतर से निवेश आकर्षित करने के लिए बड़े आर्थिक सुधार किए थे।

1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से कराधान नीति

यदि भारत में केंद्र सरकार के मुख्य करों के ढांचों की तुलना 1991 से पूर्व के कर ढांचों से की जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय प्रचलनों का अनुसरण करते हुए आयकर, उत्पाद शुल्क तथा व्यापार करों की दरों में अच्छी खासी कटौती की।

साथ ही राज्यों ने भी अपनी बिक्री कर दरों को एक जैसा बनाने की कोशिश की और 1 अप्रैल, 2005 को वैट लागू करना सबसे महत्वपूर्ण रहा। यह 1950 में भारत गणराज्य की स्थापना के बाद से शायद सबसे महत्वपूर्ण कर सुधार था।

लेखक पीटीआई में आर्थिक मामलों के संपादक थे। वह हैंबर्ग के जर्नल एलओजी में एसोसिएट संपादक भी हैं। वह फिलहाल 'कॉरपोरेट टाइकून्स' और 'द फ्लैग पोस्ट' के कार्यकारी संपादक हैं। ईमेल: feedback@ashoktnex@gmail.com

1991 से पहले भारत का समूचा कर ढांचा मोटे तौर पर अकुशल था और न्यायसंगत भी नहीं था। आयकर दरें अंतरराष्ट्रीय मानकों से ऊंची थीं और केंद्रीय स्तर पर कोई वैट नहीं था। 1980 के दशक के मध्य से कुछ मामलों में वैट आरंभ हुआ था। खपत पर कर का आधार छोटा था और सेवाओं को कर आधार से बाहर रखा गया था। सीमा शुल्क बहुत अधिक थे, लेकिन उनमें कई प्रकार की जटिल छूटें भी थीं। कुछ ही मामलों में निर्यात शुल्क लगने के कारण पारंपरिक निर्यात की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मकता कम हो गई थी। उप राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के बिक्री करों ने बड़ा बोझ लाद दिया था क्योंकि इनपुट कर को अंतिम उत्पाद की कीमतों में ही शामिल किया जाता था, जिस कारण बार-बार कर लगता जाता था। ऐसी स्थितियां देखकर कर विश्लेषक आम तौर पर मानते हैं कि भारत के कर ढांचे में हुए बदलावों से उसकी प्रभावशीलता तथा निष्पक्षता बढ़ गई।

कर सुधारों से नुकसान भी हुआ क्योंकि करदाताओं के आधार में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई और सरकार कर की दर घटाने से राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं कर सकी। केंद्र सरकार को कर से जो राजस्व संग्रह होता था, उसमें 1994 से ही पहले के मुकाबले सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 1 प्रतिशत जितनी कमी आने लगी। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क राजस्व में जो कमी हुई, उसकी भरपाई आयकर राजस्व में हुए इजाफे से नहीं हो सकी। कर विशेषज्ञों ने शोध पत्रों में दावा किया है कि केंद्रीय कर कम करने के बाद भी नियत समय तक कर में दी जा रही कुछ रियायतों की अवधि बढ़ा दी गई और नए प्रोत्साहन भी दे दिए गए।

देखते हैं कि भारतीय कंपनियों और विदेशी कंपनियों के कंपनी कर की दरें किस तरह कम होती गईं।

केंद्रीय कर ढांचे में व्यापक बदलाव

आयकर

1990 के दशक के मध्य में भारत आर्थिक सुधारों की राह पर बढ़ा ही था और कई विकासशील देश सुधार कर भी चुके थे, जिनमें व्यक्तिगत आयकर की दरें घटकर 15, 25 और 35 प्रतिशत ही रह गई थीं। भारत ने भी 1997-1998 में उन्हीं की जैसी 10, 20 और 30 प्रतिशत दरें लागू कर दी थीं। प्रभावशीलता बढ़ाने के इरादे से दरों, उनकी संख्या और प्रसार को घटाया गया था। समूची विकासशील दुनिया मसलन पूर्वी एशिया और लैटिन अमेरिका में कंपनी आयकर की दरें घटा दी गईं। कंपनी आयकर की दरों में कमी के पीछे कुछ हद तक प्रशासनिक लचीलेपन और बेहतर कर अनुपालन के उद्देश्य थे, लेकिन वैश्वीकरण की ताकतें और पूंजी की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय आवाजाही इसका वास्तविक कारण थीं। भारत में देसी और विदेशी दोनों प्रकार की कंपनियों के लिए कंपनी आयकर की दरें घटाकर क्रमशः 35 और 40 प्रतिशत कर दी गईं।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क

केंद्रीय उत्पाद शुल्क वैट की तरह काम करता है, जो 1986-87 में मामूली तरीके से शुरू होने के बाद काफी आगे आ चुका है। उस समय कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं के उत्पादन के लिए चुने हुए कच्चे माल पर वैट जैसी क्रेडिट प्रणाली लागू की गई थी। 1994-1995 में पूंजीगत वस्तुओं पर कर क्रेडिट लागू कर दिया गया। आधे-अधूरे वैट का जो ढांचा उभर रहा था, उसे संशोधित वैट या मॉडवैट कहा गया। इसके बाद मुख्य दरों को घटाकर केवल 8 और 16 प्रतिशत करने के प्रयास किए गए और 2001 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय वैट या सेनवैट कर दिया गया।

कर प्रशासन

किसी भी नए कर नीति सुधार की सफलता के लिए तीन अंग अहम होते हैं - करदाताओं के आधार में विस्तार, कंप्यूटरीकरण और राज्य स्तरीय वैट का क्रियान्वयन। केंद्रीय कर प्रशासन में मिली सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी आयकर के लिए करदाताओं के आधार में जबरदस्त इजाफा। 1990 के दशक के अध्य में करदाताओं की संख्या लगभग 1.4 करोड़ थी, जिनमें 1 से 1.1 करोड़ करदाता कर अदा कर रहे थे। करदाताओं का मोटा हिसाब-किताब लगाने पर पता लगा कि 100 करोड़ की कुल जनसंख्या में लगभग 30 करोड़ आबादी ऐसी थी, जो कर चुका सकती थी। यदि एक परिवार में औसतन 5 सदस्य मानें तो 6 करोड़ संभावित करदाता बनते थे। इनमें से 1 करोड़ को ख्रष्टाक परिवार मानकर निकाल देने पर अंत में 5 करोड़ कर चुकाने योग्य परिवार निकलते थे। इस प्रकार केवल 20 प्रतिशत संभावित करदाता ही कर दे रहे थे।

1990 के दशक के उत्तरार्द्ध में स्वेच्छा

	1990-1991	1992-93	1995-96	1997-98	2001-02	2004-05
घरेलू कंपनी	50	45	40	35	35	35
विदेशी कंपनी	65	65	55	48	45	40

(स्रोतः वित्त मंत्रालय)

से खुलासा करने का एक कार्यक्रम आया, जिसमें कमाई करने वाले ऐसे व्यक्तियों को कर योग्य आय शून्य होने के बावजूद पंजीकरण कराना होता था, जिनके पास कोई संपत्ति अथवा टेलीफोन था और जिन्होंने विदेश यात्रा की थी।

इसका दायरा समय के साथ बढ़ा दिया गया ताकि और भी व्यक्तियों का पंजीकरण हो सके। वर्ष 2000 तक पंजीकृत करदाताओं की संख्या 2 करोड़ से अधिक हो गई थी। शोध बताता है कि मामूली समय में ही संभावित करदाताओं की संख्या दोगुनी हो गई, जबकि दशकों तक यह काम नहीं हो पाया था। 2005 में इस पंजी में लगभग 3 करोड़ लोग शामिल थे, जिनमें से करीब 2.5 करोड़ लोग वर्तमान करदाता माने जाते हैं।

वास्तव में कर सुधारों की दिशा में पहल 1980 के दशक के मध्य में आरंभ हुई, जब सरकार ने दीर्घकालिक राजकोषीय नीति, 1985 की घोषणा की। इस नीति में माना गया कि देश की राजकोषीय स्थिति बिगड़ रही है और कराधान प्रणाली में बदलाव करने की आवश्यकता है। उस दशक में केंद्रीय उत्पाद शुल्कों की समीक्षा करने और उन्हें तर्कसंगत बनाने के लिए एक तकनीकी समूह का गठन किया गया और उसके बाद 1986 में मूल्यवर्द्धित कर की संशोधित प्रणाली (मॉडवैट) लागू की गई। शोध पत्रों के अनुसार सीमा शुल्कों को तर्कसंगत बनाने के लिए वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए एकसमान प्रणाली (एचएस) आरंभ की गई।

उसके बाद सरकार ने कराधान प्रणाली को पूरी तरह ठीक करने के लिए और उसे अंतरराष्ट्रीय कराधान प्रणाली अथवा दरों के समतुल्य बनाने के लिए दो बहुत वरिष्ठ अफसरशाहों की अध्यक्षता में एक के बाद एक दो समितियां बनाई। इस प्रकार राजा चेलैया समिति और विजय केलकर समिति अस्तित्व में आई। उनकी सिफारिशें ऐतिहासिक थीं।

राजा चेलैया समिति

सरकार ने प्रोफेसर राजा चेलैया के नेतृत्व में कर सुधार समिति गठित की, जिसका काम भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए कार्यसूची तैयार करना था। इस कर सुधार समिति ने 1991, 1992 और 1993 में तीन रिपोर्ट पेश कीं। इनमें कई उपाय दिए गए थे, जिनमें से मुख्य इस प्रकार हैं:

1. सीमांत कर दरों में कमी लाकर व्यक्तिगत कराधान प्रणाली में सुधार करना।
2. कंपनी कर की दरों में कमी लाना।
3. सीमा शुल्क घटाकर आयातित इनपुट सामग्री की लागत कम करना।
4. सीमा शुल्क दरों की संख्या कम करना और उन्हें तर्कसंगत बनाना।
5. उत्पाद शुल्कों को सरल बनाना और उन्हें वैट प्रणाली के साथ मिलाना।
6. सेवा क्षेत्र को वैट प्रणाली के भीतर कर के दायरे में लाना।
7. कर आधार को विस्तार देना।
8. कर सूचना नेटवर्क तैयार करना एवं कंप्यूटरीकरण करना।
9. कर प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार।

चेलैया समिति के साथ शुरू हुए कर सुधार आज भी जारी हैं। बाद में सरकार ने 2002 में विजय केलकर समिति गठित की, जिसने देश में कर सुधारों को दिशा प्रदान की।

विजय केलकर समिति

2002 में विजय केलकर के नेतृत्व में गठित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर कार्य बल की सिफारिशों के साथ भारत में प्रत्यक्ष कर सुधारों को और भी गति मिली। प्रत्यक्ष कर से संबंधित कार्य बल की मुख्य सिफारिशों में आयकर छूट की सीमा बढ़ाना, छूट को तर्कसंगत बनाना, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर समाप्त करना, संपत्ति कर हटाना आदि शामिल थीं। प्रमुख शर्तें इस प्रकार थीं:

प्रत्यक्ष कर संचालन

- करदाताओं को बेहतर गुणवत्ता और सही मात्रा में सेवा मिलनी चाहिए तथा उन्हें इंटरनेट एवं ईमेल के जरिये ये आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए।
- स्थायी लेखा संख्या (पैन) का विस्तार होना चाहिए और सभी नागरिक उसमें शामिल होने चाहिए।
- जांच एवं जब्ती के मामलों का इकट्ठा निर्धारण बंद होना चाहिए।
- पिछले बचे कार्य को निपटाने के लिए विभाग को डेटा इंट्री का कार्य बाहर से करा लेना चाहिए।
- रिटर्न तथा रिफंड से जुड़े सभी मसले चार महीने के भीतर पूरे हो जाने चाहिए। रिफंड भेजने का काम बाहर से कराना चाहिए।
- कर संग्रह विशेषकर टीडीएस एवं टीसीएस को आधुनिक, सरल एवं तर्कसंगत बनाने के लिए सरकार को कर सूचना नेटवर्क की स्थापना करनी चाहिए।
- देश छोड़ने पर कर क्लियरेंस प्रमाणपत्र की आवश्यकता समाप्त हो।
- सीबीडीटी को उचित प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार देकर सशक्त बनाया जाए।

व्यक्तिगत आयकर

- करदाताओं की सामान्य श्रेणी के लिए छूट की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जाए और वरिष्ठ नागरिकों तथा विधवाओं के लिए और भी छूट दी जाए।
- आयकर श्रेणियों को तर्कसंगत बनाया जाए, व्यक्तिगत आयकर पर उपकर समाप्त किया जाए।
- आवास ऋण पर 2 प्रतिशत ऋण

सब्सिडी प्रदान कर आवास ऋण को बढ़ावा दिया जाए।

- पेंशन फंडों में योगदान पर धारा 80सीसीसी के अंतर्गत कटौती बढ़ाई जाए।

कंपनी कर

- देसी कंपनियों के लिए कंपनी कर घटाकर 30 प्रतिशत और विदेशी कंपनियों के लिए 35 प्रतिशत किया जाए।
- सूचीबद्ध कंपनियों को लाभांश एवं पूंजीगत लाभ पर कर से छूट दी जानी चाहिए।
- संयंत्र एवं मशीनों के लिए मूल्यह्रास की दर बढ़ाई जाए।
- न्यूनतम वैकल्पिक कर समाप्त किया जाए।

संपदा कर

- संपदा कर समाप्त किया जाए।

उपरोक्त सिफारिशें 13 वर्ष पूर्व की गई थीं। आज उनमें से अधिकतर लागू हो गई हैं। डीटीसी और जीएसटी क्रमशः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सरकार द्वारा आरंभ किए गए अब तक के सबसे बड़े सुधार हैं। किंतु डीटीसी आ ही नहीं पाया है और सरकार इसके प्रति बहुत गंभीर दिख भी नहीं रही है क्योंकि इसके अधिकतर प्रावधान आयकर अधिनियम में शामिल किए जा चुके हैं। जीएसटी 1 जुलाई, 2017 को लागू हो गया।

प्रमुख प्रत्यक्ष कर सुधार

कर सूचना नेटवर्क (टिन)

आयकर विभाग की ओर से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ने कर सूचना नेटवर्क (टिन) की स्थापना की। यह देश भर में कर से संबंधित जानकारी का स्रोत है। *टिन* की स्थापना के पीछे बुनियादी उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर प्रत्यक्ष कर के संग्रह, निपटारे, निगरानी एवं लेखा के काम को आधुनिक बनाना था। कर विशेषज्ञों के अनुसार *टिन* में तीन उप प्रणलियां - ईआरएसीएस, ओएलटीएएस और सीपीएलजीएस हैं।

इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न एक्सेप्टेंस एवं कंसॉलिडेशन सिस्टम (ईआरएसीएस)

ईआरएसीएस में करदाताओं से संपर्क के लिए एक प्रणाली (टिन फैसिलिटेशन केंद्र या टिन-एफसी) होती है और स्रोत पर काटे गए कर (टीडीएस) एवं स्रोत पर संग्रहीत कर (टीसीएस) के इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न तथा वार्षिक सूचना रिटर्न (एआईआर) टिन की केंद्रीय प्रणाली में अपलोड करने के लिए इंटरनेट की सुविधा वाली व्यवस्था होती है।

ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम (ओएलटीएएस)

ओएलटीएएस का इस्तेमाल देश भर में फैली कर संग्रह की विभिन्न शाखाओं में रोजाना जमा होने वाले कर का विवरण

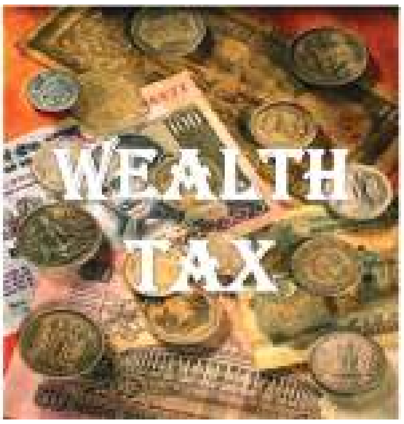

केंद्रीय प्रणाली में अपलोड करने के लिए होता है।

सेंट्रल पैन लेजर जेनरेशन सिस्टम (सीपीएलजीएस)

यह टीडीएस/टीसीएस एवं अग्रिम कर के विवरण को पैन के साथ मिलाने वाली केंद्रीय प्रणाली है।

ई-टीडीएस एवं ई-टीसीएस

स्रोत पर काटे हुए कर को टीडीएस कहते हैं। तीसरा पक्ष स्रोत पर कर काटता है और उसे पहले से निश्चित बैंक शाखाओं में जमा कर देता है। 2004-05 से ही सरकार एवं निजी क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक टीडीएस रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही आयकर अधिनियम, 1961 कहता है कि जब विक्रेता खरीदार से स्रोत पर कर संग्रह करता है तो इसे टीसीएस कहा जाता है। 'स्रोत पर संग्रहित कर के रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की योजना, 2005' के अंतर्गत कटौती करने वाले कंपनी एवं सरकार के प्रतिनिधियों को एनएसडीएल के पास इलेक्ट्रॉनिक अथवा कागजी भुगतान करना होता है।

प्रत्यक्ष कराधान में अन्य पहलें

ईसहयोग कार्यक्रम: कागजरहित निर्धारण

सूचना प्रौद्योगिकी ने करदाताओं का जीवन आसान कर दिया है क्योंकि उन्हें बैंक चालान जमा करने के लिए खुद बैंक नहीं जाना पड़ता और निर्धारण अधिकारी के सामने अपना मामला और दस्तावेज पेश नहीं करने पड़ते। इसे और भी सरल बनाने के लिए सीबीडीटी ने हाल ही में आयकर निर्धारण को कागजरहित बनाने एवं ईमेल पर भिजवाने का प्रस्ताव पेश किया है। इससे करदाता को विशेषकर छोटी राशि के मामले में आयकर कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। इस दिशा में प्रायोगिक परियोजनाएं मुंबई, दिल्ली, बेंगलूरु और अहमदाबाद में शुरू की गई हैं।

सेवोत्तम: प्रभावी शिकायत निपटारा

शिकायत निपटारे की सुस्त प्रणाली को तेज बनाने के लिए विभाग *'सेवोत्तम'* प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर रहा है, जो देश में सभी आयकर कार्यालयों को आपस में जोड़ता है। इसके पीछे विचार यह है कि सभी प्रश्नों और शिकायतों को उसी समय सुलझाया जाए।

तेज रिफंड

आयकर विभाग 10 कार्यदिवसों में ही कर रिफंड निपटाने और भेजने की दिशा में काम कर रहा है। आयकर रिटर्न को आधार अथवा बैंक के डेटाबेस से सत्यापित करने का काम आरंभ किया जा चुका है।

पहले से भरे गए आयकर रिटर्न फॉर्म

ऑनलाइन फॉर्म आने के बाद भी कई लोग कर के लिए कंप्यूटर से डाउनलोड किए गए फॉर्म का प्रयोग करते हैं। विभाग अब पहले से भरे हुए फॉर्म देने की पहल कर रहा है, जिनमें प्रयोगकर्ता/करदाता की जानकारी स्वत: भरी होगी ओर पहले से भरी जानकारी के साथ उसे डाउनलोड किया जाएगा।

पैन शिविर

पैन का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार पूरे भारत में पैन शिविर चलाती आ रही है। आयकर बिजनेस एप्लिकेशन - स्थायी लेखा संख्या (आईटीबीए-पैन) पोर्टल आरंभ करने का भी प्रस्ताव है, जिसके जरिये कोई भी पैन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा और 48 घंटे के भीतर उसे पैन मिल भी जाएगा।

अप्रत्यक्ष कर सुधार

भारत में अप्रत्यक्ष कर में पहला सुधार तब आया, जब 1986 में चुनिंदा उत्पादों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बजाय संशोधित मूल्यवर्द्धित कर (मॉडवैट) लागू किया गया। धीरे-धीरे इसे केंद्रीय मूल्यवर्द्धित कर (सेनवैट) के जरिये सभी उत्पादों में लागू कर दिया गया। राज्यों ने भी इसका अनुसरण किया और बिक्री कर के स्थान पर मूल्यवर्द्धित कर लागू करने के लिए वैट अधिनियम बनाए। प्रमुख अप्रत्यक्ष कर सुधार इस प्रकार हैं।

सीमा शुल्क में कमी

1990 में गैर ख्रषि उत्पादों पर सीमा शुल्क की दर लगभग 128 प्रतिशत थी। उसे धीरे-धीरे कम किया गया। इस समय औसत सीमा शुल्क 11-12 प्रतिशत है, लेकिन उसकी दरें 0 से 150 प्रतिशत तक हैं।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के स्थान पर पहले मॉडवैट लागू किया गया था और अब सेनवैट लगाया गया है। विभिन्न प्रकार के शुल्कों की संख्या कम की गई।

सेवा कर

सबसे पहले 1994-95 में चुनिंदा सेवाओं पर 7 प्रतिशत की दर से सेवा कर लगाया गया था। इसकी दर धीरे-धीरे बढ़ाई गई और कर के दायरे में आने वाली सेवाओं की संख्या भी बढ़ाई गई। इस समय लगभग 100 सेवाओं पर 14 प्रतिशत कर लग रहा है।

वस्तु एवं सेवा कर

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) देश में अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार है। इसमें कुछ गंभीर समस्याएं आईं, जिन्हें भाजपा सरकार ने सुधारा और ठीक कर दिया ताकि करदाताओं के लिए इसका पालन करना आसान हो जाए। लेकिन अंतरराष्ट्रीय कर शोध एवं विश्लेषण प्रतिष्ठान (आईटीआरएएफ), बेंगलूरु के चेयरमैन तथा लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के विजिटिंग फेलो (मई, 2017 से अप्रैल, 2018) एवं अग्रणी अर्थशास्त्री पार्थसारथि शोम का नजरिया अलग रहा है। पी चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते समय उनके सलाहकार रहे शोम ने कहा कि यदि जीएसटी का प्रस्तावित ढांचा आदर्श कर प्रणाली के और करीब होता तो उससे बुनियादी कर सुधार होता। लेकिन यदि जीएसटी के प्रस्तावित ढांचे की पड़ताल की जाए तो इसे आजादी के बाद के सबसे बड़े कर सुधारों में शामिल करना मुश्किल हो जाता है। पहले 1996-97 में आयकर ढांचे में मूलभूत परिवर्तन किया गया था, जब कर ढांचे को काफी घटाकर 30, 20 और 10 प्रतिशत किया गया था। इससे कामकाज के प्रयासों को प्रोत्साहन मिला और राजस्व प्राप्ति भी बढ़ गई। एक दशक बाद केंद्र-राज्य राजकोषीय सहयोग के प्रमुख उदाहरण के तौर पर राज्यों में वैट लागू किया गया। इससे पहले के राज्य स्तर के बिक्री करों में क्रांतिकारी बदलाव आ गया। इससे भी राजस्व प्राप्ति बढ़ी और कारोबार में तेजी आई।

लेकिन अधिकतर कराधान विशेषज्ञ मानते हैं कि जीएसटी और डीटीसी सरकार द्वारा लागू किए गए सबसे बड़े कर सुधार हैं और ये देसी तथा विदेशी दोनों निवेशकों के लिए कराधान ढांचे का अनुपालन आसान बनाने का आश्वासन देते हैं। कर विशेषज्ञों का दावा है कि डीटीसी और जीएसटी कराधान प्रणाली को आसान बनाने, करदाताओं का अधिकार बढ़ाने और कर संग्रह में खासी वृद्धि करने में बहुत सहयोगी साबित होंगे, जिससे आगे जाकर देश का राजकोषीय घाटा कम होगा। सरल कर कानून और आसान मध्यस्थता के कारण विदेशी निवेशकों के लिए भारत निवेश का आकर्षक ठिकाना बन जाएगा। इससे भारत के जीडीपी में अधिक वृद्धि होगी और लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए अधिक आय आएगी। ❑

संदर्भ

- कराधान सुधारों पर शोध पत्र (पार्थसारथि शोम और अन्य)
- इंटीग्रेटेड यूपीएससी/आईएएस जनरल स्टडीज टारगेट 2018 मेंबरशिप प्रोग्राम से सामग्री

CHANAKYA
IAS ACADEMY
CHANAKYA
IAS ACADEMY
SINCE-1993
A Unit of CHANAKYA ACADEMY FOR EDUCATION AND TRAINING PVT. LTD.
Under the direction of Success Guru AK MISHRA
CELEBRATING SILVER JUBILEE YEAR
25
YEARS OF EXCELLENCE
25 Years of Excellence, Extraordinary Results every year,
4000+ Selections in IAS, IFS, IPS and other Civil Services so far...
Congratulations to our successful candidates in
CIVIL SERVICES EXAMINATION 2017
5 IN TOP 10
11 IN TOP 20
42 IN TOP 100
ATUL PRAKASH
RANK- 4
KOYA SREE HARSHA
RANK- 6
AYUSH SINHA
RANK- 7
ANUBHAV SINGH
RANK- 8
SAUMYA SHARMA
RANK- 9
Total 355+ Selections
IAS 2019
Upgraded Foundation Course™
A Complete solution for Prelims, Mains & Interview
BATCH DATES: 10th May , 10th June, 10th July-2018
हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध
North Delhi Branch: 1596, Ground Floor, Outram Lines, Kingsway Camp, Opp. Sewa Kutir Bus Stand, Near GTB Nagar Metro Station Gate No.2, Delhi-09, Ph: 011-27607721, 9811671844/45
Central Delhi Branch: Level 5, Plot No. 3B, Rajendra Park, Pusa Road, Next to Rajendra Place Metro Station, Gate No. 4, Delhi-60, Ph: 8447314445
South Delhi Branch/HO: 124, 2nd Floor, Satya Niketan, Opp. Venkateswara College, Next to South Campus Metro Station, Delhi-21, Ph: 011-64504615, 9971989980/81
www.chanakyaiasacademy.com
Our Branches
Allahabad: 9721352333 | Ahmedabad: 7574824916 | Bhubaneswar: 9078878233 | Chandigarh: 8288005466 | Dhanbad: 9113423955
Guwahati: 8811092481 | Hazaribagh: 9771869233 | Indore: 9522269321 | Jammu: 8715823063 | Jaipur: 9680423137
Kochi: 7561829999 | Mangaluru: 7022350036 | Patna: 8252248158 | Pune: 9112264446 | Ranchi: 8294571757 | Srinagar: 9599224341

जन-जन तक जरूरी और सस्ती दवाइयों की पहुंच

बिप्लब चटर्जी

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) की वजह से गुणवत्ता वाली दवाओं की कीमतों में तेजी से कमी आई है और आबादी के बड़े हिस्से, खासतौर पर गरीबों को दवाएं मिल रही हैं। पीएमबीजेपी के तहत उपलब्ध दवाएं ब्रांडेड कीमतों के मुकाबले 50-90 फीसदी सस्ती हैं, जिससे देश के नागरिकों को 400 करोड़ की बचत मुमकिन हो रही है

यह एक विडंबना है कि आजादी के 70 साल बाद भी देश की 40 फीसदी आबादी ही ब्रांडेड दवाओं का खर्च वहन करने में सक्षम है। ब्रांडेड दवाओं का बाजार 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये का है, जबकि कुल 10 लोगों में से 6 को ब्रांडेड दवाओं की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हालांकि, इस तस्वीर का एक बेहतर पहलू यह है कि भारत विश्वस्तरीय जेनरिक दवाओं के निर्यात के मामले में प्रमुख देश है और वह तकरीबन 200 देशों को ऐसी दवाओं की आपूर्ति करता है। दुनियाभर में खपत होने वाली हर 6 दवाओं में से 1 दवा की खपत भारत में होती है।

इस विरोधाभास पर भी नजर डालने की जरूरत है कि एक ओर जहां 10 में से 6 लोगों को दवाओं की उपलब्धता नहीं है, जबकि भारत दुनिया के उन 4 प्रमुख देशों में शामिल है, जो अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाओं का उत्पादन कर इसे बाकी देशों को निर्यात करता है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) का मकसद इस विरोधाभासी स्थिति को दूर करना है। यह परियोजना देश के हर नागरिक को (चाहे वह किसी धर्म, जाति या स्तर का हो) किफायती दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाली दवाओं को उपलब्ध कराना है। इसके जरिये सरकार का इरादा देश के नागरिकों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य सुरक्षा मुहैया कराना है।

भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय से जुड़े फार्मास्युटिकल विभाग ने नवंबर 2008 में देश भर में 'जनऔषधि योजना' शुरू की थी। इसका मकसद सभी लोगों को किफायत में बेहतर गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराना था। इस योजना को भारतीय फार्मा पीएसयू ब्यूरो

लेखक बीपीपीआई (प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना) के पूर्व सीईओ हैं। उनके पास इस इंडस्ट्री में 41 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। अपने करियर में उन्होंने व्यावसायिक और रणनीतिक जिम्मेदारियों के तहत बिक्री प्रबंधन, मार्केटिंग प्रबंधन और बिजनेस सपोर्ट में तमाम स्तरों पर काम किया है। उनके पास व्यावसायिक प्रक्रिया विकास और सांगठनिक विकास संबंधी गहन अनुभव है और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सफलतापूर्वक प्रबंधकों को नेतृत्व प्रदान किया है।

प्रगति की तुलना

मानक	पहले	अब
योजना का दायरा- मौजूदगी	16 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	33 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश
उत्पाद बास्केट	361 दवाएं	700 दवाएं और 154 सर्जिकल और खपत योग्य अन्य सामग्री
उपलब्ध दवाएं	90-100	600 से भी ज्यादा दवाएं और 100 सर्जिकल
विभिन्न बीमारियों के इलाज से जुड़ी दवाओं का दायरा	उत्पाद बास्केट अधूरा था	उत्पाद बास्केट में संक्रमण, मधुमेह, दिल की बीमारियों, कैंसर, गैस आदि के इलाज से जुड़ी 23 अहम कैटेगरी शामिल हैं
आपूर्तिकर्ता	138 दवाओं के लिए पीएसयू	पीएसयू + 125 निजी डब्ल्यूएचओ-जीएमपी आपूर्तिकर्ता
आपूर्ति चेन प्रबंधन	इसका वजूद नहीं था	केंद्रीय वेयरहाउस, 8 सीएंडएफ एजेंटों और 54 वितरकों के प्रबंधन के लिए आईटी से लैस आपूर्ति चेन प्रबंधन प्रणाली। नए आपूर्ति चेन प्रबंधन की नई प्रणाली लागू की गई।

(बीपीपीआई), गुड़गांव के जरिये लागू किया जा रहा है। यह ब्यूरो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्युटिकल विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम कर रहा है।हालांकि, साल 2015 तक सिर्फ 99 पीएमबीजेपी केंद्र ही काम कर रहे थे। सितंबर 2015 में 'जन औषधि योजना' को नया रूप दिया गया और इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना (पीएमजेएवाई) कर दिया गया गया। योजना की पहुंच ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए दिसंबर 2016 में इसका नाम एक बार फिर से बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) कर दिया गया गया। इसके बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अखबारों के जरिये मीडिया में अभियान चलाकर लोगों को इस योजना में शामिल होने को कहा गया।

परियोजना की खास बातें

- आबादी के सभी हिस्से, खासतौर पर गरीबों और वचिंतों तक अच्छी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाओं की पहुंच का दायरा बढ़ाना, ताकि प्रति व्यक्ति के लिहाज से इलाज की यूनिट लागत को कम किया जा सके। डब्ल्यूएचओ-जीएमपी और सीपीएसयू विनिर्माताओं के जरिये बेहतर गुणवत्ता वाली दवाओं की खरीद और हर बैच को एनएबीए लैब से हरी झंडी मिलने के बाद ही जारी करना।
- इस धारणा को दूर करने की जरूरत है कि गुणवत्ता का संबंध सिर्फ ऊंची कीमतों से है। लिहाजा, शिक्षा और प्रचार के जरिये जागरूकता फैलाना।
- सरकार, पीएसयू, निजी क्षेत्र, एनजीओ, सोसायटी, सहकारी इकाइयों और बाकी संस्थानों की सहभागिता से सार्वजनिक कार्यक्रम चलाना।
- इलाज की कम लागत के जरिये स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए जेनरिक दवाओं की मांग पैदा करना और तमाम तरह के इलाज में जरूरत के हिसाब से इन दवाओं की उपलब्धता को आसान बनाना।
- जन औषधि केंद्रों को खोलने में निजी उद्यमियों को जोड़कर रोजगार पैदा करना।

मौजूदा एजेंसी/उद्यमियों/निजी लोगों/ आदि को मिलने वाला फायदा

- 2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी, जबकि काम करने वाली एजेंसी को मुफ्त में जगह की व्यवस्था किए जाने की बात है।
- किसी भी सरकारी भवन मसलन रेलवे/राज्य परिवहन विभाग/शहरी स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थानों/ डाकघरों/रक्षा/पीएसयू आदि की इमारतों में मुफ्त में जगह मुहैया कराई जाएगी।

किसी भी निजी उद्यमी

- किसी भी निजी उद्यमी द्वारा पीएमबीजेके खोले जाने पर उसे 2.5 लाख रुपये तक का इंसेंटिव दिया जाएगा।
- शुरुआत में अनुसूचित जाति/जनजाति और दिव्यांगों को 50,000 रुपये तक की मुफ्त दवाओं का फायदा मिलेगा।

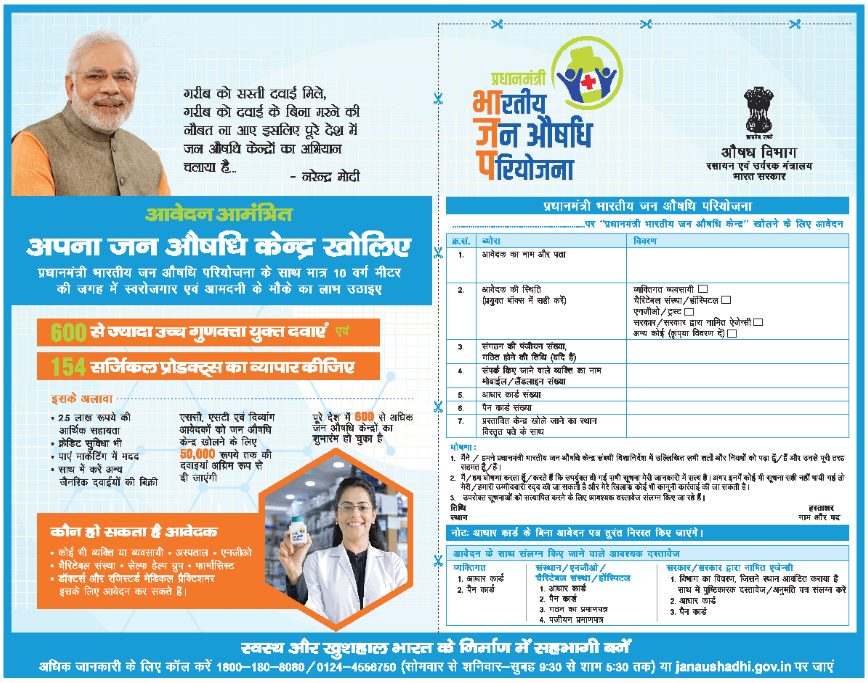

2016-17 और 2017-18 के दौरान हासिल किए गए लक्ष्य (31-08-2018 के मुताबिक)

- पीएमबीजेके के जरिये 700 से ज्यादा दवाएं और 154 सर्जिकल और अन्य आइटम बिक्री के लिए बास्केट में उपलब्ध हैं। जल्द ही बास्केट को बढ़ाकर इसके दायरे में 1,000 दवाओं को लाया जाएगा।
- केंद्रीय वेयरहाउस में उत्पादों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सभी उत्पादों को वितरकों और केंद्रों तक पहुंचाने के लिए कोशिशें जारी हैं।
- अलग-अलग राज्यों में 8 सीएंडएफ एजेंट बनाए गए हैं और बेहतर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के मकसद कई और एजेंट बनाने को लेकर काम चल रहा है।
- बेहतर उपलब्धता के लिए अलग-अलग राज्यों में 54 वितरकों की तैनाती हुई है।
- आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए नया आपूर्ति प्रणाली लागू की गई।
- कई राज्यों ने अपने यहां पीएमबीजेपी को लागू करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

उपलब्धता

- चालू प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 3,500 से भी ज्यादा हो गई है, 33 से भी ज्यादा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में फैली है।
- हर केंद्र की रोजाना औसत बिक्री 3,300 रुपये है, जो 15,000 रुपये के ब्रांडेड उत्पादों की बिक्री के बराबर है।
- बीपीपीआई देश भर में हर दिन 4-5 केंद्र खोल रहा है।
- पीएमबीजेपी केंद्र अब देश के 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मौजूद है।
- देश के कुल 718 जिलों में से कुल 584 में पीएमबीजेपी केंद्र खोले गए हैं।

पीएमबीजेपी की वजह से गुणवत्ता वाली दवाओं की कीमतों में तेजी से कमी आई है और आबादी के बड़े हिस्से, खासतौर पर गरीबों को दवाएं मिल रही हैं। पीएमबीजेपी के तहत उपलब्ध दवाएं ब्रांडेड कीमतों के मुकाबले 50-90 फीसदी सस्ती हैं, जिससे देश के नागरिकों को 400 करोड़ की बचत मुमकिन हो रही है। निम्न तालिका में इसे और स्पष्ट तरीके से समझा जा सकता है। ❑

तालिका

क्र.	दवा का नाम	किस बीमारी के इलाज में होता है इस्तेमाल	औसत बाजार मूल्य (रुपये)	पीएमबीजेपी की कीमत (रुपये)	प्रतिशत बचत
1	एमलोडिपिन 5एमजी 10 टैबलेट	दिल की बीमारी में	20	3.24	83.80
2	रैमिप्रिल 5 एमजी 10 टैबलेट	दिल की बीमारी में	80	8.53	89.33
3	पैस्लीटेक्सेलस सुई 100 एमजी	कैंसर में	3458	540	84.38
4	पैंटोप्राजोल 40 एमजी+ डोमपीरियडन 30 एमजी कैप्सूल	गैस और आंत संबंधी परेशानियों में	103.30	18.48	82.11
5	ग्लिमेपिराइड 2 एमजी टैबलेट	मधुमेह संबंधी दिक्कतों में	52.90	3.54	93.20
6	ट्रामडोल 50 एमजी टैबलेट	दर्द आदि को दूर करने में	29.77	2.52	91.53

Mc Graw Hill Education

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2018

भविष्य के IAS, IPS तथा IRS अधिकारियों की मार्गदर्शिका

की तैयारी के लिए आपके सशक्तिकरण हेतु उपयोगी पुस्तकें

₹ 640/-

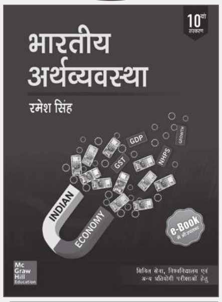

ISBN: 9789387572850

₹ 415/-

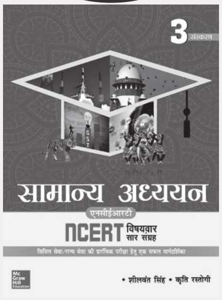

ISBN: 9789387572409

₹ 505/-

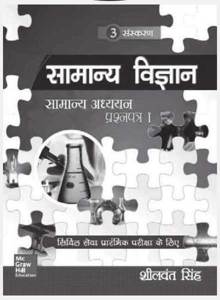

ISBN: 9789385965951

₹ 465/-

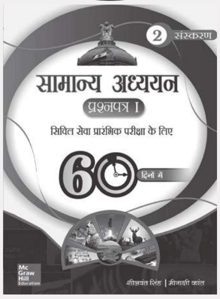

ISBN: 9789385965968

₹ 345/-

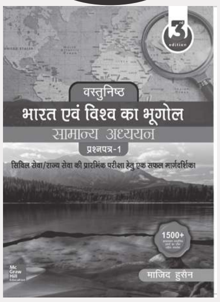

ISBN: 9789387572416

₹ 475/-

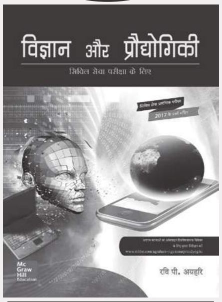

ISBN: 9789352607501

₹ 415/-

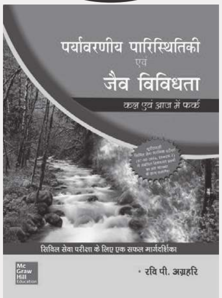

ISBN: 9789352602322

₹ 345/-

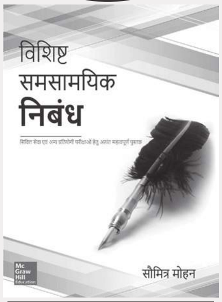

ISBN: 9789352607679

₹ 435/-

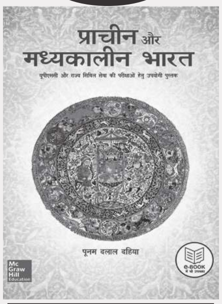

ISBN: 9789387572928

₹ 475/-

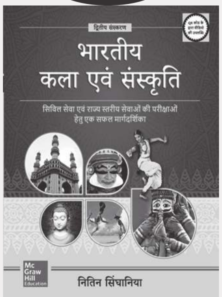

ISBN: 9789387067714

Prices are subject to change without prior notice.

सामान्य अध्ययन (प्रश्नपत्र I और II 2018)

के नि:शुल्क प्रश्नपत्र प्राप्त करने के लिए पंजीकृत करें

www.mheducation.co.in/upscsamplepapers

मेक्ग्रॉ हिल एजुकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

SHIPPING FREE Above ₹ 500/-

टोल फ्री नं.: 1800 103 5875 | ई-मेल: support.india@mheducation.com | खरीदें @ www.mheducation.co.in

संपर्क करें@ /McGrawHillEducationIN /MHEducationIN /Company/McGraw-Hill-Education-India /McGrawHillEducationIndia

YH-850/2018

कृषि क्षेत्र में समग्र पहल : 'हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना'

मई 2018 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कबीना समिति ने कृषि क्षेत्र में अंब्रैला स्कीम- 'हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना' को अपनी मंजूरी दी। 12वीं पंचवर्षीय योजना से इतर 2017-18 और 2019-20 की अवधि के लिए इस योजना में केंद्र की हिस्सेदारी 33,269.976 करोड़ रुपए है।

इस अंब्रैला योजना में 11 योजनाएं/मिशन समाहित हैं। इनका उद्देश्य समग्र और वैज्ञानिक तरीके से कृषि और संबद्ध क्षेत्र में विकास करना है जिससे उत्पादन, उत्पादकता और उपज पर बेहतर रिटर्न को बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि की जाए। तीन वित्तीय वर्षों, यानी 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए इन योजनाओं को 3,269.976 करोड़ रुपये के व्यय के साथ जारी रखा जाएगा।

निम्नलिखित योजनाएं अंब्रैला स्कीम्स में शामिल हैं-

1. बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच): 7533.04 करोड़ रुपए की कुल केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ एमआईडीएच का उद्देश्य बागवानी उत्पादन को बढ़ाकर, आहार सुरक्षा में सुधार करके और कृषि परिवारों को आय समर्थन देकर बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना है।

2. तिलहन और तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमओओपी) सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) में कुल केंद्रीय हिस्सा 6893.38 करोड़ रुपए का है। इसका उद्देश्य देश के चिन्हित जिलों में उचित तरीके से क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता को बढ़ाकर चावल, गेहूं, दाल, मोटे अनाज तथा वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ाना है। यह कार्य प्रत्येक कृषि भूमि में मिट्टी की उर्वरता तथा उत्पादकता को बहाल करके और कृषि स्तरीय अर्थव्यवस्था बढ़ाकर किया जाएगा। इसका एक और उद्देश्य खाद्य तेलों की उपलब्धता को सुदृढ़ करना और खाद्य तेलों के आयात को घटाना है।

3. सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए) में 3980.82 करोड़ रुपए का कुल केंद्रीय हिस्सा है। एनएमएसए का उद्देश्य विशेष कृषि परिस्थितिकी में एकीकृत कृषि, उचित मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधनों के संरक्षण से जुड़ी प्रौद्योगिकी के मेलजोल से सतत कृषि को प्रोत्साहित करना है।

4. 2961.26 करोड़ रुपए के कुल केंद्रीय हिस्से के साथ कृषि विस्तार पर उपमिशन (एसएमएई) का उद्देश्य राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों आदि की विस्तार व्यवस्था को मजबूत बनाना, खाद्य और आहार सुरक्षा हासिल करना तथा किसानों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण करना है जिससे कार्यक्रम नियोजन और क्रियान्वयन व्यवस्था को संस्थागत किया जा सके, विभिन्न हितधारकों के बीच कारगर संपर्क कायम किया जा सके, मानव संसाधन विकास को समर्थन दिया जा सके तथा इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया, अंतर वैयक्तिक संचार और आईसीटी उपकरणों का नए प्रकार से उपयोग किया जा सके।

5. बीज तथा पौध रोपण सामग्री पर उप मिशन (एसएमएसपी) में कुल केंद्रीय हिस्सेदारी 920.6 करोड़ रुपए की है। इसका उद्देश्य प्रामाणित/उत्तम गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन बढ़ाना, एसआरआर

में वृद्धि करना, खेती से बचाए गए बीजों की गुणवत्ता बढ़ाना, बीज प्रजनन श्रृंखला को मजबूत बनाना, बीज उत्पादन में नई प्रौद्योगिकी और तौर-तरीकों को प्रोत्साहित करना, प्रसंस्करण, परीक्षण आदि को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य बीज उत्पादन, भंडारण, प्रामाणीकरण तथा गुणवत्ता के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत और आधुनिक बनाना है।

6. कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन (एसएमएएम) में कुल केंद्रीय हिस्सेदारी 3250 करोड़ रुपए की है। एसएमएएम का उद्देश्य छोटे और मझोले किसानों तक कृषि मशीनरी की उपलब्धता बढ़ाना और बिजली की कमी वाले क्षेत्रों में मशीनीकरण को बढ़ावा देना भी है। इसके अतिरिक्त जमीन के छोटे पट्टे और व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण होने वाले आर्थिक नुकसानों की भरपाई के लिए 'कस्टम हायरिंग सेंटरों' को प्रोत्साहित करना, उच्च तकनीक और उच्च मूल्य के कृषि उपकरणों के लिए हब तैयार करना, प्रदर्शन एवं क्षमता निर्माण संबंधित गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों में जागरूकता बढ़ाना तथा देश भर में स्थापित निर्दिष्ट परीक्षण केंद्रों में प्रदर्शन, परीक्षण और प्रामाणीकरण को सुनिश्चित करना भी इस उपमिशन का लक्ष्य है।

7. पौध संरक्षण और पौधों के अलगाव पर उपमिशन (एसएमपीपीक्यू) में कुल केंद्रीय हिस्सेदारी 1022.67 करोड़ रुपए की है। एसएमपीपीक्यू का उद्देश्य कीड़े-मकोड़ों, बीमारियों, अनचाहे पौधों, छोटे कीटाणुओं और अन्य कीटाणुओं आदि से कृषि फसलों तथा उनकी गुणवत्ता को होने वाले नुकसान को कम करना है। इसका उद्देश्य बाहरी प्रजाति के कीड़े-मकोड़ों के हमलों से कृषि जैविकी की सुरक्षा करना और विश्व बाजार में भारतीय कृषि सामग्रियों के निर्यात में सहायता करना और संरक्षण रणनीतियों के जरिए खेती की उत्तम पद्धतियों को प्रोत्साहित करना है।

8. कृषि गणना, अर्थव्यवस्थाएं तथा सांख्यिकी पर एकीकृत योजना (आईएसएसीईएस) में कुल केंद्रीय हिस्सेदारी 730.58 करोड़ रुपए की है। इसका उद्देश्य कृषि गणना करना, प्रमुख फसलों की उपज/लागत का अध्ययन करना, देश की कृषि संबंधी आर्थिक समस्याओं पर शोध अध्ययन करना, प्रख्यात अर्थशास्त्रियों, कृषि वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों से जुड़े सम्मेलनों/कार्यशालाओं और सेमिनारों

पृष्ठ 46 पर जारी

पृष्ठ 45 का शेष

को वित्त पोषित करना तथा अल्पावधि के अध्ययन करने हेतु पेपर लाना, कृषि सांख्यिकी के तौर-तरीकों में सुधार करना और फसल रोपण से लेकर फसल कटाई तक की स्थिति के बारे में अनुक्रमिक सूचना प्रणाली बनाना है।

9. कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना (आईएसएसी) में कुल केंद्रीय हिस्सेदारी 1902.636 करोड़ रुपए की है। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और कृषि विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण, कम्प्यूटरीकरण एवं कमजोर वर्गों से जुड़े कार्यक्रमों में सहकारी विकास को तेज करना है। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य मूल्य संवर्धन के जरिए कपास उत्पादकों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य दिलाना तथा विकेंद्रित बुनकरों को उचित दरों पर उत्तम गुणवत्ता की रूई की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

10. कृषि विपणन पर एकीकृत योजना (आईएसएएम) में कुल केंद्रीय हिस्सेदारी 3863.93 करोड़ रुपए की है। इसका उद्देश्य कृषि विपणन के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करना, इस आधारभूत ढांचे में नवाचार तथा नवीनतम तकनीक एवं प्रतिस्पर्धा के विकल्पों को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादों के श्रेणीकरण, मानकीकरण और गुणवत्ता प्रमाण ीकरण के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना, राष्ट्रव्यापी विपण ान सूचना नेटवर्क स्थापित करना तथा देश भर में कृषि सामग्रियों के व्यापार हेतु बाजारों को साझा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए एकीकृत करना है।

11. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस (एनईजीपी-ए) में केंद्र की कुल हिस्सेदारी 211.06 करोड़ रुपए की है और इसका उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत किसान और किसान केंद्रित सेवाओं को लाना है। इस योजना का उद्देश्य विस्तार सेवाओं की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाना, फसल चक्र के दौरान सूचनाओं और सेवाओं तक किसानों की पहुंच में वृद्धि करना, केंद्र और राज्यों की वर्तमान आईसीटी पहल को विस्तार देना और उन्हें एकीकृत करना तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को समय पर प्रासंगिक सूचना उपलब्ध कराते हुए कार्यक्रमों की क्षमता और प्रभाव में वृद्धि करना है।

उत्पादन के आधारभूत ढांचे को तैयार करना/उसे मजबूती देना, उत्पादन लागत को कम करना और कृषि एवं संबद्ध उत्पादों का विपणन इन योजनाओं/मिशंस के केंद्र में है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भिन्न-भिन्न अवधि के लिए इन योजनाओं/मिशंस को लागू किया जा रहा है।

इन सभी योजनाओं/मिशनों को पृथक योजना/मिशन के रूप में मूल्यांकित किया गया था और स्वतंत्र रूप से अनुमोदित किया गया था। वर्ष 207-18 में यह निर्णय लिया गया है कि इन सभी योजनाओं/मिशंस को एक अंब्रैला योजना 'हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना' के अंतर्गत लाया जाए। ❑

राजनीति विज्ञान

वैकल्पिक विषय

by

डॉ. मंजेश कुमार

DELHI UNIVERSITY

भारतीय विदेश नीति से बैच प्रारंभ

IAS 2018 Mains Test Series for
Political Science/राजनीति विज्ञान
Start from 10 June Total 15 Tests

नि:शुल्क कार्यशाला 21 JUNE 3:00 PM

Delivering Unmatched Quality...

M.KUMAR'S ACADEMY

(An Institute for IAS)

Office:- 102, Top Floor, Mukherjee Tower Near Batra Cinema Police Booth, Mukherjee Nagar Delhi-110009

9958341713, 8800708540

YH-828/2018

रीड IAS
Reed
Reinventing Education

रीड IAS

Reinventing Education

An initiative of अभय कुमार

सिविल सेवा परीक्षा में उथल पुथल के काल में हिन्दी माध्यम...

प्रिय विद्यार्थियों,

2011 के उपरांत प्रारम्भिक परीक्षा में और 2013 के उपरांत मुख्य परीक्षा में, जब से नया पाठ्यक्रम आया है हिन्दी माध्यम के परिणाम अत्यंत चिंताजनक रहे हैं। इसके लिये आप निम्नांकित सारणी का विश्लेषण करें।

प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की संख्या

वर्ष	यूपीएससी वार्षिक रिपोर्ट	हिन्दी माध्यम	अंग्रेजी माध्यम
2011	83rd Report / Page 96 / परिशिष्ट	1700	9316
2012	84th Report / Page 106 / परिशिष्ट	1976	9961
2013	85th Report / Page 79 / परिशिष्ट	1450	12287
2014	85th Report / Page 79 / परिशिष्ट	2166	13733
2015	86th Report / Page 83 / परिशिष्ट	2433	11790

क्या कभी आपने सोचा है कि हिन्दी माध्यम के लगातार गिरते परिणाम के पीछे क्या कारण हैं?

- प्रश्न पत्र में अनुवाद की समस्या इसका प्रमुख कारण नहीं रहा है बल्कि दो-दो वर्षों तक भेड़ चाल में परम्परागत पद्धति से तैयारी करने की प्रथा इसका प्रमुख कारण है।
- 20 से 25 बुकलेट के साथ सिर्फ और सिर्फ तथ्यात्मक अध्ययन सामग्री के माध्यम से अध्ययन भी इसका एक कारण है।
- परीक्षा की मांग और अपेक्षाओं के अनुरूप कक्षा कार्यक्रम का संचालन न होना भी इसमें शामिल है।
- टेस्ट सीरीज के नाम पर अधिक से अधिक संख्या में गैर-परीक्षोपयोगी प्रश्नों का अभ्यास इसी कड़ी में शामिल है।
- सामान्य अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों की सही प्राथमिकता के साथ तैयारी न करना भी महत्वपूर्ण कारण है।

सामान्य अध्ययन

नि:शुल्क परिचर्चा तिथि व समय

3 जून सायं 7 बजे | 4 जून प्रातः 11:30 बजे | 12 जून दोपहर 3 बजे

अभय कुमार के साथ नि:शुल्क परिचर्चा एवं मुख्य परीक्षा के चारों पेपर के नि:शुल्क नोट्स वितरण कार्यक्रम में आपका स्वागत है।

परिचर्चा सत्र में पधारें और जानें

"रीड IAS TODAY"

Youtube Channel Reed IAS subscribe

Website:- www.reedias.com

IAS E-Magazine Website

नोटः- मुख्य परीक्षा के नि:शुल्क नोट्स हेतु हमारे कार्यालय में आ कर पंजीकरण कराएं, **धन्यवाद**

Reed IAS Add:- B-7/8 Shop No.4 Mezzanine Floor
Bhandari House Commercial Complex
Dr Mukherjee Nagar Delhi-9

9870309939

YH-853/2018

IAS/PCS

सरस्वती

राजनीति विज्ञान

द्वारा राजेश मिश्रा

The most trusted name in Political Science

राजनीति विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ संस्थान

राजनीति विज्ञान में निरंतर सफलता
नियमित कक्षा के छात्रों द्वारा...CSE-2017

NEETU
IAS-2016
सबसे युवा IAS एवं सर्वोच्च अंक
312/500 (22 yrs.)
(B.Sc. Chemistry)

Lakhan S. Yadav
Rank-**565**

Manoj Kr. Rawat
Rank-**824**

Shiv Singh Meena
Rank-**909**

POOJA
CSE-2017
Rank-111
B.Tech

सामान्य अध्ययन के लिए विशेष उपयोगी पुस्तकें

नया बैच
19 June, 2018

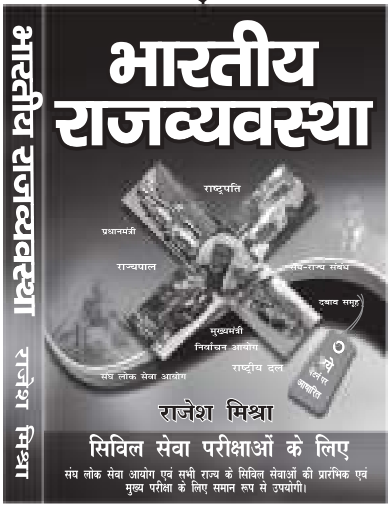

राजव्यवस्था एवं भारतीय विदेश नीति की सबसे प्रामाणिक एवं बेहतर पुस्तक जो अत्यधिक सरल एवं अपडेटेड हैं।

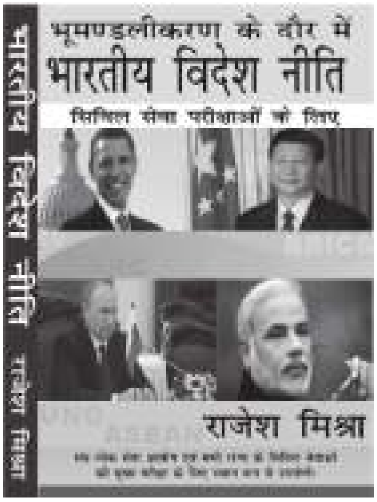

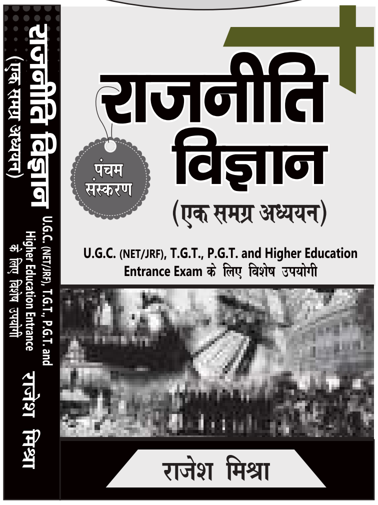

A-20, 102, 1st Floor, Indraprasth Tower, (Near Batra Cinema)
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Ph.: 011-27651250, 09899156495
E-mail : saraswati.ias@gmail.com Visit us : www.saraswatiias.com

YH-849/2018

कृषि सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है सरकार

देश की कृषि और खाद्य सुरक्षा पर काम आगामी वर्षों में लगातार जारी रहेगा और इससे एक निश्चित समयसीमा के भीतर किसानों की आमदनी को दोगुना करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने हाल में नई दिल्ली में राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन 2018 को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने बताया कि भारत इस मामले में न सिर्फ आत्मनिर्भर है, बल्कि कई कृषि उत्पादों का निर्यातक भी है।

सरकार का मकसद कृषि नीतियों और कार्यकर्मों को 'उत्पादन केंद्रित' के बजाय 'आमदनी केंद्रित' बनाना है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए सात बिंदुओं वाली बहुआयामी रणनीति पर अमल को प्रोत्साहन दे रही है, जो कुछ इस तरह हैं:

- सिंचाई पर जोर के साथ 'प्रति बूंद ज्यादा फसल' के लिए संसाधन तैयार करने की खातिर हर स्तर पर समाधान पर जोर।
- हर खेत की मिट्टी की गुणवत्ता के हिसाब से बेहतर बीज और पोषक तत्वों का प्रावधान।
- फसलों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को रोकने के लिए वेयर हाउसों और कोल्ड चेन में बड़े पैमाने पर निवेश।
- खाद्य प्रसंस्करण के जरिये वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देना।
- सभी 585 केंद्रों की कमियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार और ई-प्लेटफॉर्म को अमल में लाना।
- जोखिम कम करने के लिए कम कीमत पर फसल बीमा योजना की शुरुआत।
- डेयरी-पशुपालन पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन, बागवानी और मछली पालन जैसी अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देना।

कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्रीय बजट 2018-19 में राष्ट्रीय बांस मिशन का एलान किया गया है जिसका मकसद बांस को पूरी तरह से कृषि आय के तौर पर विकसित करना है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। डेयरी और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी योजना-1 (एनडीपी-1), डेयरी विकास राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीडीडी), डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस) और नीली क्रांति जैसे कार्यक्रमों और अभियानों को लागू किया जा रहा है और किसान इसका फायदा उठा रहे हैं।

सिंह का यह भी कहना था कि सरकार का मुख्य लक्ष्य न सिर्फ कृषि से जुड़े वैसे संभावित क्षेत्रों की पहचान करना है, जहां ज्यादा से ज्यादा निवेश किए जाने की जरूरत है, बल्कि बागवानी, पशुपालन और मछली पालन आदि क्षेत्रों से उन्हें जोड़कर आमदनी में बढ़ोतरी के लिए गुंजाइश बनाना है। किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए कृषि मंत्रालय खेती की लागत कम करने को लेकर लगातार काम कर रहा है। इसके तहत बेहतर उत्पादकता के जरिये उत्पादन बढ़ाना, बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करना और मौसम की अनिश्चितता के मद्देनजर जोखिम प्रबंधन जैसी बातें शामिल हैं। ज्यादा से ज्यादा उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बागवानी के एकीकृत विकास से जुड़े मिशन, राष्ट्रीय तिलहन मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशु मिशन, नीली क्रांति आदि अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी तरह, खेती की लागत को कम करने के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया के इस्तेमाल और फसलों के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी जैसे उपाय किए जा रहे हैं। किसानों की आमदनी बेहतर करने के लिए ई-नैम, कोल्ड स्टोरेज, कम ब्याज दर पर स्टोरेज की सुविधा, फसल तैयार होने के बाद भी कर्ज की सुविधा, न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार में बढ़ोतरी आदि पर जोर दिया जा रहा है। जोखिम प्रबंधन और टिकाऊ व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और उत्तर-पूर्व के लिए जैविक खेती मिशन आदि पर काम चल रहा है। ❑

IAS THE COUNCIL™ PCS

Since 2003

एक विश्वसनीय संस्थान

Our Identity is QUALITY, QUALITY & QUALITY

सामान्य अध्ययन

दिल्ली आधारित अनुभवी एवं सशक्त हमारी टीम

कुमार गौरव, अनुज सिंह, शरद त्रिपाठी, धर्मेन्द्र,
अनिल केशरी, हामिद खान, बी.के. सिंह, संजय भारद्वाज,
मु. सलीम एवं अन्य

हमारी विशेषता- पाठ्यक्रम के संचालन एवं समापन में समयबद्धता

फाउंडेशन कोर्स

बैच प्रारम्भ (जून द्वितीय सप्ताह)

प्रथम बैच-8 AM, द्वितीय बैच-5.30 PM

मुख्य परीक्षा विशेष

बैच प्रारम्भ (जून द्वितीय सप्ताह)

प्रथम बैच-10.30 AM, द्वितीय बैच-5.30 PM

वैकल्पिक विषय

भूगोल
द्वारा
कुमार गौरव

समाजशास्त्र
द्वारा
Dharmendra Sociology, Delhi

Mumfordganj Branch : Nigam Chauraha, Allahabad
Civil Lines Branch : Ganpati Tower, 56 Sardar Patel Marg, Allahabad
Contact : 09415217610, 07068696890, 0532-2642349

YH-839/2018

गांवों को सबल बनाने का बहुआयामी अभियान

एम चिन्नादुरई
के आर अशोक

ग्रामीण विकास का मतलब लोगों की आर्थिक बेहतरी और व्यापक सामाजिक बदलाव से है। गांव के लोगों को आर्थिक विकास की बेहतर संभावनाएं मुहैया कराने के लिए मजबूत कृषि क्षेत्र, ग्रामीण विकास कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी में बढ़ोतरी और बाजार की ज्यादा से ज्यादा उपलब्धता जरूरी है। भारत सरकार ने गांव-शहर की खाई को पाटने के लिए बहुस्तरीय रणनीति को अपनाया है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में लोगों के रहन-सहन का स्तर बेहतर किया जा रहा है। इस तरह की पहल से गांवों में रहने वाले लोगों की स्थिति एक दशक के मुकाबले काफी बेहतर हुई है

भारतीय अर्थव्यवस्था के फलने-फूलने के लिए ग्रामीण विकास बेहद अहम है। गांवों के लोग आजीविका के लिए मुख्य रूप से खेती पर निर्भर हैं। ग्रामीण विकास के दायरे में गैर-कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी और ग्रामीण इलाकों में अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास की बात भी शामिल है। पिछले कुछ साल में कृषि और इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों की वृद्धि दर में उतार-चढ़ाव रहा है। मसलन 2012-13 में यह आंकड़ा 1.5 फीसदी था, जबकि 2013-14 में यह दर बढ़कर 5.6 फीसदी हो गई। इसी तरह, वित्त वर्ष 2014-15 में कृषि और अन्य क्षेत्रों की वृद्धि दर (-)0.2 फीसदी रही, जबकि 2015-16 और 2016-17 में यह आंकड़ा क्रमशः 0.7 फीसदी और 4.9 फीसदी रहा।

हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में धीरे-धीरे ढांचागत बदलाव देखने को मिला है। कृषि क्षेत्र में सकल मूल्य संवर्द्धन में पशुधन की हिस्सेदारी में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है, जबकि सकल मूल्य संवर्द्धन में फसलों की हिस्सेदारी 2011-12 में 60 फीसदी थी, जो 2015-16 में घटकर 60 फीसदी हो गई। पहली राष्ट्रीय कृषि नीति का ऐलान साल 2000 में किया गया। इसका मकसद भारतीय कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मौजूद वृद्धि की संभावनाओं का उपयोग करना, कृषि विकास में रफ्तार को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण अवसंरचना को मजबूत करना, मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा देना, ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा करने के लिए कृषि-कारोबार की ग्रोथ को तेज करना था। इसके अलावा, खेतिहर मजदूरों समेत खेती पर निर्भर परिवारों के रहन-सहन का स्तर बेहतर करना, शहरी इलाकों में पलायन रोकना और आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटना भी इस नीति के लक्ष्यों में शामिल था।

इस नीति में ग्रामीण विद्युतीकरण, बाजार अवसंरचना के विकास और कृषि और बागवानी उत्पादों के कचरे को कम करने के लिए कृषि-प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने जैसी चीजों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। साथ ही, ग्रामीण इलाकों में खेती से अलग रोजगार तैयार करने की खातिर मूल्य संवर्द्धन को भी प्राथमिकता में रखा गया है। ग्रामीण विकास को मजबूत बनाने के मकसद से तैयार की गई कृषि और ग्रामीण विकास योजनाओं का यहां मोटे तौर पर जायजा लेने की कोशिश की गई है, ताकि मौजूदा स्थिति और विकास की संभावनाओं के बारे में प्रमुखता से बताया जा सके।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)

भारत सरकार ने 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की थी और इसे 19 राज्यों के 482 जिलों में लागू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का मकसद उत्पादन को बढ़ाकर नियमित स्तर पर गेहूं, चावल और दाल की उत्पादकता बढ़ाना है, ताकि देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किया

एम चिन्नादुरई कृषि और ग्रामीण विकास अध्ययन केंद्र, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबटूर के निदेशक हैं।
के. आर. अशोक सीएआरडीएस, टीएनएयू, कोयंबटूर में कृषि और ग्रामीण प्रबंधन विभाग के विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर हैं। ईमेल: directorcards@tnau.ac.in

जा सके। इसका मकसद बेहतर प्रौद्योगिकी और खेती के प्रबंधन के अच्छे तरीकों के जरिये इन फसलों में पैदावार के अंतर को खत्म करना है। इस परियोजना को 521 करोड़ रुपये के खर्च के साथ 2017-18 में लागू किया गया। इस मिशन ने एनएफएसएम जिलों के अहम योगदान के जरिये देश का खाद्य कटोरे को व्यापक करने में मदद की है। मिशन पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इसके अमल से चावल, गेहूं और दालों का अधिकतम उत्पादन देखने को मिला है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि और इससे जुड़ी सहायक क्षेत्र में भारत सरकार की एक अहम फ्लैगशिप योजना है। इस योजना की शुरुआत 2007-08 में की गई थी। इसका मकसद उत्पादन में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी करना और किसानों की आमदनी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। इस योजना के तहत कृषि और इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को इंसेंटिव देना, कृषि के हिसाब से जलवायु की स्थिति केक आधार पर जिलों और राज्यों के हिसाब से कृषि योजना की तैयारी, प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात है। साथ ही, नीतियों में जरूरी हस्तक्षेप के माध्यम से अहम फसलों के बीच पैदावार के अंतर को कम करना और कृषि संबंधी योजनाओं में स्थानीय जरूरतों/फसलों/प्राथमिकताओं के लिए बेहतर तरीके से गुंजाइश बनाना भी इस योजना के लक्ष्यों में शामिल हैं। वित्त वर्ष 2017-18 में 4,750 करोड़ के फंड के साथ इस परियोजना को लागू किया गया।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' को 2016 में शुरू किया गया। इसका मकसद फसलों के डूब जाने की स्थिति में व्यापक बीमा कवर मुहैया कराकर किसान की आमदनी को स्थिरता प्रदान करना था। यह खेती संबंधी नवोन्मेष प्रचलन अपनाने और कृषि क्षेत्र में कर्ज की सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में भी किसानों को प्रोत्साहित करता है। 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के तहत 366.64 लाख किसानों (26.50 प्रतिशत) को इसके दायरे में शामिल किया गया है, जबकि इसके तहत शामिल जमीन का कुल रकवा 388.62 लाख हेक्टेयर है और इससे जुड़ी बीमा की राशि 1,41,339 करोड़ रुपये है। सरकार ने नई स्कीम के तौर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को नए अंदाज में पेश किया। दरअसल, ऐसी पुरानी बीमा योजना इस संबंध में किसानों की तमाम जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का योगदान खाद्य सुरक्षा, फसलों के विविधीकरण और कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और विकास को बढ़ावा देने के अलावा किसानों को उत्पादन संबंधी जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 13,240 करोड़ के फंड के साथ इस परियोजना को लागू किया गया।

हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में धीरे-धीरे ढांचागत बदलाव देखने को मिला है। कृषि क्षेत्र में सकल मूल्य संवर्द्धन में पशुधन की हिस्सेदारी में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है, जबकि सकल मूल्य संवर्द्धन में फसलों की हिस्सेदारी 2011-12 में 60 फीसदी थी, जो 2015-16 में घटकर 60 फीसदी हो गई। पहली राष्ट्रीय कृषि नीति का ऐलान साल 2000 में किया गया।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (एनएएम)

राष्ट्रीय कृषि बाजार देशव्यापी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो कृषि कमोडिटी के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार तैयार करने के मकसद से मौजूदा एपीएमसी मंडियों के नेटवर्क से जुड़ा है। एनएएम पोर्टल एपीएमसी से जुड़ी तमाम सूचनाओं और सेवाओं के लिए एकल खिड़की सेवा है। राज्य अपने कृषि-मार्केटिंग संबंधी नियमों के मुताबिक कृषि मार्केटिंग के कामकाज को अंजाम देते हैं। इसके तहत राज्य को कुछ मार्केटिंग क्षेत्रों में बांटा जाता है। हर मार्केटिंग क्षेत्र की गतिविधियों को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी (एपीएमसी) के जरिये चलाया जाता है। एपीएमसी मार्केटिंग का अपना नियम (फीस समेत) लागू करती है। बाजारों का यह बंटवारा कृषि उत्पादों के एक मार्केट से दूसरे मार्केट की मुक्त आवाजाही को बाधित करता है। कई स्तरों पर कृषि उत्पादों को लेकर नियम-कानून और शुल्क के कारण उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ जाती हैं और इसका फायदा भी किसानों को नहीं मिल पाता है। राष्ट्रीय कृषि बाजार ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिये एकीकृत बाजार तैयार कर राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर इन चुनौतियों से निपटता है, एकरूपता को बढ़ावा देता है, एकीकृत बाजारों में प्रक्रियाओं को आसान बनाता है और खरीदार व विक्रेता के बीच सूचनाओं का संतुलन तैयार करता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय कृषि बाजार वास्तविक मांग और आपूर्ति के आधार पर कीमतों की वसूली को बढ़ावा देता है, नीलामी की प्रक्रिया में पारदर्शिता मुमकिन होती है और किसानों को देशभर के बाजार की उपलब्धता और ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा मिलती है। साथ ही, इससे ज्यादा वाजिब कीमत पर बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी। 200 करोड़ रुपये के फंड के साथ वित्त वर्ष 2017-18 में इस परियोजना पर अमल किया गया।

मृदा गुणवत्ता प्रबंधन यानि सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट (एसएचएम)

खेती को उपजाऊ, टिकाऊ और जलवायु के लिहाज से अनुकूल बनाने के मकसद से उत्पादक सतत कृषि राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए) को लागू किया गया

है। साथ ही, इस मिशन का लक्ष्य संसाधनों का संरक्षण, सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट (मिट्टी की गुणवत्ता का प्रबंधन) से जुड़े चलन को अपनाना, जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग आदि है। एनएमएसए के तहत सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट (एसएचएम) एक अहम पहल है। एसएचएम का मकसद रासायनिक खाद के संतुलित इस्तेमाल के जरिये एकीकृत पोषण प्रबंधन (आईएनएम) को बढ़ावा देना, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बेहतर बनाने के लिए किसानों को मिट्टी की जांच आधारित सुझाव मुहैया कराने की खातिर मिट्टी और खाद की जांच संबंधी सुविधाओं को मजबूत बनाना और खाद नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत खाद, जैव-खाद की गुणवत्ता संबंधी जरूरतों को सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, मिट्टी की जांच वाले प्रयोगशाला के स्टाफ के कौशल और विज्ञान को बेहतर बनाना, प्रशिक्षण और नमूनों के जरिए किसानों और स्टाफ का दायरा बढ़ाना, जैविक खेती की परंपराओं को बढ़ावा देना आदि भी इसके लक्ष्यों में शामिल हैं। वित्त वर्ष 2017-18 में 2,092 करोड़ के फंड के साथ इस परियोजना पर अमल किया गया।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य मकसद खेतों के स्तर पर सिंचाई में उचित निवेश सुनिश्चित करना, ज्यादा से ज्यादा जमीन को सिंचाई के दायरे में लाना, पानी की बर्बादी को रोकने के लिए खेतों में पानी का संतुलित इस्तेमाल पक्का करना और पानी की बचत की अन्य प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, भूजल स्तर को बढ़ाना, ट्रीटमेंट वाले नगर निकायों के पानी का खेती के लिए इस्तेमाल कर जल संरक्षण की टिकाऊ प्रणालियों को पेश करना और सिंचाई प्रणाली में ज्यादा से ज्यादा निजी निवेश को आकर्षित करना भी इसके लक्ष्यों में शामिल है। वित्त वर्ष 2017-18 में 7,375 रुपये के बजट के साथ इस परियोजना को लागू किया गया। इस योजना में इन तमाम मौजूदा योजनाओं को समाहित करने की बात है: जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सफाई मंत्रालय का त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), भूमि संसाधन विभाग का एकीकृत जल-विभाजक प्रबंधन

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का योगदान खाद्य सुरक्षा, फसलों के विविधीकरण और कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और विकास को बढ़ावा देने के अलावा किसानों को उत्पादन संबंधी जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 13,240 करोड़ के फंड के साथ इस परियोजना को लागू किया गया।

कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) और कृषि व सहकारी विभाग का ऑन फार्म जल प्रबंधन (ओएफडब्ल्यूएम)।

परंपरात कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)

सरकार ने कृषि उत्पादन को बेहतर करने की खातिर मिट्टी और पानी संबंधी मसलों को दुरुस्त करने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की है। सरकार भारत में प्रचलित जैविक खेती प्रणाली को सहारा देने और बेहतर बनाने का काम कर रही है। सामूहिक खेती के ढांचे के तहत कम से कम 50 किसान एक ग्रुप बनाकर 50 एकड़ जमीन पर जैविक खेती करेंगे। सरकार का इरादा तीन साल में किसानों के 10,000 समूहों और 5 लाख हेक्टेयर जमीनों को जैविक खेती के दायरे में लाना है। बहरहाल, वित्त वर्ष 2017-18 को 350 करोड़ रुपये के बजट के साथ इस परियोजना को लागू किया गया।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)

प्रधानमंत्री जन-धन योजना को साल 2014 में लागू किया गया। यह योजना वित्तीय समावेशन का राष्ट्रीय मिशन है, जिसके तहत समाज के गरीब और वंचित तबकों को किफायती तरीके से वित्तीय सेवाएं मुहैया कराने की बात है। मसलन बैंकिंग, रेमिटेंस, कर्ज, बीमा, पेंशन आदि की सुविधाओं उपलब्ध कराने का लक्ष्य इस योजना के तहत रखा गया है। इसमें किसी भी बैंक की शाखा में या बैंक मित्र के जरिये खाता खोला जा सकता है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत बैंक में जीरो-बैलेंस के साथ खाता खोला जा सकता है। इसका मकसद आसान और सस्ते तरीके से वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाना है। इसके तहत मुख्य तौर पर गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले और उन लोगों को लक्षित किया जाता है, जिनके पास बैंक खाता नहीं है। इस योजना के शुरू होने के महज डेढ़ साल के अंदर 21 करोड़ बैंक खाते खुले।

दीन दयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई-एनआरएलएम)

केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) शुरू किया था। साल 2015 में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर दीन दयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई-एनआरएलएम) कर दिया गया। इस योजना को विश्व बैंक की तरफ से निवेश का सहयोग भी मिला है। इसका मकसद ग्रामीण इलाकों के गरीब लोगों के लिए दक्ष और असरदार संस्थागत अवसर तैयार करना, ऐसे लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें सक्षम बनाना और ग्रामीण गरीबों के लिए वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता बेहतर बनाना है। एनआरएलएम ने स्वयं सहायता समूहों और संघीय संस्थानों के जरिये देश के 600 जिलों, 6,000 प्रखंडों, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6 लाख गांवों के 7 करोड़ लोगों को इसके दायरे में लाने का एजेंडा तैयार किया है। इसके तहत अगले 8-10 साल में आजीविका जुटाने में इन लोगों की मदद करने की बात है। वित्त

वर्ष 2017-18 के लिए 4,814 करोड़ रुपये के बजट के साथ इस परियोजना को लागू किया गया। इसके अलावा, गरीबों को उनके अधिकार, सुविधाएं और सरकारी सेवाओं को हासिल करने में मदद की जाएगी। इस परियोजना के माध्यम से गरीबों की स्वाभाविक क्षमताओं का उपयोग करने और देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित करने की खातिर उन्हें क्षमताओं (ज्ञान, कौशल, साधन, वित्त आदि) से समृद्ध करने की बात है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान देशभर में पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करता है और इस प्रणाली से जुड़ी अहम बाधाओं से भी निपटता है। इसका मकसद पंचायतों और ग्राम सभा की क्षमताओं और असर को बढ़ाना, फैसले लेने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गुंजाइश बनाना, पंचायतों में जवाबदेही और लोगों की भागीदारी को बढ़ाना है। साथ ही, ज्ञान के सृजन के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, पंचायतों का क्षमता निर्माण, संविधान की भावना और संबंधित कानून के मुताबिक सत्ता के विकेंद्रीकरण और पंचायत की जिम्मेदारियों को बढ़ावा देना, ग्राम सभाओं को मजबूत करना, पंचायत प्रणाली के दायरे में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना और पंचायतों की गैर-मौजूदगी वाले क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन से जुड़ी लोकतांत्रिक सरकारों को मजबूत करना है। इस परियोजना को 655 करोड़ रुपये के बजट के साथ लागू किया गया।

मिशन अंत्योदय

मिशन अंत्योदय जिंदगी और आजीविका में अहम बदलाव करने वाले मानकों से जुड़े असरदार परिणाम के लिए एक सम्मिलित ढांचा है। दरअसल, असली फर्क सम्मिलित ढांचे के कारण ही पड़ता है, क्योंकि इससे गरीबी के विभिन्न आयामों से एक साथ निपटा जा सकता है। इस योजना का मकसद ग्रामीण इलाकों में तेजी से बदलाव के लिए सरकार की अगुवाई में साझेदारी के जरिये काम करना है, ताकि आजीविका के विभिन्न साधनों के विकास के जरिये लोगों को गरीबी के दलदल से निकाला जा सके। संसाधनों के सम्मिलन के जरिये निश्चित समय सीमा में गरीबी के विभिन्न आयामों से निपटने को लेकर यह एक कोशिश है। इस योजना का मकसद मानव विकास, सामाजिक विकास, पारिस्थितिकी विकास, आर्थिक विकास के तमाम आयामों को समेटते हुए भारत को 2022 तक गरीबी से पूरी तरह मुक्त करना है। मिशन अंत्योदय के तहत समूह आधारित सतत आजीविका विकास अभियान के जरिये 5,000 ग्रामीण समूहों / 50,000 ग्राम पंचायतों में बदलाव कर 'गरीबी भारत छोड़ो' का लक्ष्य हासिल करना है। वित्त वर्ष 2017-18 में 48,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ इस कार्यक्रम को लागू किया गया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005 के आधार पर शुरू किया गया था और बाद में इसका नाम बदलकर 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' (मनरेगा) कर दिया गया। मनरेगा सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा एक उपाय है, जिसका मकसद 'काम के अधिकार' की गारंटी प्रदान करना है। इसे ग्रामीण इलाकों में आजीविका सुनिश्चित करने मकसद से शुरू किया गया, जिसके तहत गरीबों और मजदूरी करने वालों को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार देने की बात है। मनरेगा को मुख्य तौर पर श्रम आधारित कार्यों के आधार पर ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है।

वित्त वर्ष 2017-18 में इसके लिए सबसे ज्यादा यानी 48,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया। मनरेगा मजदूरों को सही वक्त पर मजदूरी का भुगतान हो सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (एनईएफएमएस) लागू किया गया है। तकरीबन 96 फीसदी मजदूरी का भुगतान सीधा लाभार्थी के खाते में किया जा रहा है। हर साल तकरीबन 1.5 करोड़ काम मनरेगा के तहत होते हैं। वित्त वर्ष 2017-18 में 48,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ इस परियोजना को लागू किया गया। इससे अब तक 2 करोड़ से भी ज्यादा संपत्तियां जमीन पर जुड़ चुकी हैं।

निष्कर्ष

ग्रामीण विकास का मतलब लोगों की आर्थिक बेहतरी और व्यापक सामाजिक बदलाव से है। गांव के लोगों को आर्थिक विकास की बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए मजबूत कृषि क्षेत्र, ग्रामीण विकास कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी में बढ़ोतरी और बाजार की ज्यादा से ज्यादा उपलब्धता जरूरी है। भारत सरकार ने गांव-शहर की खाई को पाटने के लिए बहुस्तरीय रणनीति को अपनाया है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में लोगों के रहन-सहन का स्तर बेहतर किया जा रहा है। इस तरह की पहल से गांवों में रहने वाले लोगों की स्थिति एक दशक के मुकाबले काफी बेहतर हुई है। ❑

Give the best
Take the best
निर्माण IAS
सफलता का पर्याय कमल देव (K.D.)
पुनः सर्वाधिक चयन के साथ UPSC : 2017-18
सबसे युवा चयनित अभ्यर्थी (उम्र-22 साल)
SAKSHI GARG
(AIR-350)
"सम्पूर्ण तैयारी मैंने केवल निर्माण IAS में की और किसी भी अन्य संस्था का मैंने सहयोग नहीं लिया।"
VIJAY SINGH GURJAR (AIR-574)
पुलिस कांस्टेबल से IPS तक का सफर (निर्माण IAS के साथ)
ADITYA
PRIYADARSHI
SANDEEP KR. MEENA
ADITYA (AIR-959)
SANDEEP KUMAR
व अन्य...
सामान्य अध्ययन
(फाउण्डेशन बैच-2019)
15 JUNE 9:00 AM
पत्राचार अध्ययन सामग्री की सुविधा उपलब्ध (सम्पर्क सूत्रः 011-47058219)
DELHI (HEAD OFFICE)
996, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar (Near Gandhi Vihar Bandh), Delhi - 110009
PH.: 011-47058219, 9911581653, 9717767797
ALLAHABAD
10/14, Elgin Road, Civil Line, Allahabad (U.P.):- 211001, Ph:- 09984474888
GWALIOR
2/3 Aziz Complex, New Khera Pati Colony Phool Bagh Gwalior (MP), Ph. : 09753002277
JAIPUR
M-85, JP Phatak Under Pass Jaipur Ph. : 7580856503
You can also visit our digital platform
YouTube
NIRMAN IAS APP
Website : www.nirmanias.com
E-mail : nirmanias07@gmail.com

YH-824/2018

निश्चय IAS Academy

इस बार हमारे संस्थान से हिन्दी माध्यम के 9 छात्रों का चयन हुआ है। जिसमें हिन्दी माध्यम का टॉपर (Rank 146) निश्चय एकेडमी से है।

G.S. —— Foundation Batch

प्रथम बैच प्रारंभ – 11 June / 11: 45 Am

द्वितीय बैच प्रारंभ – 20 June / 3: 00 Pm

दर्शनशास्त्र

द्वारा

यशवंत सर

नया बैच प्रारंभ – 11 जून / 9: 00 AM

सफलता की विशेष रणनीति

- प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान
- प्रश्नों की फ्रेमिंग पर बल
- प्रतिदिन 2 प्रश्नों का टेस्ट
- 3 महीने में दर्शनशास्त्र का बैच समाप्त
- संशय स्पष्टता कक्षा पर बल
- अवधारणात्मक समझ पर बल

Ph. : 011- 47074196 , 9891352177

Head Office Delhi :- 102, 103, 1st Floor, Jaina House, Mukherjee Nagar, Delhi-9 (Near Batra Cinema, Police Chowki)

visit our website: www.nischayias.in   link:- nishchay.ias.3

YH-851/2018

विदेश नीति : नये आयाम

रहीस सिंह

> **ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जो न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा बल्कि भारत की कूटनीतिक क्षमता बढ़ाने का भी काम करेगा। प्रधानमंत्री ने पहले ही वर्ष में कई महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों में भाग लिया है। जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री ने फोर्टालिजा (ब्राजील) में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया जहाँ उन्होंने ब्रिक्स देशों के लिए आगे रोडमैप बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं से मुलाकात की। यहीं भारत नए ब्रिक्स बैंक का पहला अध्यक्ष भी घोषित हुआ**

किसी देश की विदेश नीति अथवा दुनिया के दूसरे देशों के साथ उनके संबंधों तथा उनसे हासिल उपलब्धियां-अनुपलब्धियां एक सीमित समय सीमा में बांधी नहीं जा सकतीं। ऐसे में आकलन करते समय कई छोटे-छोटे बिंदु छूटे रह जाते हैं। यद्यपि वे महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन उनके परिणाम तात्कालिक की बजाय दीर्घकालिक परम्परा का हिस्सा होते हैं। इसलिए विदेश नीति की जो उपलब्धियां दिखती हैं कभी-कभी उनका परिमाण और विस्तार उससे कहीं बहुत अधिक होता है या फिर कम। हम इसी सामान्य मान्यता के आधार पर यह देखने की कोशिश करेंगे कि पिछले चार वर्षों में सरकार ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कितना कूटनीतिक लाभांश अर्जित किया और एक राष्ट्र के लिए उनका महत्व क्या है।

श्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब ही भावी विदेश नीति के प्रारूप तथा परिवर्तन का संकेत मिल गया था। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में अपने 8 पड़ोसी देशों के नेताओं को बुलाकर 'नेबर्स फर्स्ट' का राजनयिक मास्टर स्ट्रोक प्रयुक्त किया था। इस ओथ डिप्लोमैसी में हामिद करजई (अफगानिस्तान), प्रधानमंत्री तोबगे (भूटान), राष्ट्रपति यामीन (मालदीव), प्रधानमंत्री कोइराला (नेपाल), प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (पाकिस्तान) और राष्ट्रपति राजपक्षे (श्रीलंका) ने एक मजबूत कूटनीतिक बॉण्ड बनाने का संकेत भी दिया था। इसके पश्चात प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों को नयी ऊर्जा देने की रणनीति पर काम किया। अपनी विदेश यात्राओं के माध्यम से पहले पड़ोसियों को जोड़ने और फिर बाहरी दुनिया के साथ नए कूटनीतिक बॉण्डों का निर्माण करने की कोशिश की। इस दिशा में पहला कदम प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा के रूप में देखा गया। यहीं से 'बी 4 बी' यानि भूटान के लिए भारत और भारत के लिए भूटान की एक नयी शुरूआत हुई जिसने भारत-भूटान संबंधों में पहले उत्पन्न हुए कुछ छोटे-मोटे जख्मों को भरने का काम किया। भारत-श्रीलंका संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने मार्च 2015 में श्रीलंका का दौरा किया। इससे एक महीने पहले मैथ्रीपाला सिरिसेना श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली यात्रा के तौर पर भारत आये थे। इसके बाद विदेश मंत्री नेपाल गयीं जहां 23 साल बाद भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक हुयी और फिर 17 साल बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री द्वारा इस हिमालयी देश की पहली यात्रा की गयी।

नेपाल के बाद पूरब के साथ संबंधों की समृद्ध म्यांमार मैट्रिक्स से शुरू हुई। इस दौरान भूमि, समुद्र एवं हवाई संयोजकता का प्रयास हुआ। इसके बाद भारत का रुख पी 5 की ओर हुआ जिसकी शुरुआत चीन से हुई। चीन के बाद भारत के प्रति उदासीन दिखने वाले रूस के उप-प्रधानमंत्री दमित्रि ओ रोगोजिन का भारत आगमन हुआ और इसके बाद फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फेबियस का जो प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति ओलांद का निमंत्रण लेकर आए थे। इसके बाद सुषमा स्वराज और केरी ने पांचवीं भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका सामरिक वार्ता की अध्यक्षता की तथा भारतीय प्रधानमंत्री को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा वाशिंगटन जाने का न्योता भी मिला।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी भारतीय विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था एवं इतिहास विषय से संबंधित 17 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। पिछले तीन दशकों से आर्थिक एवं वैदेशिक विषयों पर स्तंभ लेखन एवं संपादन। ईमेल: raheessingh@gmail.com

ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जो न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा बल्कि भारत की कूटनीतिक क्षमता बढ़ाने का भी काम करेगा। प्रधानमंत्री ने पहले ही वर्ष में कई महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों में भाग लिया है। जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री ने फोर्टालिजा (ब्राजील) में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया जहाँ उन्होंने ब्रिक्स देशों के लिए आगे रोडमैप बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं से मुलाकात की। यहीं भारत नए ब्रिक्स बैंक का पहला अध्यक्ष भी घोषित हुआ। ब्रिक्स शिखर बैठक के दौरान ही लातिन अमेरिका के नेताओं से बात हुई और इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत एवं मर्कासुर व्यापार ब्लॉक तथा चिली के बीच तरजीही व्यापार करार का उपयोग अधिक कारगर ढंग से किए जाने की बात रखी। ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा राउसेफ ने छठवीं ब्रिक्स शिखर बैठक में अतिरिक्त समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान रक्षा, नवीकरण ऊर्जा तथा साइबर के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने के अलावा निवेश एवं व्यापार प्रवाह बढ़ाने का निर्णय किया गया। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने गुयाना के राष्ट्रपति डोनाल्ड रामोतार तथा सूरीनाम के राष्ट्रपति देसी बाउटर्से के समक्ष इस बात को रखा कि दक्षिण अमेरिका के इन देशों में भारतीय मूल के लोगों-जो सदियों पहले आकर यहां बस गये हैं-ने भारत तथा दक्षिण अमेरिका के देशों के बीच मैत्री के मजबूत सेतु के रूप में काम करना जारी रखा है।

मार्च 2015 में प्रधानमंत्री का तीन देशों, सेशेल्स, मॉरिशस और श्रीलंका का दौरा हिंद महासागर पर केंद्रित था। यह महासागरीय कूटनीति (ओसियन डिप्लोमैसी) की ओर बढ़ा हुआ पहला कदम था जो एक तरह से भारत के ब्लू वाटर पालिसी की ओर बढ़ने के संकेत के रूप में भी देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री बाराकुडा समारोह में शामिल हुए जो भारत-मॉरीशस सहयोग की निशानी के तौर पर स्वीकार किया जाता है। अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री ने फ्रांस, जर्मनी और कनाडा का दौरा किया। यह यात्रा यूरोपीय देशों और कनाडा के साथ सहयोग को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई थी। फ्रांस में परमाणु ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में ठोस प्रगति सहित रिकार्ड 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए। जर्मनी में प्रधानमंत्री और चांसलर मर्केल ने संयुक्त रूप से हनोवर मैस्से (मेले) का उद्घाटन किया और भारत व्यापार को यूरोपीय व्यापारिक अधिकेंद्र से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ा। कनाडा में आर्थिक संबंधों, ऊर्जा और यहां तक कि सांस्कृतिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित था। कनाडा की उनकी यात्रा ऐतिहासिक थी क्योंकि यह 42 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कनाडा यात्रा थी।

प्रधानमंत्री के जापान दौरे के साथ भारत के सन्निकट पड़ोस के साथ विदेश एवं आर्थिक नीतियों का अनुरेखण नए ढंग से हुआ और 'तपते सूरज-उगते सूरज' के बीच संबंधों का नया बॉण्ड बना। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इसी समय जापान ने भारत में अगले पांच वर्षों में 3.5 ट्रिलियन येन के सार्वजनिक एवं निजी निवेश तथा वित्तपोषण का वचन दिया। अगला कदम सिंगापुर में विदेश मंत्री द्वारा भारत-सिंगापुर राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 'भारत का वर्ष' के उद्घाटन का रहा। भारत में संयोजकता एवं निवेश की परियोजनाओं, विशेष रूप से दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, चेन्नई-बंगलुरू औद्योगिक कॉरिडोर तथा पूर्वोत्तर भारत में इन परियोजनाओं की गति बढ़ाने के लिए सिंगापुर की कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रण आदि महत्वपूर्ण रहे। तत्पश्चात तेल क्षेत्र में वियतनाम के साथ भारत की भागीदारी को मजबूत तथा रक्षा संबंधों को गहन करने का प्रयास किया गया।

श्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब ही भावी विदेश नीति के प्रारूप तथा परिवर्तन का संकेत मिल गया था। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में अपने 8 पड़ोसी देशों के नेताओं को बुलाकर 'नेबर्स फर्स्ट' का राजनयिक मास्टर स्ट्रोक प्रयुक्त किया था। इस ओथ डिप्लोमैसी में हामिद करजई (अफगानिस्तान), प्रधानमंत्री तोबगे (भूटान), राष्ट्रपति यामीन (मालदीव), प्रधानमंत्री कोइराला (नेपाल), प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (पाकिस्तान) और राष्ट्रपति राजपक्षे (श्रीलंका) ने एक मजबूत कूटनीतिक बॉण्ड बनाने का संकेत भी दिया था। इसके पश्चात प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों को नयी ऊर्जा देने की रणनीति पर काम किया।

पूरब के बाद मध्य-पूर्व के उन देशों के साथ संबंधों का नवीकरण करने का प्रयास हुआ। इस दिशा में शुरुआत तब हुई जब ओमान के विदेश मंत्री युसूफ बिन अलावी बिन अब्दुल्ला भारत आए। उनके साथ राजनीतिक, आर्थिक एवं रक्षा सहित विभिन्न द्विपक्षीय विषयों पर चर्चा हुई। इसके बाद युगांडा के विदेश मंत्री सैम कुटेसा भारत आए और दोनों देशों द्वारा व्यापक विकास सहयोग की संभावना को रेखांकित किया गया। इसके बाद नई दिल्ली में अफ्रीकी क्षेत्रीय आर्थिक समुदाय की बैठक हुई और भारत की तरफ से अफ्रीकी देशों से द्विपक्षीय संबंधों की नयी शुरुआत करने की पहल का आग्रह किया गया।

अक्तूबर 2015 में प्रधानमंत्री अपनी बहुचर्चित अमेरिकी यात्रा के दौरान वैश्विक नेताओं और उद्योग जगत के दिग्गजों से मिले लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव सिलिकन वैली रहा जहां से उन्होंने डिजिटल डिप्लोमैसी को मुख्य साधन के रूप में प्रयुक्त करने की कोशिश की। विशेष बात यह रही कि यहां 'पॉलिटिकल डिप्लोमैसी' 'डिजिटल डिप्लोमैसी (अथवा इकोनॉमिक डिप्लोमैसी) के सामने कमजोर पड़ती दिखी। यहां टोक्यो डिप्लोमैसी की पुनरावृत्ति भी दिखी जहां प्रधानमंत्री ने 'टच थेरेपी' का प्रयोग किया था। यह भारतीय नेतृत्व द्वारा दुनिया को नया संदेश था। यानि भारत विदेश नीति में रक्षा और सामरिक विषयों के सापेक्ष आर्थिक, विज्ञान व प्रौद्योगिकी संबंधी विषयों को आगे रखकर कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करना चाहता था।

इस बीच 2017 में अस्ताना (कजाकिस्तान) में भारत अपने पड़ोसी पाकिस्तान के साथ शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का स्थायी सदस्य बना। वर्ष 2015 में उफा में भारत को स्थायी सदस्य बनाए जाने का रास्ता साफ हुआ था जिस पर अंतिम मुहर 8-9 जून 2017 को अस्ताना में लगी। इस यूरेशियाई इकोनॉमिक जोन में प्रवेश पाने के अपने फायदे हैं। एससीओ पर गौर करते हुए यह देखना बेहद जरूरी है कि आखिर इसके

ब्रिक्स देशों (ब्राजील, भारत, चीन, रूस तथा दक्षिण अफ्रीका) के नेता

दो ध्रुवों के बीच का स्पेस कैसा है और भारत उसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है। सामान्यतौर पर आतंकवाद से लड़ने हेतु इस संगठन की अपनी कार्यपद्धति है। इस स्थिति में भारत एससीओ के मंच पर पाकिस्तान की आतंकी नीतियों को प्रभावी ढंग से रख सकता है और उस पर दबाव बना सकता है। यही नहीं वह मध्य एशियाई संसाधनों से स्वयं को जोड़कर अपनी आर्थिक क्षमताओं का लाभ भी उठा सकता है। वह इस संगठन में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान का प्रयोग कर चाबाहर प्रोजेक्ट को यूरेशिया का प्रवेश द्वार बना सकता है। लेकिन क्या वास्तव में यह सब इतना आसान है।

इस शंका का सामधान भी तब हो गया जब भारत हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में बनने वाले रणनीतिक चतुर्भुज (क्वैड) में शामिल हो गया। दरअसल चीन अपनी आर्थिक उन्नति के कारण एक क्षेत्रीय ताकत बन चुका है और अब वह साम्राज्यिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा था इसलिए यह क्षेत्र सामरिक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र भी बन गया। ऐसे में इंडो-पेसिफिक क्षेत्र में सामरिक गठबंधन अपेक्षित एवं अपरिहार्य से प्रतीत होते हैं। ऐसे गठबंधनों की आवश्यकता प्रशांत क्षेत्र में भले ही अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया की हो लेकिन हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में भारत को भी ऐसी जरूरत है। यही वजह है कि श्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद, जनवरी 2015 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा हुई तो दोनों देशों ने एशिया-प्रशांत और हिन्द महासागर क्षेत्र पर एक संयुक्त विज़न दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इस दस्तावेज में भारत औपचारिक रूप से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की रणनीति का साझीदार बन गया और उसने अपनी 'एक्ट एशिया नीति' को, अमेरिका की 'पीवोट टू एशिया' से जोड़ने का वचन दे दिया। तो क्या यह मान लिया जाए कि भारत द्वारा चतुर्भुजीय सुरक्षा गठजोड़ कायम करने का मतलब इस बात की घोषणा करना है कि उसने घेरेबंदी की अमेरिकी रणनीति को अपना लिया है। ध्यान रहे कि जापान और आस्ट्रेलिया, अमेरिका के दो प्रमुख सैन्य गठबंधन सहयोगी हैं और अब ऐसा करके भारत स्वयं ही इस श्रेणी में आ गया। लेकिन भारत इन क्षेत्रों में लाभ तभी प्राप्त कर सकेगा, जब गठबंधन और इसके सदस्यों का उद्देश्यों व लक्ष्यों के प्रति विचार समान एवं विज़न स्पष्ट हो। क्वैड का वास्तविक उद्देश्य है : मैरीटाइम सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, इंडो-प्रशांत की तरह चीन के सरकने तथा बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव पर चीन को घेरने का या फिर एक साथ सभी मोर्चों पर आगे बढ़ने का।

इस प्रकार से देखें तो आरम्भ के दो वर्षों में एनडीए सरकार की विदेश नीति संबंधी पहलों ने भारतीय विदेश नीति को फास्ट ट्रैक पर ला दिया जो लंबे समय से 'स्टैंडबाइ मोड' पर थी। लेकिन फास्ट ट्रैक के अपने खतरे होते हैं। सबसे पहला खतरा तो यह होता है कि वे देश जो हमारे मित्र नहीं हैं या हमारे साथ प्रतिस्पर्धा में हैं अथवा जिनका व्यवहार हमारे हितों के प्रतिकूल हैं, उनमें हमारे प्रति आक्रामकता बढ़ती है और वे हमें प्रत्येक स्तर पर रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरा खतरा यह होता है कि फास्ट ट्रैक पर चलने के कारण कूटनीतिक विषयों पर बेहतर होम वर्क नहीं हो पाता इसलिए लाभांश संभावित होते हैं सुनिश्चित नहीं। तीसरा खतरा यह होता है कि फास्ट ट्रैक पर कनेक्टिविटी बेहतर होती है लेकिन केवल इससे द्विपक्षीय या बहुपक्षीय

संबंधों में आए सुधार की समीक्षा नहीं की जा सकती, बल्कि उसके परिणाम या उत्पन्न होने वाले प्रभावों की समीक्षा करनी होती है ताकि त्रुटियां सुधारी जा सकें, पर फास्ट ट्रैक पर चलने के कारण यह संभव नहीं हो पाता। ऐसा ही कुछ हमारी विदेश नीति के इस ट्रैक पर चलने के कारण हुआ भी, विशेषकर चीन की तरफ से।

चीन ने भारत के प्रति न केवल शंका प्रकट करना शुरू किया बल्कि उसने भारत के खिलाफ रणनीति बनानी भी शुरू कर दी। उसने भारत-चीन सीमा पर पीएलए को तो सक्रिय किया ही पिछले वर्ष भूटान के डोकालाम में ट्राइ-जंक्शन पर 73 दिनों तक यु) की संभावनाओं को बनाए रखे। हालांकि अभी 27-28 अप्रैल को प्रधानमंत्री की चीन के राष्ट्रपति के साथ वुहान में अनौपचारिक शिखर बैठक हो चुकी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चीन अपने दीर्घकालिक रणनीतिक एजेंडा को बदल देगा। उसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में भारत के पड़ोसी देशों को चेक डिप्लोमैसी के जरिए बीजिंग से कनेक्ट करना और भारत की शक्ति को काउंटर करना है। इसके परिणाम भी हमें दिखे। सबसे हाल का उदहारण मालदीव का है जिसने भारत को अंगूठा दिखा दिया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मालदीव के तानाशाही शासन को असली ताकत चीन से ही मिल रही थी। मालदीव प्रकरण में सबसे अखरने वाली बात तो यह रही कि मालदीव ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख की मालदीव यात्रा की मेजबानी की, भारत द्वारा तोहफे में दिए गए एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर को यह कहते हुए लौटा दिया कि पाकिस्तानी नौसेना उसके विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की निगरानी करने में समर्थ है।

भारत-नेपाल संबंधों में कुछ समय के लिए बड़ी खाई बनती दिखी। अप्रैल 2015 में नेपाल में जब भूकम्प आया था तब भारत ने उसे पूरी मदद पहुंचाई थी। लेकिन संविधान को लेकर चले मधेसी आंदोलन और बार्डर पर हुई नाकेबंदी के दौरान जब भारत से होने वाली आपूर्ति रुकी तो वहां बायकॉट इंडिया जैसे नारे सुने गये। नेपाली मीडिया प्राय: यह प्रचार करते हुए दिखती है कि उनके देश में मुद्रा-स्फीति भारतीय मुद्रा-स्फीति का परिणाम है। इसका एक कारण तो नेपाल का 'स्मॉल सिण्ड्रोम' या लैण्ड लॉक्ड सिण्ड्रोम हो सकता है जिसके चलते वह शंकालु तो रहता ही है साथ ही सौदेबाजी के अवसर भी तलाशता है।

अभी हाल में नेपाल यात्रा के दौरान भारत और नेपाल संबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण पहल की। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल किसी परिभाषा से नहीं बल्कि उस भाषा से बंधे हैं जो भाषा विश्वास की है, रोटी-बेटी की है। हमारी प्रकृति भी एक है और संस्कृति भी, दृष्टि भी समान है और सृष्टि भी, चाह और राह भी समान है। नेपाल के बिना भारत की आस्था भी अधूरी है। दोनों देशों की दोस्ती किसी रणनीति या कूटनीति की मोहताज नहीं है। इस यात्रा के दौरान बिजली संयंत्र के शिलान्यास के साथ दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से नेपाल के जनकपुर से भारत के अयोध्या तक बस यात्रा की शुरुआत कर परस्पर संबंधों को और घनिष्ठ बनाने का प्रयास किया है।

अभी हाल में नेपाल यात्रा के दौरान भारत और नेपाल संबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण पहल की। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल किसी परिभाषा से नहीं बल्कि उस भाषा से बंधे हैं जो भाषा विश्वास की है, रोटी-बेटी की है। हमारी प्रकृति भी एक है और संस्कृति भी, दृष्टि भी समान है और सृष्टि भी, चाह और राह भी समान है। नेपाल के बिना भारत की आस्था भी अधूरी है। दोनों देशों की दोस्ती किसी रणनीति या कूटनीति की मोहताज नहीं है। इस यात्रा के दौरान बिजली संयंत्र के शिलान्यास के साथ दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से नेपाल के जनकपुर से भारत के अयोध्या तक बस यात्रा की शुरुआत कर परस्पर संबंधों को और घनिष्ठ बनाने का प्रयास किया है।

मैथ्रीपाला सिरिसेना के बाद श्रीलंका से जो संबंध अच्छे हुए थे वे पुन: उदासीन हो गये हैं। हम्बनटोटा से लेकर कोलम्बो तक चीन के नियंत्रण में आता दिखायी दे रहा है जिसका वह धीरे-धीरे सैन्यीकरण करेगा। यह विदेश नीति के मुनरो सिद्धांत की अनदेखी है या फिर हमारी विवशता। बांग्लादेश के साथ जरूर बेहतर संयोजन बना जिसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने 'नूतन प्रोजन्मो' की संज्ञा दी थी। बांग्लादेश के साथ संबंधों की मजबूती की दिशा में सबसे अहम पड़ाव रहा लैण्ड बॉर्डर एग्रीमेंट जिससे इस सीमा में आने वाली बस्तियों के लोगों को न केवल पहचान मिली बल्कि भारत के लिए इमीग्रेशन का खतरा भी कम हुआ। हालांकि तीस्ता जल विभाजन का सर्वसम्मत फार्मूला तय नहीं हो पाया, इसलिए बांग्लादेश के नगारिकों को शायद उस हद तक संतुष्टि न मिली हो जितनी कि मिलनी चाहिए। यह 2019 के चुनाव में अवामी लीग के लिए नुकसानदेह हो सकती है और अवामी लीग के कमजोर होने के अनुपात में ही वहां भारतीय पक्ष भी कमजोर होगा। इस दौरान भारत ने 'गेटवे ऑफ ईस्ट एशिया' के रूप में म्यांमार के महत्व को परखा और सांस्कृतिक साझेदारी का वातावरण भी निर्मित किया।

बहरहाल रक्षा रणनीति और भू-सामरिकता पर गौर करें तो भारत की स्थिति एक नाभिक की बनेगी और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि क्रोड राज्यों की श्रेणी में आएंगे। भारत की वास्तविक ताकत तभी प्रदर्शित हो पाएगी जब क्रोड राज्य अपने नाभिकीय राज्य के प्रति केंद्रीय बल से बंधे हों। भारत को इस भू-सामरिक गणित को अच्छी तरह से समझना होगा और इसी को केंद्र में रखकर विदेश नीति के विभिन्न आयामों को तैयार करने की कोशिश करनी होगी तभी भारत चीन की ताकत को काउंटर कर पाएगा, अमेरिकी कूटनीतिक व सामरिक जरूरतों के आकलन में प्रथम बिंदु पर पहुंच पाएगा, यूरोपीय देशों को आकर्षित कर पाएगा और मध्य व पूर्वी एशिया के बीच एक मजबूत सेतु की तरह स्थापित हो पाएगा। हालांकि इस दिशा में प्रगति हुई है लेकिन हमें भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक समीपता, समान भाषाएं, रीति-रिवाजों की सममितता, धार्मिक मान्यताओं, समीपता तथा भौतिक व सामाजिक संरचना में एकरूपता आदि का जो लाभांश हासिल करना चाहिए, वह अभी तक नहीं मिल पाया है। ❑

NeoStencil.com
OUR UPSC RESULTS
120+ TOPPERS
60+ TEACHERS
1 PLATFORM
India's #1 Live Online Platform For Govt. Jobs
Congratulates
OUR TEACHERS & STUDENTS
OUR STELLAR PERFORMER
Civil Services Examination 2017
Saumya Sharma
AIR 09
I enrolled for online classes of Ethics on NeoStencil.com which not only saved my travel time but also I could attend and revise the classes of S. Ansari Sir anytime.
120+ Online Students Selected
500+ OUT OF 990 From Our Partner Teachers (Online + Offline)
50+ In Top 100
info@neostencil.com | 95990 75552

YH-847/2018

भारत सरकार
आयुष मंत्रालय
सामंजस्य और शांति के लिए योग
नरेंद्र मोदी
प्रधान मंत्री
21 जून, 2018
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई)
क्या आपने स्वास्थ्य और तन्दुरुस्ती के लिए इस विश्वव्यापी आंदोलन का हिस्सा बनने की योजना बना ली है?
अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें!
आईडीवाई में प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा है
स्वास्थ्य और तन्दुरुस्ती के लिए एक विश्वव्यापी आंदोलन
सामान्य योग प्रोटोकॉल (सीवाईपी)
आंदोलन में शामिल हों!
अधिक जानकारी के लिए कृपया https://yoga.ayush.gov.in पर जाएं।
Ayush
davp 17201/13/0035/1718

सिद्धर योगम्

आर एस रामास्वामी

सिद्धहर योगम् का अर्थ पांच इंद्रियों को नियंत्रित करना है और उसके द्वारा अपने मस्तिष्क को सर्वशक्तिमान परमात्मा और मोक्ष प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करने योग्य बनाना है। यह एक चिकित्सा पद्धति भी है, जिसे सिद्धहर तिरूमूलर सिद्ध चिकित्सा पद्धति कहा जाता है। इसके आठ अंग हैं, इयमम्, नियमम्, प्राणायाम, प्रतिहारम्, धारणै, ध्यानम् और समाधि। इयमम्, नियमम् चिकित्सा की सिद्ध प्रणाली में कायाकल्पम् एक महत्वपूर्ण थेरेपी है। कल्प योगम् में रोगनिरोधी और उपचारात्मक दोनों तरह की औषधियों का प्रयोग किया जाता है। कल्प योगम् का संबंध योग प्रविधियों से है, जिसके अभ्यास से मन, वचन, काया और मस्तिष्क लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं

योगम् शब्द का अर्थ जोड़ना होता है। अर्थात् प्राण (सार्वभौमिक चेतना) के साथ जीवन (व्यक्तिगत चेतना) को जोड़ना ही योगम् है और यही मनुष्य भव में जन्म लेने का वास्तविक लक्ष्य है। योगम् का दूसरा अर्थ अपनी पांच इंद्रियों को नियंत्रित करना है और उसके द्वारा अपने मस्तिष्क को सर्वशक्तिमान परमात्मा तथा मोक्ष प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करने योग्य बनाना है। *सिद्धहर तिरुमूलर* ने अपनी कृति *तिरुमंदिरम्* में योग के बारे में विस्तार से चर्चा की है।

तिरुमंदिरम् में, सिद्धहर तिरुमूलर सिद्ध चिकित्सा पद्धति को इस प्रकार परिभाषित करते हैं :

- शारीरिक बीमारी का उपचार करती है।
- मानसिक रोग का उपचार करती है।
- बीमारी से बचाती है।
- अमरता प्रदान करती है।

अन्य आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के विपरीत, सिद्धहर पद्धति का लक्ष्य न सिर्फ शरीर और मस्तिष्क के रोग का उपचार करना होता है बल्कि शुद्धिकरण के माध्यम से आत्मा को भी निर्मल बनाना है जिससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। सिद्ध पद्धति आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है। तिरुमूलर रोगमुक्त जीवन के लिए योग अभ्यास करने पर जोर देते हैं। तिरुमूलर के अनुसार योग के आठ अंग होते हैं इसलिए इसे अट्ठांग योगम् कहा जाता है।

अट्ठांग योगम्

इयमम्, नियमम्, आसनम, प्राणायाम, प्रतिहारम्, धारणै, ध्यानम् और समाधि को अट्ठांग योगम् अर्थात् योग के आठ चरण या अंग कहा जाता है। इयमम् नियमम् चिकित्सा की सिद्ध प्रणाली में कायाकल्पम् एक महत्वपूर्ण थेरेपी है जिसे 'कल्प योगम्' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कल्प योगम् में रोगनिरोधी और उपचारात्मक दोनों प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया जाता है। कल्प योगम् का संबंध योग प्रविधियों से है जिनके अभ्यास से मन, वचन, काया और मस्तिष्क दीर्घावधि तक स्वस्थ रहते हैं। तिरुमूलर के अनुसार, योगम् का पहला भाग 'इयमम्' है और इसका अंतिम परन्तु महत्वपूर्ण भाग 'समाधि' है, जो मनुष्य के भव में जन्म लेने का वास्तविक लक्ष्य होता है।

इयमम्

यह अच्छे मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क लालसा, क्रोध, ईर्ष्या और आत्म-अभिमान जैसे बुराइयों से मुक्त होता है। ऐसी बुराइयों से मुक्त मस्तिष्क सदैव रोग मुक्त रहता है।

नियमम्

यह व्यक्ति के प्रातःकाल में उठने से लेकर रात को सोने तक के समय के दौरान दिनचर्या सहित अच्छे एवं स्वस्थ कार्यकलापों को करना होता है। नियमम का साधारण अर्थ व्यक्ति के कर्मों में शुद्धता बनाए रखना है। नियमम विभिन्न गतिविधियों के क्षेत्र में स्वस्थ परिवेश सुनिश्चित करता है।

आसनम

यह किसी निर्धारित समय तक शरीर को स्थिर और गतिरहित रखने का अभ्यास होता है। इसका साधारण शब्दों में अर्थ 'किसी विशिष्ट स्थिति में शरीर को बनाए रखना' या

लेखक केंद्रीय शोध परिषद, सिद्ध (आयुष मंत्रालय, भारत सरकार) में महानिदेशक हैं। उन्होंने योग और सिद्ध के बुनियादी सिद्धातों पर किताबें लिखी हैं और योग से संबंधित पत्र-पत्रिकाओं में उनके कई लेख प्रकाशित हुए हैं। वे बड़ी संख्या में योग प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करा चुके हैं, जिनमें चेन्नई के सेंट्रल जेल, पलायमकोट्टाई का शिविर भी शामिल है। ईमेल: rsramaswamy@gmail.com

'मुद्रा' होता है। तिरुमूलर के अनुसार, ऐसी हजारों मुद्राएं होती हैं। आसनों का अभ्यास करने से कई रोगों से बचाव होता है तथा व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह पुनर्वासात्मक भी होता है। शारीरिक व्यायाम जिसमें हमारी ऊर्जा खर्च होती है, के विपरीत आसनों का अभ्यास करने से ऊर्जा विशेष रूप से बायो-मैगनेटिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। आसन करने से न सिर्फ बाहरी काया और मांसपेशियां मजबूत होती हैं बल्कि शरीर के आंतरिक अंग (जैसे हृदय, गुर्दे, पेट, यकृत, स्पलिन, फेफड़े और गर्भाशय) भी मजबूत होते हैं और इनके परिणामस्वरूप उनकी कार्यप्रणाली नियमित हो जाती है। वे ग्रंथि के स्रावों को नियंत्रित करते हैं, भोजन के पाचन को नियंत्रित करते हैं और अपशिष्ट पदार्थो का विसर्जन करते हैं और उचित परिसंचरण, वेंटिलेशन और शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। वे अंत:स्रावी ग्रंथियों के कार्यो को नियंत्रित करते हैं जो जीवनपर्यंत रहती हैं। आसन बीमारियों को रोकने या उनका इलाज करने में सहायक या मुख्य चिकित्सा साबित होते हैं। आसन करते समय, रक्त वाहिकाएं, नसें और मांसपेशियां उस प्रकार कठोर नहीं होतीं जिस प्रकार कठिन शारीरिक अभ्यास करते समय होती हैं। इसके विपरीत, वे मुलायम और लचीली बन जाती हैं।

प्राणायाम

यह श्वास को नियंत्रित करने का अभ्यास होता है। इसमें ऐसी असंख्य श्वास संबंधी व्यायाम हैं जो हमारे शरीर की कोशिकाओं विशेष रूप से स्नायु तंत्र को ऊर्जा देते हैं। तिरुमूलर प्राणायाम को गणना करके श्वास को नियंत्रित करने की प्रविधि के रूप में परिभाषित करते हैं। प्राणायम का अभ्यास करने से व्यक्ति दीर्घायु बनता है। प्राणायाम की प्रकृति निवारक, उपचारात्मक और व्यक्ति को पुन: युवा बनाने की है। प्राणायाम करने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और हमारे शरीर की कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

इसे 'वासि' और 'वासियोगम' भी कहा जाता है। तिरुमूलर पूरगम, कुबंकम, रेचकम की अवधि क्रमश: 16 मदिरै, 64 मदिरै और 32 मदिरै के रूप में दर्शाते हैं।

प्रतिहार

यह पांच इंद्रियों को नियंत्रित करने या पांच इंद्रियबोध अर्थात् स्वाद, दृष्टि, स्पर्श, सुनना और गंध का त्याग करना होता है जिन्हें शरीर के पांच अंगों क्रमश: जीभ, आंख, त्वचा, कान और नाक के माध्यम से महसूस किया जाता है। ज्ञानेंद्रियांगल इंद्रियों और इंद्रिय बोध अंगों के बीच एक लिंक बनाता है। अर्थात्, ज्ञानेंद्रियांगल वे उपकरण हैं जो इंद्रिय बोध अंगों के माध्यम से इंद्रियों का काम करते हैं। सिद्ध प्रणाली के अनुसार पांच तत्वों से ब्रह्मांड और मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। वे हैं : पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष। पोरियोरगिलोर पांच इंद्रिय बोध अंगों में शामिल हैं त्वचा, मुंह अर्थात् जीभ, आंख, नाक और कान। पुलंगल पांच इंद्रियां हैं और इनमें शामिल हैं: स्वाद, दृष्टि, स्पर्श, सुनना और गंध। इस तरह से पंचभूतमरे इस प्रकार पुलंगल से संबंधित है: जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष और पृथ्वी।

मनुष्य के पास छठी इंद्री भी होती है। तमिल व्याकरण और साहित्य की सबसे पुरानी पुस्तक, तोल्काप्पियम् में यह उल्लेख है कि, *मावममक्कलम इरिरिविनेव मक्कल्थमेमारिवियूर*, जिसका अर्थ है कि मनुष्य अपनी छठी शक्ति, अर्थात् तर्क की शक्ति होने के कारण अन्य जीवित प्राणियों से भिन्न और श्रेष्ठ है, जिसके द्वारा वह पाप करने से बच सकता है और अनुशासित जीवन व्यतीत कर सकता है। इसके द्वारा वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है जो मनुष्य के जन्म का वास्तविक लक्ष्य होता है। इसके अलावा, नैतिक सिद्धांतों के एक ग्रंथ तिरुक्कुलर के लेखक तिरुवल्लुवार यह कहते हैं, *'सुवाई ओलिओरोयूसाइनैट्रामेंड्डुइनथिनवैहाइ थेरविंकैटटेलागु'*, जिसका अर्थ है कि यह दुनिया केवल काम करने में सक्षम लोगों के ज्ञान से चल रही है, अर्थात् पांच इंद्रियों का समझदारी से प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के समूह ही इस दुनिया को चला रहे हैं।

पांच इंद्रियों के नियंत्रण या त्याग करने पर, सिद्धहर पाथिरक्रियार कहते हैं, *'अंगारामुल्लादक्कियाम्पुलानाचुत्तुथुथुहोंग मल्थोन्निसुगुम्परुथुथुक्कलम'* जिसका अर्थ है 'अपने अहंकार को कम करें, अपने जीवन में तपस्या के माध्यम से पांच इंद्रियों का त्याग करो और आत्म पहचान की स्थिति में पहुँचने तक गहराई से ध्यान में तल्लीन हो जाओ।

इंद्रियों का बोध या आनंद सामान्य सीमाओं के भीतर होना चाहिए क्योंकि इसमें जीवन-ऊर्जा समाप्त होती है। इसलिए, इंद्रिय विषयक सुखों में अत्यधिक शामिल होने से अधिक जीवन-ऊर्जा खर्च होगी। सिद्धहर अपनी इंद्रिय विषयक सुखों का पूर्णत: त्याग

करके लंबे समय तक अपनी जीवन शक्ति को संरक्षित रखते हैं, वे दीर्घायु होते हैं, आसानी से दिव्य पवित्र ज्ञान को अर्जित करते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं।

तिरुवल्लुवर इंद्रिय विषयक सुखों का त्याग करने या इंद्रियों को नियंत्रित करने के महत्व के बारे में इस प्रकार बताते हैं: 'जो व्यक्ति अपनी तर्कशक्ति से विश्लेषण करके पांच इंद्रियबोध अंगों के माध्यम से अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं वह मोक्ष मार्ग के यात्री होते हैं।'

धारणै

यह मस्तिष्क को स्थिर या अविचलित रखने की पद्धति या अभ्यास होता है। मन को स्थिर रखने की धरनई पद्धति ध्यान लगाने की अनिवार्य शर्त होती है।

ध्यानम्

यह मस्तिष्क पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने की प्रक्रिया है। इसे एक विचार को छोड़कर सभी विचारों को त्याग करने की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। किसी योग विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में, समतल भूमि पर बिछे हुए कोमल आसन पर सुखासन या पद्मासन की मुद्रा में बैठकर सुबह, शाम और रात के समय प्रतिदिन 20 से 30 मिनट तक ध्यान किया जा सकता है और विशेष रूप से तनाव से होने वाले रोगों से बचा जा सकता है। ध्यान करने से हमारे शरीर में

दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है और कम नींद या कच्ची नींद से पीड़ित व्यक्ति को गहरी नींद की अवस्था प्रदान करता है। इसको करने से समस्याओं और चुनौतियों को निर्भीकता से सामना करने तथा उनका प्रभावी तरीके से समाधान करने की मानसिक शक्ति विकसित होती है।

यद्यपि ध्यान के लिए सभी समय उपयुक्त होते हैं परंतु प्रात:काल सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के समय शाम के समय को सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक लाभकारी माना जाता है। उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके आसन पर बैठकर ध्यानम् करना लाभकारी होता है।

समाधि

समाधि योग का अंतिम चरण है। इसका अर्थ मोक्ष प्राप्त करना होता है। जब हम पत्ति, पसु व पासम के दर्शन का विश्लेषण करते हैं तो यह पाते हैं कि समाधि वह स्थिति होती है जिसमें पशु, आत्मा जीवन स्वयं को पासम, भौतिक बंधनों से मुक्त करके पत्ति, परमात्मा के साथ मिल जाती है।

समाधि को विचाररहित आत्म-ध्यान भी कहा जा सकता है। अर्थात् यह इंद्रियों सहित शरीर में वास करने वाली आत्मा की इच्छारहित स्थिति होती है। इसमें मनुष्य की इंद्रियां आत्मा से अलग हो जाती है; यह स्वयं को तथा अपने आस-पास के परिवेश को भूलने की स्थिति होती है। यह चेतनारहित स्थिति होती है और इसे ही समाधि की स्थिति कहते हैं।

राजयोगम्

सिद्धहरों ने भी राजयोगम् के बारे में व्याख्या की है जिसका अर्थ शाश्वत आनंद प्राप्त करने के लिए मूल धर्म से अक्किनाइन्ड तक कुंडली शक्ति जागृत करना होता है।

निष्कर्ष

प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना कर भारत आंतरिक और बाहरी शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए संपूर्ण विश्व को अपने आध्यात्म विज्ञान 'योगम्' में योगदान देकर गर्व महसूस करता है। ❑

मन की बात : अप्रैल 2018 की खास बातें

- उत्तराखंड के किसानों ने चुलाई और मंडवा से बिस्कुट बनाकर चमत्कृत किया।
- हम हर हाल में जल बचाव के लिए काम करें।
- पोखरण जांच से दुनिया में भारत की परमाणु शक्ति साबित हुई।
- कॉमनवेल्थ खेलों (2018) में हमारे खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाया।

स्वच्छ भारत के बारे में युवाओं से समर इंटर्नशिप के लिए आवेदन की अपील की। ❑

SIHANTA IAS

कोर्स निर्धारण एवं संचालनः- रजनीश राज एवं डॉ. अभिषेक (Evolution IAS)

फाउंडेशन बैच

सामान्य अध्ययन

निःशुल्क परिचर्चा के साथ बैच प्रारंभ

21 JUNE 11:30AM

इतिहास

वैकल्पिक विषय

द्वाराः रजनीश राज

SHISHIR GEMAWAT
AIR-35
(CSE-2017)

निःशुल्क परिचर्चा के साथ बैच प्रारंभ

15 June 8:30AM | 18 June 6:30PM

मुख्य परीक्षा (इतिहास)
टेस्ट सीरीज-2018

17 June 3:00PM

विशेषताएं

- सर्वांगीण अध्ययन
- बहुस्तरीय उत्तर लेखन
- समयबद्ध कोर्स समापन
- सर्वोत्तम परिणाम

For Free Registration, SMS/whatsapp<Your Name> to 8743045487

अधिक जानकारी के लिए 8743045487 पर व्हाट्सएप करें या हमारी वेबसाइट www.sihantaias.com देखें

Plot No. 8-9, Flat No. 301-302, Ansal Building, Comm. Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi -9
Ph:011-42875012 8743045487 web: www.sihantaias.com

YH-852/2018

अटल नवोन्मेष मिशन

अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम) भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका मकसद देश में नवोन्मेष (इनोवेशन) और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। आने वाले वर्षों में भारत की नवोन्मेष और उद्यमिता संबंधी जरूरतों पर विचार-विमर्श और विस्तारपूर्वक अध्ययन के बाद नीति आयोग ने इसकी स्थापना की है।

अटल नवोन्मेष मिशन के पास एक छतरीनुमा ढांचा तैयार करने का काम है और यह केंद्र, राज्य और हर सेक्टर से जुड़ी हुई नवोन्मेष योजनाओं के बीच नवोन्मेष नीतियों को लेकर तालमेल बिठाने में अहम भूमिका अदा करेगा। नवोन्मेष योजनाओं में विभिन्न स्तरों पर नवोन्मेष और उद्यमिता का माहौल तैयार करना और इसे बढ़ावा देना शामिल है।

इन स्तरों में शामिल हैं- उच्च माध्यमिक स्कूल, विज्ञान, इंजीनियरिंग और उच्च अकादमिक संस्थान, और एसएमई/एमएसएमई उद्योग, कॉरपोरेट और एनजीओ।

अटल नवोन्मेष मिशन के मुख्य दो काम हैं:

1. स्व-रोजगार और प्रतिभाओं के उपयोग के जरिये उद्यमिता को बढ़ावा देना, जबकि नवोन्मेष करने वालों को सफल उद्यमी बनने के लिए सहयोग और दिशा-निर्देश मुहैया कराए जाएंगे।

2. नवोन्मेष को बढ़ावा: ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराना, जहां नवोन्मेष से जुड़े आइडिया पैदा होते हों।

अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब होने के लिए इसमें निम्नलिखित उपबंध हैं-

1. 'अटल टिंकरिंग लैब्स' : स्कूलों में रचनात्मक, नवोन्मेषी रुझान पैदा करना।

अटल नवोन्मेष मिशन देश भर के सभी जिलों के स्कूलों में अत्याधुनिक अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) स्थापित कर रहा है। ये एटीएल 1,200-1,500 वर्गफुट के नवोन्मेष ठिकाने होते हैं जहां 3डी प्रिंटर्स, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) जैसी आधुनिकतम प्रौद्योगिकी पर *खुद-से-कीजिए* किट लगाए गए हैं और इसमें सरकार से 20 लाख रुपये का अनुदान भी मिला है, ताकि छठी से बारहवीं कक्षा के छात्र-छात्राएं इन प्रौद्योगिकियों के साथ प्रयोग कर सकें और इनके इस्तेमाल के जरिये नवोन्मेष समाधान तैयार कर सकें। इससे देश भर के करोड़ों छात्र-छात्राओं में समस्या को हल करने वाला और नवोन्मेष संबंधी दिमाग विकसित हो सकेगा।

अब तक 2,441 स्कूल पहले ही एटीएल अनुदान के लिए चुने जा चुके हैं और मौजूदा साल यानी 2018 के अंत तक 5,000 से भी ज्यादा स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब की सुविधा उपलब्ध हो जाने की संभावना है। इनमें देश के सभी जिलों के स्कूल शामिल होंगे। अनुदान के अलावा एटीएल कार्यक्रम जमीनी स्तर पर भी समस्याओं की पहचान में छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को जोड़ रहा है और एटीएल प्रौद्योगिकी के सहारे नवोन्मेषी समाधान तैयार कर इस कार्यक्रम का लक्ष्य हासिल किया जा रहा है। स्कूल के पास मौजूद विश्वविद्यालय एटीएल छात्र-छात्राओं का दिशा-निर्देश मुहैया करा सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए एआईसीटीई (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) भी एआईएम के साथ मिलकर काम कर रही है।

अटल नवोन्मेष मिशन की सहायक गतिविधियों के तहत हाल में अटल टिंकरिंग मैराथन हुआ था। इसमें 35,000 से भी ज्यादा छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। मूल्यांकन के लिए तकरीबन बेहतरीन नवोन्मेष की 650 प्रविष्टियां सौंपी गईं। इनमें 17 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों से फोकस वाले 6 क्षेत्रों के टॉप 30 नवोन्मेष को पहचान की गई है, ताकि उन्हें मान्यता दी जा सके। 14 अप्रैल 2018 को एटीएल समुदाय दिवस के मौके पर एटीएल प्रौद्योगिकी आधारित नवोन्मेष के बारे में जागरूकता फैलाने की

खातिर 50,000 से भी ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया। इस अभियान का मकसद देश के सभी जिलों के हर स्कूल में कम से कम एक या ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब हों। राज्य के शिक्षा विभागों की मदद से देश के हर हिस्से में तेजी से इसकी पहुंच बढ़ाई जाएगी। साथ ही, एटीएल के लिए स्कूलों के चुनाव में सरकार/सरकारी अनुदान वाले और कन्या विद्यालयों, उत्तर-पूर्व और पहाड़ी जिलों के स्कूलों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।

अटल इनक्यूबेटर-विश्वविद्यालयों और उद्योग जगत में उद्यमिता को बढ़ावा देना

अटल नवोन्मेष मिशन के जरिये विश्वविद्यालय, एनजीओ और कॉरपोरेट उद्योग के स्तर पर विश्वस्तरीय अटल इनक्यूबेटर स्थापित किए जा रहे हैं, जो देश के हर राज्य/क्षेत्र में टिकाऊ स्टार्टअप में बढ़ोतरी के लिए गुंजाइश बनाएगा। इससे देश में रोजगार देने वालों और उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह से भारत में व्यावसायिक और सामाजिक उद्यमिता के मौके बनाने में भी मदद मिलेगी। एआईएम मौजूदा इनक्यूबेटर्स को भी अपना ऑपरेशन बढ़ाने के लिए सहयोग मुहैया करा रहा है। यह मिशन मौजूदा इनक्यूबेटर्स का स्तर बढ़ाने या नया स्थापित करने के लिए सफल उम्मीदवारों को 10 करोड़ रुपये तक का अनुदान मुहैया करा रहा है। इसका मकसद स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल 110 शहरों

पृष्ठ 68 पर जारी

पृष्ठ 67 का शेष

में हर शहर और हर राज्य के 5-10 शैक्षिक/औद्योगिक संस्थान को विश्वस्तरीय इनक्यूबेटर बनने की आकांक्षा पालने के लिए प्रेरित करना है। इससे विश्वविद्यालयों/उद्योगों में युवाओं/स्टार्टअप समुदाय को नई स्टार्टअप तैयार करने का मौका मिलेगा।

अब तक 19 अटल इनक्यूबेटर्स का चुनाव हो चुका है। 2018-19 से पहले 50 से भी ज्यादा अटल इनक्यूबेटर्स के चालू हो जाने की संभावना है। महिलाओं की अगुवाई वाले इनक्यूबेटर और स्टार्टअप को एआईएम द्वारा जोरदार तरीके से प्रोत्साहित किया जाता है।

अटल नवोन्मेष मिशन की गतिविधियां

अटल नए भारत की चुनौतियां और अटल बड़ी चुनौतियां: सामाजिक और व्यावसायिक असर के मकसद से प्रौद्योगिकी आधारित नवोन्मेष और उत्पादन को बढ़ावा देना

सामाजिक/आर्थिक असर वाले खास उत्पाद से जुड़े नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम) राष्ट्रीय अहमियत के खास क्षेत्रों में अटल नए भारत की चुनौतियां/अटल बड़ी चुनौतियां जैसे अभियान शुरू करेगा। राष्ट्रीय अहमियत वाले जिन क्षेत्रों में इसे शुरू करने की बात है, उनमें अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण, जलवायु के अनुकूल खेती, पेय जल, स्वच्छ भारत, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोबोटिक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रौद्योगिकी, कृत्रिम मेधा, ब्लॉक-चेन, बैटरी तकनीक आदि शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर क्षेत्र हाल में जारी 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए चुने गए हैं। अटल नए भारत की चुनौतियों की पहली खेप 26 अप्रैल 2018 को शुरू की गई। नीति आयोग के सीईओ ने भारत की कठिन समस्याओं के लिए अनोखे प्रौद्योगिकी समाधान की जरूरत पर जोर दिया है। अटल नए भारत की चुनौतियों के लिए सफल आवेदकों को एक करोड़ रुपये तक का अनुदान मिलेगा और अटल बड़ी चुनौतियों के लिए 30 करोड़ रुपये तक के अनुदान की बात है।

अटल नए भारत की चुनौतियों के तहत फोकस किए जाने वाले 17 क्षेत्रों की पहचान की गई है। इन क्षेत्रों में जलवायु के अनुकूल खेती, सड़क और रेल के लिए कुहरा दृष्टि प्रणाली, वैकल्पिक ईंधन आधारित परिवहन, स्मार्ट मोबिलिटी, पानी की गुणवत्ता की त्वरित जांच प्रणाली, रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकी, कचरा प्रबंधन रीसाइक्लिंग, कंपोस्ट की गुणवत्ता, सार्वजनिक जगहों पर बर्बादी आदि शामिल हैं। इस कार्यक्रम के लिए इस पते पर आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं-http://aim.gov.in/atal-new-india-challenge.php और आवेदन की आखिरी तारीख 10 जून 2018 है।

नवोन्मेष और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के मकसद से इससे पहले मार्च 2018 में अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम) ने टेक्नोलॉजी की जर्मन कंपनी एसएपी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत एसएपी 2018 में 100 अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) को 5 साल के लिए गोद लेगा और भारत के माध्यमिक स्कूल के बच्चों के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित सिखाने पर फोकस करेगी। ❑

अटल टिंकरिंग मैराथन के सर्वश्रेष्ठ 30 नवोन्मेष

भारत के सर्वश्रेष्ठ छात्र नवोन्मेषों की पहचान के उद्देश्य से नीति आयोग के अटल नवोन्मेष मिशन के अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) ने अटल टिंकरिंग मैराथन का आयोजन किया। छह महीने तक चलने वाली यह प्रतियोगिता छह विभिन्न क्षेत्रों पर आधारित है- स्वच्छ ऊर्जा, जल संसाधन, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य, स्मार्ट आवागमन तथा कृषि प्रौद्योगिकी।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर एटीएल मैराथन के सर्वश्रेष्ठ 30 नवोन्मेषों को एक पुस्तिका के जरिए प्रदर्शित किया गया। इस पुस्तिका में बच्चों, उनके परामर्शदाताओं, शिक्षकों और विद्यालयों के कार्यों का उल्लेख है। इस पुस्तिका को अटल नवोन्मेष मिशन के निदेशक श्री रमानन रामनाथन के साथ नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने जारी किया।

डॉ. कुमार ने कहा "यह पुस्तिका श्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है। उन्होंने 16 मई को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था। उनका मानना था इस देश का भविष्य बच्चों के हाथ में है और अटल नवोन्मेष मिशन उनके सपनों को वास्तविकता में बदलने का एक प्रयास है।" उन्होंने आगे कहा कि एक नये युग की शुरुआत होने वाली है जहां हम एक नकल करने वाले समाज के स्थान पर एक नवोन्मेषी समाज बनेंगे।

सर्वश्रेष्ठ 30 टीमों को कई पुरस्कार प्रदान किए गए जिनमें उद्योग जगत तथा स्टार्टअप इन्क्यूबेटर के सहयोग से तीन महीने की अवधि वाला एटीएल छात्र नवोन्मेष कार्यक्रम शामिल है। छात्रों को व्यापार और उद्यमिता कौशल का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त एटीएल विद्यालयों को विश्व रोबोटिक्स ओलम्पियाड में शामिल होने के लिए प्रपत्र दिया जायेगा।

650 नवोन्मेष प्रविष्टियां प्राप्त की गई। सर्वश्रेष्ठ 100 प्रविष्टियों का चयन किया गया। 100 टीमों को प्रस्तुति के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय दिया गया। इसके बाद उनके नवोन्मेषों को जजों के पैनल द्वारा परखा गया और सर्वश्रेष्ठ 30 प्रविष्टियों का चयन किया गया। ❑

THE STUDY

(An Institute for IAS)

Divyam Educom Pvt. Ltd.

Our Destiny in Our Hands

HISTORY

By Manikant Singh

THE STUDY under the expert guidance of MANIKANT SINGH has continued its journey on the path of success.........

बदले हुए परिदृश्य में इतिहास एक अति महत्वपूर्ण वैकल्पिक विषय के रूप में उभरा है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। प्रथम, इसका सामान्य अध्ययन में बहुत बड़ा योगदान (मुख्य परीक्षा प्रथम पत्र में 100 से 110 अंक तथा प्रारंभिक परीक्षा में 32 से 34 अंक) है। दूसरे, यह विषय सरल एवं सुग्राह्य है। अन्त में, इसमें "THE STUDY" जैसे विश्वसनीय संस्थान का सहयोग प्राप्त है।

फाउंडेशन बैच प्रारंभ

20th JUNE

8 AM

Now you can attend the most trusted History classes for UPSC at your home

ONLINE CLASSES

by MANIKANT SINGH

-Online classes
-Study Material & latest updates
-Answer writing practice and Tests

Correspondence Course

(Hindi/English Med.)

-Complete Study Material
-Personal guidance
-Answer writing practice and Tests

Comprehensive programme for

TEST SERIES-2018

(HISTORY OPTIONAL Hindi/English Med.)

ONLINE/OFFLINE

PROGRAMME HIGHLIGHTS:

- Test series comprising 10 mock test
- Intensive discussion with MANIKANT SINGH
- Emphasis over the development of writing skill
- Value addition to knowledge through newly published books and journals

INTRODUCTORY LECTURE

ENGLISH MED. 16th JUNE 4 PM

हिन्दी माध्यम 18th JUNE 4 PM

TEST SERIES 23rd JUNE

210, Virat Bhawan, IInd Floor, Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9

www.thestudyias.net :: Email: thestudyias@gmail.com /thestudyias

Ph.: 011-27653672, 42870015, 27652263, 9999278966

YH-848/2018

पुस्तक चर्चा

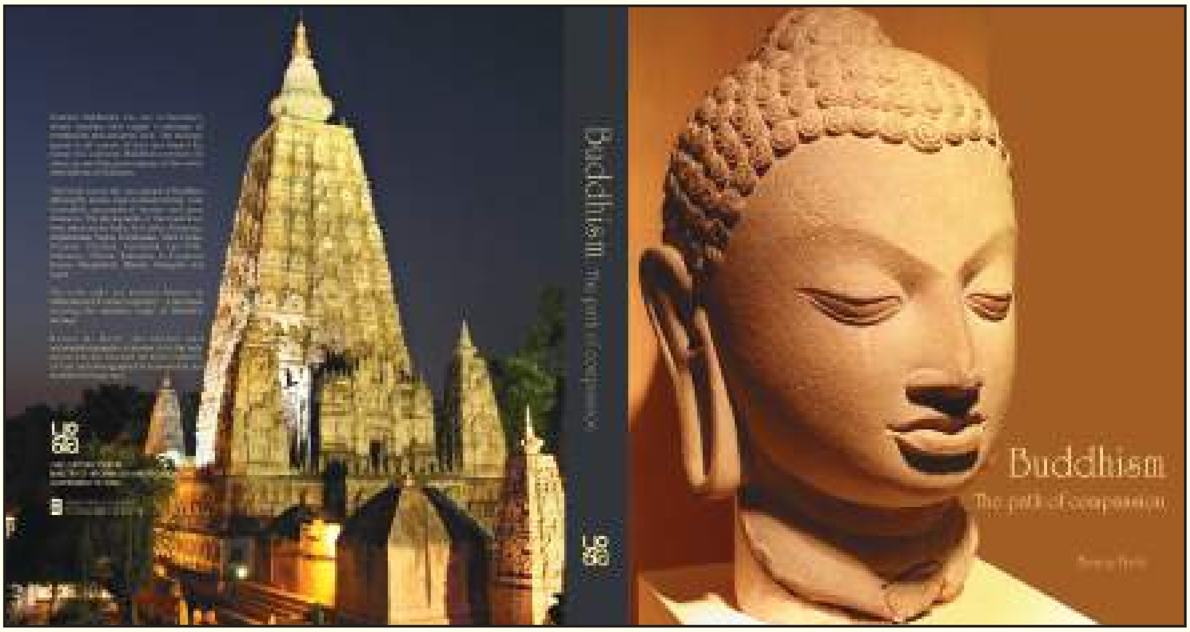

बुद्धिज़्म : द पाथ ऑफ कम्पैशन

लेखक : बिनॉय के. बहल

मूल्य: ₹ 1150

आईएसबीएन : 978-81-230-2788-3

गौतम सिद्धार्थ जो बाद में बुद्ध के नाम से जाने गए, मानवता के सबसे विवेकशील शिक्षकों में से एक थे, जिन्होंने करुणा और पूरी सृष्टि से प्यार करने का संदेश दिया। बौद्ध धर्म आज भी दुनिया के सबसे उदात्त और व्यापक रूप से फैले दर्शन में शामिल है और दुनियाभर में इसके करोड़ों अनुयायी हैं। इस किताब में चित्रों-रेखाचित्रों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। इसमें बौद्ध विरासत स्थलों की शानदार तस्वीरें हैं, जो प्राचीन काल में पूरे एशिया महाद्वीप में व्यापक रूप से फैले बौद्ध दर्शन, विशाल भौगोलिक सीमाओं और लंबी दूरी को अपने आप में समेटे है। लेखक श्री बिनॉय बहल प्रमुख फोटोग्राफर, सांस्कृतिक इतिहासकार, फिल्मकार आदि के रूप में जाने जाते हैं, जो पिछले 41 वर्षों से भी ज्यादा से सक्रिय हैं।
इस किताब में 235 पृष्ठ हैं, जिनमें कई तस्वीरें हैं।

हमारी पुस्तकें खरीदने के लिए http://publicationsdivision.nic.in पर लॉग ऑन करें।

कृपया ध्यान दें

सदस्यता संबंधी पूछताछ अथवा पत्रिका प्राप्त न होने की स्थिति में कृपया संपादक (वितरण एवं विज्ञापन) से इस पते पर संपर्क करें:

प्रकाशन विभाग, कमरा नं. 48-53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003

फोन नं: 011-24367453, ई-मेल: pdjucir@gmail.com